जन योजना अभियान -

सबकी योजना सबका विकास

जीपीडीपी, बीपीडीपी और डीपीडीपी तैयार करने के लिए

02 अक्टूबर 2021 से 31 जनवरी 2022

जन योजना अभियान

सबकी योजना सबका विकास

02 अक्टूबर 2021 से 31 जनवरी 2022

पंचायती राज मंत्रालय
भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

एवं

ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार

विषय सूची

संदेश

अध्याय **1** : प्रस्तावना

1.1 जन योजना अभियान (पीपीसी) क्या है

1.2 पीपीसी 2021 के उद्देश्य

1.3 कोविड-19 महामारी के दौरान आयोजना प्रक्रिया की चुनौतियां

1.4 XIवीं अनुसूची के अनुसार शामिल किए जाने वाले विषय

1.5 XVवां वित्त आयोग – जीपीडीपी, बीपीडीपी और डीपीडीपी के लिए निहितार्थ

1.6 भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियां

1.5 केंद्रीय स्तर पर अभियान की तैयारी के लिए समय सीमा

1.6 राज्य स्तर पर अभियान की तैयारी के लिए समय सीमा

1.7 अभियान की समय सीमा अनुरूप जीपीडीपी कैलेंडर तैयार करना

1.8 अभियान की गतिविधियों की प्रगति की रिपोर्टिंग एवं निगरानी

1.9 तथ्य एवं आंकड़े : जन योजना अभियान 2018, 2019 और 2020

अध्याय **2** : क्षमता निर्माण

2.1 हितधारकों का क्षमता निर्माण

2.2 पीपीसी के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल

2.3 हितधारकों का प्रशिक्षण

अध्याय **3** : जीपीडीपी तैयार करने के लिए ग्राम सभा

3.1 ग्राम सभा का एजेंडा

3.2 सफल ग्राम सभा के लिए अपनाए जाने वाले चरण

अध्याय **4** : ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करना

4.1 ग्राम पंचायत योजना सुगमता टीम (जीपीपीएफटी) का गठन

4.2 वार्ड सभा, महिला सभा और बाल सभा से इनपुट का एकीकरण

4.3 माहौल बनाना

4.4 एसडीजी की प्राप्ति के लिए ग्राम पंचायत द्वारा संकल्प

4.5 जागरुकता बढ़ाना

4.6 जन संचेतना

4.7 आयोजना में फोकस क्षेत्र

4.8 डेटा संग्रहण - स्थिति का विश्लेषण

4.9 मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण (एमए) और आयोजना

4.10 विकास स्थिति रिपोर्ट (डीएसआर)

4.11 विजन तैयार करने की कवायद

4.12 आवश्यकताओं की प्राथमिकता निर्धारित करना

4.13 संसाधन आवरण

4.14 जीपीडीपी में गरीबी कटौती योजना का एकीकरण

4.15 विशेष ग्राम सभा का आयोजन

4.16 मसौदा जीपीडीपी तैयार करना

4.17 अंतिम जीपीडीपी

4.18 ई-ग्राम स्वराज पर योजना को अपलोड करना

अध्याय **6** : ब्लॉक और जिला पंचायत विकास योजना तैयार करना

6.1 प्रस्तावना

6.2 ब्लॉक पंचायत विकास योजनाएं (बीपीडीपी) तैयार करना

6.3 जिला पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करना

अध्याय **7** : पंचायती राज मंत्रालय और हाल की पहलें

8.1 250 मॉडल जीपी क्लस्टर के निर्माण पर परियोजना

8.2 स्वामित्व योजना

8.3 ग्रामीण क्षेत्रों में स्थलाकृतिक आयोजना

8.4 ई-ग्राम स्वराज

8.5 आजादी का अमृत महोत्सव और पंचायती राज संस्थाएं

अध्याय **9** : ग्राम पंचायतें और राष्ट्रीय अभियान

9.1 स्वच्छ भारत मिशन – ग्रामीण (एसबीएम-जी) चरण II

9.2 जल जीवन मिशन (जेजेएम)

9.3 पोषण अभियान

9.4 फिट इंडिया मूवमेंट अभियान

अध्याय **10** : केन्द्रीय संबद्ध मंत्रालय : योजनाएं और कार्यक्रम

10.1 ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी)

10.1.1 ग्रामीण विकास मंत्रालय की अन्य योजनाएं

10.2 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमओडब्ल्यूसीडी)

10.3 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएंडएफडब्ल्यू)

10.4 कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमओएसडीएंडई)

10.5 शिक्षा मंत्रालय

10.6 कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

10.7 जल शक्ति मंत्रालय : जल एवं स्वच्छता विभाग

10.8 गृह मंत्रालय : राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए)

10.9 मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

10.10 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई)

10.11. जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए)

10.12 आयुष मंत्रालय - राष्ट्रीय आयुष मिशन

10.13 वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय

अनुलग्नक

अनुलग्नक 1क : ग्राम सभा आयोजना के कैलेण्डर का सांचा

अनुलग्नक 1ख : सुगमता प्रदाता रिपोर्ट का सांचा

अनुलग्नक 1ग: पीपीसी 2020 के लिए गतिविधियों की समय सीमा : 02 अक्टूबर 2021 से 31 जनवरी 2022

अनुलग्नक 2 : जीपीडीपी के लिए विशेष ग्राम सभा के संचालन के लिए मॉडल अनुसूची

अनुलग्नक 3 : फ्रंटलाइन वर्कर / संबद्ध विभागों द्वारा मॉडल प्रस्तुति

अनुलग्नक 4 : सार्वजनिक सूचना बोर्ड की निदर्शनात्मक डिजाइन

संदेश

अध्याय 1 : प्रस्तावना

ग्राम पंचायतों को गांव के स्तर पर आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ग्रामीण भारत के कायाकल्प के लिए राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर महत्वपूर्ण योजनाओं / कार्यक्रमों के प्रभावी एवं दक्ष कार्यान्वयन में ग्राम पंचायतों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। इसी तरह, ब्लाक एवं जिला स्तर पर योजना बनाने का कार्य क्रमश: मध्यवर्ती एवं जिला पंचायतों द्वारा किया जाना चाहिए। जीपीडीपी, ब्लाक पंचायत विकास योजना (बीपीडीपी) और जिला पंचायत विकास योजना (डीपीडीपी) तैयार करने की प्रक्रिया व्यापक तथा सहभागितापूर्ण प्रक्रिया पर आधारित होनी चाहिए जिसमें अन्य बातों के साथ भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल 29 विषयों सहित विकास पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की योजनाओं का पूर्ण अभिसरण शामिल है।

1.1 जन योजना अभियान (पीपीसी) क्या है

जन योजना अभियान, अभियान के रूप में योजनाओं को तैयार करने का सुनिश्चय करने की कारगर रणनीति है। पीपीसी 2021 को 2 अक्टूबर, 2021 से 31 जनवरी, 2022 तक 'सबकी योजना सबका विकास' के रूप में शुरू किया जाएगा। इस अभियान के दौरान अगले वित्त वर्ष अर्थात 2022-23 के लिए जीपीडीपी, बीपीडीपी और डीपीडीपी तैयार करने के लिए क्रमश: ग्राम सभा / वार्ड सभा / ब्लाक सभा / जिला सभा की सुगठित बैठकों का आयोजन किया जाएगा।

1.2 पीपीसी 2021 के उद्देश्य

पीपीसी के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं :

- पूरे देश में समयबद्ध ढंग से ग्राम पंचायतों, मध्यवर्ती पंचायतों और जिला पंचायतों में क्रमश: सहभागितापूर्ण, व्यापक जीपीडीपी, बीपीडीपी और डीपीडीपी तैयार करना।
- पिछले वर्षों के दौरान हुई प्रगति का साक्ष्य आधारित मूल्यांकन और 11वीं अनुसूची के सभी 29 विषयों में 2022-23 के लिए प्रस्तावों पर विचार करना।
- 2 अक्टूबर, 2021 से 31 जनवरी, 2022 तक की अवधि के दौरान 11वीं अनुसूची में शामिल सभी 29 क्षेत्रों के फ्रंटलाइन वर्कर / पर्यवेक्षक की सक्रिय भागीदारी एवं प्रस्तुति के साथ ग्राम सभा की सुगठित बैठकों का आयोजन करना।
- ग्राम सभा की बैठकों से पहले वार्ड सभा के अलावा, बाल सभा एवं महिला सभा की बैठकें

आयोजित की जानी चाहिए - इससे बच्चों एवं महिलाओं की मांगों की गणना करने और उनको अभिव्यक्त करने में सहायता मिलेगी।

- जीपीडीपी, बीपीडीपी और डीपीडीपी में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का एकीकरण
- डीएवाई - एनआरएलएम के तहत स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर) और महिलाओं की भूमिका का सुदृढ़ीकरण।
- ग्राम पंचायत के कार्यालय में और ग्राम संवाद एप्लीकेशन पर सभी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की योजनाओं, वित्त आदि पर सार्वजनिक प्रकटन के साथ सार्वजनिक सूचना अभियान चलाना।

1.3 कोविड-19 महामारी के दौरान आयोजना प्रक्रिया की चुनौतियां

पंचायती राज संस्थाएं कोविड-19 की चल रही महामारी के दौरान राहत प्रदान करने तथा निवारक उपायों को संपूरित करने में अपना सर्वोत्तम योगदान देने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। असंख्य चुनौतियों के बावजूद ग्रामीण भारत की अधिसंख्य पंचायती राज संस्थाओं ने 2021-22 के दौरान विकास योजनाएं तैयार की हैं। जन योजना अभियान (पीपीसी - 2021) की शुरूआत के साथ पंचायती राज संस्थाओं, जिन्हें विकास योजनाएं तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, को ग्राम स्तर पर विभिन्न समुदायों के साथ छोटी सभाओं का आयोजन करने में कोविड उपयुक्त आचरण को बनाए रखने में समान दृष्टिकोण को जारी रखने की आवश्यकता है। कुछ संरक्षी उपाय इस प्रकार हैं जिनका सभी ग्राम पंचायतों में हर समय सबके द्वारा पालन किया जाना चाहिए :

i. कम से कम एक मीटर की सामाजिक दूरी का हर समय पालन किया जाना चाहिए

ii. फेस कवर / मास्क का प्रयोग अनिवार्य होना चाहिए

iii. बार-बार हाथ धोना चाहिए (कम से कम 40 से 60 सेकेंड तक), भले ही देखने में हाथ गंदे न हों या विकल्प के तौर पर अल्कोहल आधारित हैंड सेनेटाइजर का प्रयोग करना चाहिए।

iv. श्वसन शिष्टाचार का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए, जैसे कि खांसते / छींकते समय टिश्यू पेपर / रुमाल / मुड़ी कोहनी से अपने मुंह और नाक को ढकना चाहिए तथा प्रयुक्त टिश्यू पेपर का उचित ढंग से निस्तारण करना चाहिए।

v. सबके द्वारा अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी तथा व्यक्तिगत, परिवार और समुदाय के स्तर पर किसी बीमारी की यथाशीघ्र सूचना देना।

इसके अलावा, विकास योजना तैयार करने की संपूर्ण प्रक्रिया में शामिल विभिन्न गतिविधियों जैसे कि सर्वेक्षण करना, जागरूकता पैदा करना / बढ़ाना, ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन करना आदि के लिए कोविड उपयुक्त व्यवहार के मानदंडों के अनुसार संशोधन करने की आवश्यकता हो सकती है। ग्राम सभा के कैलेण्डर को अंतिम रूप देते समय राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों से यह भी अपेक्षा की जा सकती है कि वे कोविड-19 महामारी की स्थानीय स्थिति को ध्यान में रखें।

राज्य अग्रिम में एजेंडा के परिचालन का सुनिश्चय कर सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रानिक माध्यम जैसे व्हाट्सएप ग्रुप एवं अन्य प्लेटफार्म शामिल हैं;विशेष चिन्हित समूहों जैसे कि बाल सभा, महिला सभा, युवा सभा, एसएचजी, सामुदायिक समूह, आर्थिक रूप से एवं कमजोर वर्गों, समाज के असुरक्षित वर्गों के साथ परामर्श ताकि पंचायतों एवं नागरिकों के समग्र विकास के लिए समावेशी एवं समग्र जीपीडीपी, बीपीडीपी और डीपीडीपी के निर्माण के लिए सही मायने में सहभागितापूण आयोजना का सुनिश्चय हो सके।

1.4 XIवीं अनुसूची के अनुसार शामिल किए जाने वाले विषय

जीपीडीपी की तैयारी में 11वीं अनुसूची में परिभाषित 29 विषय शामिल होंगे। ये विषय इस प्रकार हैं :

1.	कृषि	**2.**	गरीबी उपशमन कार्यक्रम
3.	भूमि सुधार	**4.**	शिक्षा
5.	लघु सिंचाई	**6.**	व्यावसायिक शिक्षा
7.	पशुपालन	**8.**	प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा
9.	मछली पालन	**10.**	पुस्तकालय
11.	सामाजिक वानिकी	**12.**	सांस्कृतिक गतिविधियां
13.	लघु वन उत्पाद	**14.**	बाजार एवं मेला
15.	लघु उद्योग	**16.**	स्वास्थ्य और पोषण
17.	खादी, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग	**18.**	परिवार कल्याण

19.	ग्रामीण आवास	**20.**	महिला एवं बाल विकास
21.	पेयजल	**22.**	समाज कल्याण
23.	ईंधन एवं चारा	**24.**	कमजोर वर्गों का कल्याण
25.	सड़कें	**26.**	सार्वजनिक वितरण प्रणाली
27.	ग्रामीण विद्युतीकरण	**28.**	समुदाय की संपत्तियों का रखरखाव
29.	ऊर्जा के अपरम्परागत स्रोत		

1.5 XVवां वित्त आयोग – जीपीडीपी, बीपीडीपी और डीपीडीपी के लिए निहितार्थ

15वें वित्त आयोग (एफसी-XV) ने 2021-26 में ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) के लिए 2,36,805 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं तथा संस्तुत अनुदान का 40 प्रतिशत अनानुबंधित अनुदान होगा तथा शेष 60 प्रतिशत अनुबंधित अनुदान के रूप में होगा। अनानुबंधित अनुदान (कुल अनुदान का 40 प्रतिशत) का प्रयोग वेतन एवं अन्य सथापना लागत को छोड़कर 11वीं अनुसूची में शामिल 29 विषयों के तहत महसूस की गई आवश्यकताओं के लिए किया जा सकता है। जहां तक अनुबंधित अनुदान (कुल अनुदान का 60 प्रतिशत) का संबंध है, कुल अनुदान के 30 प्रतिशत का प्रयोग पेयजल, वर्षा जल संचयन और जल पुर्नचक्रण के लिए किया जाएगा तथा कुल अनुदान के 30 प्रतिशत का उपयोग स्वच्छता तथा ओडीएफ स्टेटस को बरकरार रखने के लिए किया जाएगा। तथापि, यदि किसी स्थानीय निकाय में एक श्रेणी में पूर्णत: संतृप्ति प्राप्त कर ली है, तो वह दूसरी श्रेणी के लिए निधियों का प्रयोग कर सकता है। संबंधित ग्राम सभा द्वारा इसको प्रमाणित किया जाएगा जिसकी पर्यवेक्षी प्राधिकारी या राज्य सरकारों द्वारा विधिवत रूप से पुष्टि की जाएगी। एफएफसी ने पंचायतों के सभी स्तरों के लिए तथा 5वीं एवं 6वीं अनुसूची के क्षेत्रों के परंपरागत निकायों के लिए भी आरएलबी अनुदान की सिफारिश की है।

इन स्तरों के बीच आवंटन निम्नानुसार होगा :

- ग्राम पंचायतें - 70-85 प्रतिशत
- ब्लाक पंचायतें (बीपी) - 10-25 प्रतिशत और
- जिला पंचायतों (डीपी) - 5-15 प्रतिशत, एसएफसी की सिफारिशों के आधार पर 100 प्रतिशत तक कुल परिवर्धन।

- टियर-2 राज्यों के लिए, बैंड 70-85 प्रतिशत तथा जीपी / डीपी के लिए 15-30 प्रतिशत है।
- परंपरागत क्षेत्रों / बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए आवंटन आबादी : क्षेत्रफल के लिए 90:10 के मापदंड पर होगा। इंट्रा टियर वितरण 90:10 पर आबादी : क्षेत्रफल के आधार पर या एसएफसी की स्वीकृत सिफारिश के अनुसार होना चाहिए।

संबंधित राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) का गठन स्थानीय निकायों को अनुदान जारी करने की आवश्यक शर्त है। ऐसे सभी राज्यों को एसएफसी का गठन करना चाहिए जिन्होंने नियत एसएफसी का गठन नहीं किया है, उनकी सिफारिशों पर कार्रवाई करनी चाहिए तथा मार्च, 2024 में या इससे पहले राज्य विधान सभा के पटल पर कृत कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) रखनी चाहिए। मार्च, 2024 के बाद, ऐसे राज्य को कोई अनुदान जारी नहीं किया जाएगा जिन्होंने एसएफसी के संवैधानिक प्रावधान का पालन नहीं किया है।

वित्त वर्ष **2021-22** से केवल वही राज्य / आरएलबी अनुदान प्राप्त करेंगे जिनके अनंतिम / लेखा परीक्षित लेखा सार्वजनिक क्षेत्र आनलाइन उपलब्ध होंगे। 2021-22 और 2022-23 के लिए राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कम से कम 25 प्रतिशत आरएलबी के पिछले वर्ष के लिए अनंतिम लेखा और पिछले वर्ष से पूर्व वर्ष के लिए लेखा परीक्षित लेखा सार्वजनिक क्षेत्र में आनलाइन उपलब्ध हैं ताकि वे पूर्ण अनुदान के लिए पात्र हो सकें। 2023-24 तथा इसके बाद के लिए, राज्य केवल ऐसे आरएलबी को देय कुल अनुदान प्राप्त करेंगे जिनके पिछले के लिए अनंतिम लेखा तथा पिछले वर्ष से पूर्व के वर्ष के लिए लेखा परीक्षित लेखा सार्वजनिक क्षेत्र में आनलाइन उपलब्ध हैं।

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार आरएलबी के संबंध में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा।

1.6 भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियां

29 विषयों से संबंधित सभी 16 संबद्ध मंत्रालयों के अधिकारियों, सुगमता प्रदाताओं तथा फ्रंटलाइन वर्कर के साथ पंचायती राज मंत्रालय, संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य विभागों द्वारा पीपीपी को संयुक्त रूप से आगे बढ़ाया जाएगा। इस अभियान की सफलता के लिए उनके द्वारा वहन की जाने वाली भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियां इस प्रकार हैं :

1.6.1 केंद्रीय मंत्रालय

पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) केंद्रीय स्तर पर पीपीपी शुरू करने और निगरानी करने के लिए फोकल बिंदु होगा। यह निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होगा :

- प्रभावी ढंग से अभियान शुरू करने और निगरानी करने के लिए सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के साथ पत्राचार
- उनकी योजनाओं के तहत उपलब्ध संसाधन आवरण तथा अन्य लाभों जैसी सभी संगत सूचना के साथ संपूर्ण जीपीडीपी प्रक्रिया में उनकी योजनाओं के फील्ड स्टाफ की प्रभावी भागीदारी को आगे बढ़ाने के लिए राज्य / संघ राज्य क्षेंत्रों में उनके समकक्षों को आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए केंद्र सरकार के संबद्ध मंत्रालयों के साथ पत्राचार करना एवं संपर्क स्थापित करना।
- निगरानी प्लेटफार्म जैसे कि जीपीडीपी पोर्टल / पीएफएमएस पर संगत सूचना डालना
- जीपीडीपी पोर्टल के माध्यम से नोडल अधिकारियों (राज्य, जिला एवं ब्लाक स्तर), सुगमता प्रदाताओं आदि की नियुक्ति को सुगम बनाना।
- प्रशिक्षण माड्यूल तैयार करना तथा एनआईआरडी एंड पीआर के माध्यम से नोडल अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन करना

1.6.2 राज्य विभाग

राज्य स्तर पर संबंधित पंचायती विभागी (डीओपीआर) द्वारा पीपीसी का समन्वय किया जाएगा। डीओपीआर समयबद्ध ढंग से निम्नलिखित गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा :

- अधिकार प्राप्त समिति का गठन
- राज्य स्तर पर विस्तृत दिशानिर्देश तैयार करना
- राज्य स्तर पर अनुकूल माहौल का निर्माण करना
- संसाधन आवरण तथा निधियों के प्रवाह के लिए सहायता प्रणालियां स्थापित करना, जिला एवं ब्लाक स्तर पर व्यवस्थाओं का समन्वय करना, कार्मिक प्रबंधन, प्रौद्योगिकी सहायता,
- प्रशासनिक एवं तकनीकी अनुमोदन
- कार्यान्वयन व्यवस्था
- बीपीडीपी और डीपीडीपी तैयार करने के लिए स्थापित राज्य / जिला तथा ब्लाक नियंत्रण कक्षों के कामकाज की निगरानी करना
- जवाबदेही प्रणालियां

1.6.3 नोडल अधिकारी

तीन स्तरों पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी जहां पहले स्तर की नियुक्ति राज्य स्तर पर की जाएगी। पंचायती राज विभाग (डीओपीआर) राज्य नोडल अधिकारी (एसएनओ) की नियुक्ति करेगा। दूसरे स्तर के नोडल अधिकारी जिला स्तर पर होंगे और इसके द्वारा ब्लाक स्तर पर नोडल अधिकारी की नियुक्ति का अनुवर्तन किया जाएगा। नोडल अधिकारी निम्नलिखित गतिविधियों के संचालन के लिए जिम्मेदार होंगे :

- नोडल अधिकारी संपूर्ण प्रक्रिया के समन्वय एवं निगरानी का सुनिश्चय करेंगे।
- सभी स्तरों पर अंतर्विभागीय समन्वय का सुनिश्चय करेंगे।
- ग्राम पंचायत आयोजना एवं सुगमता टीम (जीपीपीएफटी) को सहायता प्रदान करेंगे
- मध्यवर्ती एवं जिला पंचायत आयोजना समिति तथा सेक्टोरल कार्य समूहों (एसडब्ल्यूजी) को सहायता प्रदान करेंगे
- अभियान से पहले, अभियान के दौरान और इसके बाद रिपोर्टिंग एवं निगरानी।

1.6.4 सुगमता प्रदाता

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत / ब्लाक पंचायत / जिला पंचायत के लिए सुगमता प्रदाता की नियुक्ति की जाएगी। विकास योजना तैयार करने में सुगमता प्रदाता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्राम स्तर के सभी समुदायों को औपचारिक या अनौपचारिक रूप से योजना की तैयारी में शामिल करने की आवश्यकता होती है। उनकी भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि उनको पंचायत स्तर पर समुदायों के साथ काम करने के साथ ही सभी संबद्ध मंत्रालयों के साथ भी काम करना होता है। सुगमता प्रदाताओं के चयन के दौरान बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। राज्य / संघ राज्य क्षेत्र सुगमता प्रदाता के रूप में नामांकन के लिए सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (सीआरपी), प्रशिक्षित सामाजिक लेखा परीक्षकों या अधिकारियों, सेवानिवृत्त ईआर सहित अन्य उपयुक्त व्यक्तियों पर विचार कर सकते हैं। फोकस निजी गुणों पर होना चाहिए जैसे कि ऐसे लोग जो समुदाय से जुड़े हैं या जो सुगमता प्रदाता के कार्यों को पूरा करने के लिए पहले से प्रशिक्षित हैं। सुगमता प्रदाताओं के चयन के बाद उनको उनकी विस्तृत भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों के बारे में अवगत कराया जाना चाहिए। यह भी महत्वपूर्ण है कि चयनित सुगमता प्रदाता ग्राम सभा में सत्यापन प्राप्त करने के लिए विभिन्न कसौटियों के तहत स्कोरिंग के लिए एमए फार्मेट का प्रयोग करके मिशन अंत्योदय

(एमए) के अनुसार गरीबी कटौती सर्वेक्षण की मैपिंग करने में समर्थ हों। जीपीडीपी के लिए तैयारी के अंग के रूप में सुगमता प्रदाताओं से प्राथमिकता के आधार पर निम्नलिखित कार्य करने की अपेक्षा होगी :

- प्रतिभागी मंत्रालयों / विभागों के फ्रंटलाइन स्टाफ के साथ समन्वय स्थापित करना
- जीपीडीपी के लिए निर्धारित तारीख को विशेष ग्राम सभा के आयोजन में सहायता प्रदान करना
- ग्राम सभा के दौरान एससी / एसटी / महिलाओं / अल्पसंख्यकों / विकलांगों जैसे कमजोर वर्गों सहित समुदाय के शामिल होने का सुनिश्चय करना। ग्राम सभा में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए समुदाय आधारित संगठनों (सीबीओ) जैसे एसएचजी / युवा समूह / महिला मंडल तथा अन्य की सहायता की जा सकती है।
- ग्राम पंचायत / ब्लाक पंचायत / जिला पंचायत में ग्राम सभा के संचालन के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करना (सुगमता प्रदाता की रिपोर्ट का सांचा अनुलग्नक 1ख के रूप में उपलब्ध है)
- जीपीडीपी को तैयार करने में ग्राम सभा की सहायता करना
- ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अनुमोदित जीपीडीपी को अपलोड करना

1.6.5 फ्रंटलाइन वर्कर

29 विषयों से संबंधित सभी विभागों द्वारा नियुक्त फ्रंटलाइन वर्कर जीपीडीपी में विभिन्न योजनाओं के तहत गतिविधियों का अभिसरण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पीपीसी के दौरान उनके द्वारा निभाई जाने वाली जिम्मेदारियां नीचे दी गई हैं :

- संबंधित विभागों की विभिन्न योजनाओं के संबंध में डेटा एकत्र करना और अपडेट करना
- पिछले वित्त वर्ष में प्रस्तावित गतिविधियों तथा संवितरित निधि का स्टेटस प्रदान करना, डेटा को विस्तृत स्थिति रिपोर्ट में शामिल किया गया है
- ग्राम सभा में संक्षिप्त सुगठित प्रस्तुति देना जिसमें विभाग की योजनाओं, गतिविधियों, संसाधनों का विवरण हो
- फ्रंटलाइन वर्कर मसौदा जीपीडीपी को विस्तार से पढ़ेंगे तथा ग्राम पंचायत द्वारा आयोजित विकास सेमिनार में फीडबैक एवं सुझाव प्रदान करेंगे

(फ्रंटलाइन वर्कर / संबद्ध विभागों द्वारा माडल प्रस्तुति अनुलग्नक *3* के रूप में संलग्न है)

1.5 केंद्रीय स्तर पर अभियान की तैयारी के लिए समय सीमा

पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) गतिविधियों की विस्तृत अनुसूची का पालन करते हुए

समयबद्ध ढंग से पीपीसी लांच करेगा :

- मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को सूचना पत्र
- सभी निगरानी प्लेटफार्मों जैसे कि जीपीडीपी पोर्टल आदि को सक्रिय करना
- नोडल अधिकारियों (राज्य, जिला एवं ब्लाक स्तर) की नियुक्ति
- प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए सुगमता प्रदाताओं की नियुक्ति
- हितधारकों के लिए प्रशिक्षण माड्यूल तैयार करना
- सुगमता प्रदाताओं तथा सभी हितधारकों के लिए प्रशिक्षण माड्यूल शुरू करना
- ग्राम सभा की बैठकों की अनुसची को अंतिम रूप देना
- ग्राम सभा वार कैलेण्डर को अपलोड करना
- प्रत्येक ग्राम पंचायत में सभी कार्यक्रमों पर सार्वजनिक सूचना बोर्डों का प्रदर्शन
- ग्राम सभा की बैठकों के लिए परिनियुक्ति आदेश

जारी करना (गतिविधि की समय सीमा अनुलग्नक 1ग के

रूप में उपलब्ध है)

1.6 राज्य स्तर पर अभियान की तैयारी के लिए समय सीमा

राज्य स्तर पर पंचायती विभागी (डीओपीआर) द्वारा पीपीसी का समन्वय किया जाएगा। डीओपीआर समयबद्ध ढंग से निम्नलिखित गतिविधियों के कार्यान्वयन को प्रोसेस करेगा :

- राज्य, जिला और ब्लाक स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति
- प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए सुगमता प्रदाताओं की नियुक्ति
- सुगमता प्रदाताओं के लिए प्रशिक्षण माड्यूल तैयार करना
- सुगमता प्रदाताओं तथा सभी हितधारकों के लिए प्रशिक्षण माड्यूल शुरू करना
- ग्राम सभा की बैठकों की अनुसची को अंतिम रूप देना
- ग्राम सभा वार कैलेण्डर को अपलोड करना
- प्रत्येक ग्राम पंचायत में सभी कार्यक्रमों पर सार्वजनिक सूचना बोर्डों का प्रदर्शन
- ग्राम सभा की बैठकों के लिए परिनियुक्ति आदेश जारी करना

- ग्राम सभा की बैठकों के जियो-टैग वाले विजुअल अपलोड करना
- ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अनुमोदित योजना को प्रकाशित करना

1.7 अभियान की समय सीमा अनुरूप जीपीडीपी कैलेंडर तैयार करना

जीपीडीपी तैयार करने के लिए ग्राम सभाओं के आयोजन के लिए ग्राम पंचायत वार कैलेण्डर को जिला / राज्य / स्तर पर अंतिम रूप दिया जाएगा। 2 अक्टूबर, 2021 से 31 जनवरी, 2022 तक अभियान की अवधि के दौरान तैयार किए गए कैलेण्डर को पंचायती राज मंत्रालय के ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। जीपीडीपी का कैलेण्डर तैयार करने के लिए संविधान की 11वी अनुसूची में शामिल 29 विषयों से संबंधित संबद्ध विभागों के फ्रंटलाइन वर्कर की उपस्थिति आवश्यक है। चूंकि ग्राम सभा में फ्रंटलाइन वर्कर का भाग लेना महत्वपूर्ण है इसलिए यह उचित होगा कि एक दिन में ग्राम सभा की दो से अधिक बैठकें निर्धारित न की जाएं। तथापि, राज्य उसी दिन ब्लाक स्तर पर ग्राम सभा की एक से अधिक बैठकें निर्धारित कर सकते हैं, यदि ग्राम सभा की सभी बैठकों में संबद्ध विभागों के फ्रंटलाइन वर्कर की उपस्थिति सुनिश्चित हो। इसके बाद, ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करने से पूर्व अंतिम जीपीडीपी के अनुमोदन के लिए अभियान की अवधि के अंदर ग्राम सभा की दूसरी बैठक निर्धारित करने की भी आवश्यकता हो सकती है। कैलेण्डर तैयार करते समय राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को कोविड-19 महामारी की स्थानीय स्थित को भी ध्यान में रखना चाहिए।

1.8 अभियान की गतिविधियों की प्रगति की रिपोर्टिंग एवं निगरानी

राष्ट्रव्यापी अभियान की सफलता प्रवाही संचार तथा निगरानी प्रणाली पर निर्भर होती है। सभी पक्षों से सूचना के प्रभावी साझाकरण का सुनिश्चय करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने अभियान की प्रगति की निगरानी करने के लिए 2018 में एक पोर्टल (www.gpdp.nic.in) शुरू किया है। अभियान से पहले, अभियान के दौरान और इसके बाद विभिन्न गतिविधियों का मूल्यांकन करने के लिए राज्यों को पोर्टल पर विभिन्न रिपोर्टिंग फार्मेट में अद्यतन सूचना प्रदान करने की आवश्यकता होती है। सभी राज्यों के पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभागों के प्रधान सचिवों से इस अभियान के लिए तुरंत संबंधित नोडल अधिकारी (एनओ) नियुक्त करने का अनुरोध किया जाता है। संबंधित नोडल अधिकारियों द्वारा राज्य स्तर पर पोर्टल को संचालित करने के लिए प्रयोक्ता नाम और पासवर्ड केंद्रीय स्तर पर पंचायती राज मंत्रालय द्वारा सृजित किया जाएगा। जिला, ब्लाक और ग्राम पंचायत स्तर के सुगमता प्रदाताओं के लिए प्रयोक्ता नाम और पासवर्ड उनके अगले उच्च स्तर के नोडल अधिकारियों द्वारा सृजित

किया जाएगा। इसी तरह, संबंधित संबद्ध विभागों के राज्य स्तरीय नोडल अधिकारियों को प्रयोक्ता नाम एवं पासवर्ड प्रदान किए जाएंगे। संबद्ध विभागों के ये राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी फ्रंटलाइन वर्कर की नियुक्ति करने तथा उनका नाम अपलोड करने के लिए जिम्मेदार होंगे, जो निर्धारित तिथियों को ग्राम सभा की बैठकों के लिए प्रतिनियुक्त किए जाएंगे।

राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न गतिविधियों का समन्वय करने के लिए तथा विभिन्न राज्यों के साथ प्रभावी संचार का सुनिश्चय करने के लिए भी पंचायती राज मंत्रालय एक कार्यक्रम प्रबंधन यूनिट (पीएमयू) का गठन करेगा जो तकनीकी समस्याओं का समाधान करने में मदद करेगी।

1.8.1 प्राथमिकता के आधार पर जीपीडीपी के विकास के लिए ग्राम पंचायत को सक्रिय करना

डीएसआर रिपोर्ट के आधार पर ग्राम सभा को चाहिए कि वह पूरी ग्राम पंचायत को शामिल करते हुए चिन्हित प्रमुख विषयगत क्षेत्रों में सुधार के लिए विस्तृत विजन पर चर्चा करे और विकसित करे। आर्थिक विकास, गरीबी कटौती, जल एवं स्वच्छता, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन आदि पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है। जीपीपीएफटी स्थानीय विकास के अंतरालों को पाटने के लिए लोगों की प्राथमिक आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठकों में विचार-विमर्श में मदद करेगी।

1.8.2 ई-ग्राम स्वराज पर जीपीडीपी को अपलोड करना

निर्धारित फार्मेट में जीपीडीपी के निर्माण और बारीकी से समीक्षा के बाद तथा निर्धारित ढंग से ग्राम सभा में अनुमोदन के साथ अंतिम योजना को ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर समय से अपलोड किया जाना चाहिए।

जन योजना अभियान **2021** के स्नैपशॉट **:** गतिविधियां

- प्रत्येक ग्राम पंचायत / ग्रामीण स्थानीय निकाय के लिए सुगमता प्रदाता की नियुक्ति
- ग्राम सभा के आयोजन के लिए ग्राम सभा वार कलेण्डर को अंतिम रूप देना
- निर्धारित तिथियों को ग्राम सभा की बैठकों में सुगठित प्रस्तुति के लिए 29 विषयों से संबंधित सभी विभागों के प्रतिनियुक्त किए जाने वाले फ्रंटलाइन वर्कर की नियुक्ति।
- जीपीडीपी के लिए विशेष ग्राम सभा का आयोजन करना

- प्रत्येक ग्राम पंचायत में सार्वजनिक सूचना बोर्ड का प्रदर्शन तथा पीपीसी अभियान पोर्टल पर इसके जियो-टैग किए गए फोटोग्राफ को अपलोड करना।
- ग्राम सभा की चल रही बैठकों के जियो-टैग वाले फोटोग्राफ अपलोड करना
- जीपीडीपी तैयार करना
- ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अनुमोदित योजना को प्रकाशित करना

इसके अलावा, अभियान की कारगरता का पता लगाने के लिए अभियान के दौरान उनका सर्वेक्षण करने के लिए राष्ट्र स्तरीय मानीटर (एनएलएम) भी तैनात किए जाएंगे। एनएलएम से पूरे देश में यादृच्छिक चयन के आधार पर कुछ ग्राम पंचायतों, ब्लाक पंचायतों तथा जिला पंचायतों को कवर करने की अपेक्षा होती है। वे इस अभियान के प्रभाव पर फर्स्ट- हैंड प्राथमिक सूचना प्रदान करेंगे तथा ग्राम सभाओं में फ्रंटलाइन वर्कर / पर्यवेक्षकों की भागीदारी के स्तर का भी सुनिश्चय करेंगे।

टिप्पणी : 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों के मामले में संबंधित राज्यों के पीईएसए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा।

1.9 तथ्य एवं आंकड़े : जन योजना अभियान 2018, 2019 और 2020

2018 में शुरू किए गए अभियान को 29 राज्यों एवं 6 संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया गया तथा एफएफसी के अनुदानों के अनुसार उपलब्ध संसाधन आवरण की मदद से ग्राम पंचायत स्तर पर वित्तीय योजना तैयार की गई। अभियान के पहले वर्ष के दौरान कुल 2.39 लाख जीपीडीपी तैयार की गई जिसके लिए 2.56 लाख ग्राम पंचायतों को कवर करते हुए कुल 3.35 लाख सुगमता प्रदाता नामित किए गए थे। संबद्ध विभागों से लगभग 10.84 लाख फ्रंटलाइन वर्कर नियुक्त किए गए। 2018 में, 2.47 लाख ग्राम पंचायतों में मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण भी साथ-साथ संचालित किया गया। अभिसरण की दृष्टि से कुल 37 संबद्ध विभागों ने ग्राम पंचायत स्तर पर भाग लिया और 1, 94,764 सार्वजनिक सूचना बोर्ड लगाए गए हैं।

ग्राम पंचायत स्तर पर प्रभावी ढंग से योजना बनाने के लिए तथा राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों को हैंड-होल्डिंग सहायता प्रदान करने के लिए पीआरआई अधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा एनआईआरडी एंड पीआर के सहयोग से पंचायती राज मंत्रालय द्वारा कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। राज्यों के समूहों के साथ कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिसमें क्रमश: निम्नलिखित शामिल थे :

- 10 पीईएसए राज्य

- अधिक तुंगता वाले 5 हिमालयन राज्य
- 8 पूर्वोत्तर राज्य
- 6 राज्य जहां से गंगा नदी गुजरती है।

योजना वर्ष 2020-21 के लिए 2019 में अभियान के दौरान ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर 2.48 लाख जीपीडीपी को अपलोड किया गया है। इस अभियान के दौरान संबद्ध विभागों के 2.55 लाख सुगमता प्रदाताओं तथा 13.20 लाख फ्रंटलाइन वर्कर को नियुक्त किया गया। इस बार भी अधिक भागीदारी के साथ सभी ग्राम पंचायतों में एक साथ मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण किया गया।

योजना वर्ष 2021-22 के लिए 2020 में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर 2.56 लाख से अधिक जीपीडीपी को अपलोड किया गया है। मध्यवर्ती तथा जिला पंचायतों के मामले में, अब तक 3500 से अधिक बीपीडीपी तथा 253 डीपीडीपी तैयार की गई हैं तथा पोर्टल पर अपलोड की गई हैं। इस प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए 297699 सुगमता प्रदाता तथा 1456556 फ्रंटलाइन वर्कर नियुक्त किए गए हैं।

अध्याय 2 : क्षमता निर्माण

पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) ने माडल दिशानिर्देश तैयार करने की पहल की तथा ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी), ब्लाक पंचायत विकास योजना (बीपीडीपी) और जिला पंचायत विकास योजना (डीपीडीपी) तैयार करने की दिशा में काम करने के लिए राज्यों को परिचालित किया। पंचायती राज मंत्रालय के दिशानिर्देशों के आधार पर सभी राज्यों ने अपने राज्य विशिष्ट दिशानिर्देश अधिसूचित किए थे। तब से संबंधित राज्य के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्यों द्वारा जीपीडीपी तैयार की जा रही थी और कार्यान्वित की जा रही थी।

2.1 हितधारकों का क्षमता निर्माण

पंचायतों में सीबीएंडटी के प्रमुख हितधारकों को अक्सर निर्वाचित प्रतिनिधि तथा सहायक कर्मचारी के रूप में समझा जाता है। तथापि, विकास कार्यक्रमों की आयोजना एवं कार्यान्वयन सहित अभिशासन के बुनियादी कार्यों में राष्ट्रीय, राज्य, जिला और उप जिला स्तर पर सीबीएंडटी में व्यापक श्रेणी की संस्थाएं और मानव संसाधन भी शामिल होते हैं। ब्लाक एवं जिला विकास योजना के मामले में निर्वाचित प्रतिनिधियों, पंचायत कर्मचारियों, योजना समिति के सदस्यों, सेक्टोरल कार्य समूह के सदस्यों, संबद्ध विभागों के कर्मचारियों, समुदाय के रहनुमाओं, सिविल सोसायटी के संगठनों तथा सभी प्रासंगिक एजेंसियों की भागीदारी आवश्यक है। सीबीएंडटी में इन सभी कर्ताओं एवं एजेंसियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। संबंधित नोडल प्रशिक्षण संस्था (संस्थाओं) के माध्यम से राज्य सरकार को चाहिए कि वह अनेक विषयपरक क्षेत्रों में इन सभी हितधारकों की क्षमता निर्मित करे।

जीपीडीपी तैयार करने की प्रक्रिया में, उनके इनपुट के साथ विकास योजना को अंतिम रूप देने से पूर्व सार्थक ढंग से सभी प्रासंगिक हितधारकों की भागीदारी एवं इनपुट का सुनिश्चय करना महत्वपूर्ण है। जीपीडीपी तैयार करने में निम्नलिखित हितधारकों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी तथा इनकी क्षमता को संवारने की आवश्यकता है ताकि वे कारगर ढंग से योगदान कर सकें :

- ग्राम सभा (जीएस) के संघटक
- सुगमता प्रदाता
- तीन स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के कर्मचारी
- ब्लाक स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी (पीओ)
- जिला कार्यक्रम समन्वयक (डीपीसी)
- राज्य सरकार के कर्मचारी

- ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) के कर्मचारी
- संबद्ध विभागों के फ्रंटलाइन वर्कर
- सिविल सोसायटी के प्रतिनिधि
- अन्य हितधारक [अर्थात संबद्ध विभाग, अभिसरण विभाग, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) आदि]

2.2 पीपीसी के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल

ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती पंचायत (आईपी) और जिला पंचायत (डीपी) के निर्वाचित प्रतिनिधियों, कर्मचारियों, सुगमता प्रदाताओं तथा अन्य प्रासंगिक हितधारकों का क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण (सीबीएंडटी) ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी), ब्लाक पंचायत विकास योजना (बीपीडीपी) और जिला पंचायत विकास योजना (डीपीडीपी) की बेहतर आयोजना, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए पूर्वापेक्षा है। प्रत्येक राज्य को प्रभावी बीपीडीपी एवं डीपीडीपी के लिए सीबीएंडटी के लिए उपयुक्त रणनीति एवं कार्य योजना तैयार करनी होगी। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडी एंड पीआर), हैदराबाद को अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए तथा संबंधित राज्यों के एसआईआरडी के समन्वय में प्रत्येक भिन्न हितधारक के लिए अनुकूलित प्रशिक्षण माड्यूल का विकास करना चाहिए। आयोजना, सुशासन, एसडीजी एकीकरण, फोकस क्षेत्र के मुद्दे तथा राष्ट्रीय महत्व से जुड़े मुद्दे माड्यूल के अंग होने चाहिए। महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विकास का मूल्यांकन करने तथा समस्याओं को दूर करने के लिए पंचायत निर्णय सहायता प्रणाली (पीडीएसएस), योजना एवं रिपोर्टिंग डैशबोर्ड और मिशन अंत्योदय के पैरामीटरों की अंतराल रिपोर्टों का प्रयोग करने में पीआरआई के कर्मचारियों एवं हितधारकों को सक्षम बनाने पर बल दिया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विकास का मूल्यांकन करने तथा समस्याओं को दूर करने के लिए पंचायत निर्णय सहायता प्रणाली (पीडीएसएस), योजना एवं रिपोर्टिंग डैशबोर्ड और मिशन अंत्योदय के पैरामीटरों की अंतराल रिपोर्टों का प्रयोग करने में पीआरआई के कर्मचारियों एवं हितधारकों को सक्षम बनाने पर बल दिया जाना चाहिए।

2.3 हितधारकों का प्रशिक्षण

परंपरागत रूप से पंचायती राज संस्थाओं का क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण अधिकांशत: फेस-टू-फेस क्लासरुम प्रशिक्षण पर आधारित है। परंतु मार्च, 2020 से कोविड-19 के प्रसार तथा इसके फलस्वरूप यात्रा पर प्रतिबंधों एवं सामाजिक दूरी मानदंडों के कारण फेस-टू-फेस प्रशिक्षण की गतिविधियों का आयोजन करना मुश्किल हो गया। तथापि, अनेक राज्यों द्वारा प्रशिक्षण के वैकल्पिक तरीकों का प्रयोग किया गया, उदाहरण के लिए, फ्रंटलाइन वर्कर के प्रशिक्षण के लिए

जूम, गूगल मीट, वेबेक्स जैसे वेब आधारित एप्लीकेशन का प्रयोग।

इस अभियान में कोविड महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्यों द्वारा प्रशिक्षण के उपयुक्त तरीके का प्रयोग किया जा सकता है। तथापि, आनलाइन प्रशिक्षण इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए कि वे रचनात्मक, संवादात्मक, प्रासंगिक तथा शिक्षु केंद्रित हों। संसाधन व्यक्तियों को डिजीटल शैक्षणिक मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए और शिक्षुओं को विषयवस्तु की अवधारणा को समझने में समर्थ बनाना चाहिए तथा प्रश्न पूछकर और फीडबैक को सुगम बनाकर सीखने के क्षेत्र का विस्तार करना चाहिए।

अध्याय 3 : जीपीडीपी तैयार करने के लिए ग्राम सभा

''पंचायतों को अधिक शक्ति प्रदान करना लोगों के लिए बेहतर है''

- महात्मा गांधी

ग्राम सभा पंचायती राज का आलंब है; यह अभिशासन में लोगों की भागीदारी का मंच है। यह गांव के लोगों को अपने इलाके के विकास के लिए योजना प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर प्रदान करती है तथा प्रशासन को पारदर्शी भी बनाती है। इन कारकों की पृष्ठभूमि में निर्वाचित प्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं मतदाताओं की यह देखना जिम्मेदारी है कि ग्राम सभा नियमों एवं अपेक्षाओं के अनुसार काम करती है।

ग्राम पंचायतों को उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ग्रामीण भारत के कायाकल्प के लिए राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर महत्वपूर्ण योजनाओं के प्रभावी एवं दक्ष कार्यान्वयन में ग्राम पंचायतों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है।

ग्राम सभा की अनुसूची

ग्राम सभा में यह अभियान 2 अक्टूबर को शुरू किया जाएगा। अभियान की अवधि के दौरान 2 विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन करने की आवश्यकता होती है। पहली ग्राम सभा का आयोजन डीएसआर में चिन्हित अंतरालों के आधार पर आवश्यकताओं की प्राथमिकता निर्धारित करने तथा विजन तैयार करने की कवायद पूरी करने के लिए किया जाना चाहिए। फ्रंटलाइन वर्कर को सभी संबद्ध विभागों की गतिविधियों के संबंध में संक्षिप्त सुगठित प्रस्तुति देनी होती है। दूसरी ग्राम सभा में मसौदा जीपीडीपी अनुमोदन के लिए ग्राम सभा के समक्ष रखी जाएगी।

3.1 ग्राम सभा का एजेंडा

यद्यपि ग्राम सभा ग्राम पंचायत से संबंधित किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए स्वतंत्र है, फिर भी कुछ एजेंडा ऐसे हैं जिन पर अनिवार्य रूप से चर्चा होनी चाहिए। ये एजेंडा इस प्रकार हैं :

- ग्राम पंचायत का वार्षिक लेखा विवरण।
- पिछले वित्त वर्ष की रिपोर्ट, ग्राम पंचायत द्वारा पिछले आडिट नोट और जवाब, यदि कोई हो।

- अगले वित्त वर्ष के लिए ग्राम पंचायत का बजट।
- पिछले वर्ष के संबंध में ग्राम पंचायत के विकास कार्यक्रमों से संबंधित रिपोर्ट।
- 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुदान के आवंटन को ध्यान में रखते हुए वर्तमान वर्ष के दौरान संचालित करने के लिए प्रस्तावित विकास कार्यक्रम।
- सतर्कता समिति की रिपोर्टें।
- वार्ड सभा / महिला सभा और बाल सभा की सिफारिशें।
- ग्राम सभा ऐसे प्रस्तावों पर भी चर्चा कर सकती है जो उसकी राय में वार्ड के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं, हालांकि वार्ड सभा में उसे अपने एजेंडा में शामिल नहीं किया है।
- योजनाओं एवं कार्यक्रमों के लिए निधियों का उपयोग।

3.2 सफल ग्राम सभा के लिए अपनाए जाने वाले चरण

ग्राम सभा में प्रभावी भागीदारी का सुनिश्चय करने के लिए सभी सदस्यों को समय से औपचारिक रूप से एवं अनिवार्य रूप से सूचित किया जाना चाहिए। समुदाय की अधिक भागीदारी के लिए सोशल मीडिया सहित सभी उपलब्ध चैनलों के माध्यम से व्यापक प्रसार का सुनिश्चय किया जाना चाहिए। ग्राम सभा आयोजना के कैलेण्डर का सांचा अनुलग्नक ***1***क के रूप में उपलब्ध है।

3.2.1 औपचारिक अधिसूचना

ग्राम सभा के आयोजन से पूर्व राज्य के मौजूदा मानदंडों के अनुसार नोटिस जारी करना महत्वपूर्ण है। व्यापक प्रचार का सुनिश्चय किया जाना चाहिए। ढोल बजाकर तथा पंचायत भवन, स्कूलों एवं स्थानीय बाजार स्थल पर नोटिस चिपकाकर भी ग्राम सभा के नोटिस का प्रचार किया जा सकता है।

- ग्राम सभा का नोटिस सभी मतदाताओं को निर्धारित तिथि से कम से कम एक सप्ताह पहले मिल जाना चाहिए।
- नोटिस में ग्राम सभा की तारीख, समय, स्थान और एजेंडा का अनिवार्य रूप से उल्लेख होना चाहिए।
- ग्राम सभा का एजेंडा स्पष्ट एवं सरल भाषा में लिखा होना चाहिए ताकि लोग उसे आसानी से समझ सकें।

3.2.2 सभी वर्गों के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना

ग्राम विकास योजनाएं तैयार करते समय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों

तथा अन्य कमजोर वर्गों से ताल्लुक रखने वाले लोगों के उत्थान पर बल दिया जाना चाहिए। हमें ग्राम सभा की बैठकों में उनकी बेहतर भागीदारी का सुनिश्चय करना होगा तथा अपनी अनुभूत आवश्यकताओं एवं शिकायतों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने के लिए उनको अवसर प्रदान करना होगा।

उनकी बेहतर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, ग्राम सभा के आयोजन से संबंधित सूचना का ऐसे क्षेत्रों में व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए जहां अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों से ताल्लुक रखने वाले लोग रहते हैं। यदि ग्राम सभा की अगली बैठक से पूर्व उनकी शिकायतें दूर कर दी जाती हैं, तो ग्राम सभा पर उनका विश्वास बढ़ेगा तथा वे ग्राम सभा की बैठकों में नियमित रूप से भाग लेने के लिए अधिक रूचि प्रदर्शित करेंगे।

यदि कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए ग्राम सभा का आयोजन करना संभव न हो, तो ग्राम पंचायत वार्ड स्तर पर समुदायों के अंदर छोटी बैठकों का आयोजन कर सकती है और ग्राम पंचायत विकास योजना में शामिल करने के लिए वार्ड स्तर की सभी विकास योजनाओं का मिलान कर सकती है। साथ ही, यदि पंचायत स्तर पर ग्राम सभा का आयोजन करना संभव न हो, तो ग्राम पंचायत परिषद पंचायत स्तरीय जीपीडीपी के अनुमोदन के लिए अपने सभी सदस्यों की बैठक बुला सकती है तथा बाद में ग्राम सभा की सहमति प्राप्त कर सकती है जब ग्राम सभा की बैठक बुलाई जाती है।

3.2.3 महिला सभा और बाल सभा के माध्यम से महिलाओं और बच्चों की भागीदारी

ग्राम सभाओं में महिलाओं की भागीदारी से संभव है कि पंचायतों की कारगरता में वृद्धि हो। यह दूसरा मामला है कि महिलाएं ग्राम सभाओं में शायद ही भाग लेती हैं जिसका मुख्य कारण सामाजिक रीतिरिवाज एवं परंपराएं हैं। बुनियादी स्तर के लोकतंत्र में महिलाओं की आवाज को बुलंद करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने राज्य सरकारों से पंचायत की महिला मतदाताओं के लिए अलग से महिला सभाओं का आयोजन करने का आग्रह किया है। इसका उद्देश्य ग्राम सभा के संकल्पों में महिलाओं से जुड़े मुद्दों, विशेष रूप से महिलाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों को शामिल करना है। महिला सभाओं के आयोजन में और महिलाओं से जुड़ी समस्याओं को पेश करने में राज्य के महिला स्वयं सहायता समूहों को शैक्षणिक स्तर को ऊपर उठाने, पानी एवं स्वच्छता की समस्याओं - ये ऐसे विषय हैं जिन पर आमतौर

पर पुरूषों द्वारा चर्चा नहीं की जाती है, को दूर करने के लिए इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए शामिल किया जा सकता है।

कोविड की इन परिस्थितियों में यह उचित होगा कि ग्राम पंचायत पहल करे तथा महिला स्वयं समूहों एवं ग्राम समुदाय आधारित संगठनों (सीबीओ) के माध्यम से सक्रिय प्रचार द्वारा ग्राम सभा में महिलाओं की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करे। यह कार्य महिला वार्ड सदस्यों तथा अन्य सदस्यों की सहायता से किया जा सकता है।

महिला सभाओं के आयोजन में बैठक का स्थान भी उपस्थिति से संबंधित निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि महिलाओं द्वारा प्रतिबंधों का सामना किए जाने की संभावना होती है या गांव के अंदर कुछ स्थानों पर जाने में उनको असुविधा हो सकती है। उपलब्धता तथा अन्य बातों के आधार पर विभिन्न स्थानों पर महिला सभा की बैठकें आयोजित की जानी होती हैं।

निर्णय लेने में ग्राम पंचायत के बच्चों की आवाज को बुलंद करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय बच्चों की समस्याओं एवं सरोकारों को उठाने के लिए ग्राम पंचायत में बाल सभाओं के आयोजन पर राज्य सरकारों को सलाह दे रहा है। उल्लेखनीय है कि बच्चों की भागीदारी बच्चों के अधिकार पर अभिसमय (सीआरसी) का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। हमारी राष्ट्रीय आयोजना प्रक्रिया के केंद्र में दूरदराज के क्षेत्रों से बच्चों की आवाज को बुलंद करने के लिए बाल सभाएं शुरू करना उन प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने के सर्वाधिक कारगर तरीकों में से एक है जो बच्चों के लिए देश में की है। कोविड-19 महामारी की अवधि के दौरान यह उचित होगा कि पीआरआई कर्मचारी बच्चों के साथ आनलाइन चर्चा का आयोजन करें ताकि यह साझा किया जा सके कि ग्राम पंचायत विकास योजना प्रक्रिया में बच्चों की मुद्दों को कैसे शामिल किया जा सकता है।

3.2.3 ग्राम सभा के लिए कोरम

राज्य के प्रासंगिक पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा की बैठक के लिए कोरम का पालन करने की आवश्यकता होती है। यदि कोरम के अभाव में पहली बैठक स्थगित कर दी जाती है, तो बैठक अगली तारीख तक स्थगित हो जाएगी और प्रक्रिया राज्य पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होगी। तथापि, उद्देश्य यह होना चाहिए कि ग्राम सभा में कम से कम 10 प्रतिशत उपस्थिति हो ताकि यह सही मायने में सार्थक एवं सहभागितापूर्ण कवायद हो सके।

अध्याय 4: ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करना

4.1 ग्राम पंचायत योजना सुगमकर्ता दल (जीपीपीएफटी) का गठन

ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) एक महत्वपूर्ण पहल है जिसमें लोगों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में निरंतर उनकी सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। इस विजन को प्राप्त करने के लिए, समर्पित और दृढ़ मानव संसाधन के एक ऐसे समूह की आवश्यकता होगी जो स्वेच्छा से या परोपकारी रूप से अपनी सेवाओं को समर्पित कर सके। स्वेच्छा से इस कार्य के लिए आगे आने वाले लोगों के समूह को **ग्राम पंचायत योजना सुगमकर्ता दल (जीपीपीएफटी)** कहा जाएगा, जो जीपीडीपी के प्रत्येक चरण में - अर्थात् योजना तैयार करने के लिए परिवेश निर्माण से लेकर ग्राम सभा में योजना के अनुमोदन और गतिविधियों के कार्यान्वयन तक - शामिल होगा। जीपीपीएफटी के सदस्यों की संख्या ग्राम पंचायतों के प्रधान / सरपंच / अध्यक्ष की अध्यक्षता के अधीन भिन्न-भिन्न हो सकती है। बड़ी संख्या में नेकनीयत/परोपकारी/स्वयंसेवी मानव संसाधनों को शामिल किया जाना चाहिए, जो समग्र और दूरदर्शी योजना तैयार करने में ग्राम पंचायतों की मदद कर सकते हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर क्षेत्र-संबंधी/संबंधित विभागों के प्रतिनिधि अनिवार्य रूप से इस टीम के सदस्य होने चाहिए। इसके अलावा, ग्राम पंचायतों के ऐसे नागरिकों, जो देश में या बाहर किसी अन्य स्थान पर कार्य कर रहे हैं या रह रहे हैं, को भी जीपीपीएफटी का सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य ग्राम पंचायत क्षेत्र के सतत विकास के लिए उन लोगों के ज्ञान/कौशल और विशेषज्ञता का उपयोग करना है।

जीपीपीएफटी, संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसरण में जीपीडीपी तैयार करने की पद्धति का पालन करने और सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वय सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।

ग्राम पंचायत जीपीडीपी की समुदाय-आधारित योजना प्रक्रियाओं को सुकर बनाने के लिए, जीपीपीएफटी के सदस्यों को संबंधित वार्ड सदस्यों की अध्यक्षता में न्यूनतम 3-5 सदस्यों वाले "वार्ड योजना सुगमकर्ता दल" (डब्ल्यूपीएफटी) में बांट सकती है। डब्ल्यूपीएफटी, यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि उनके विशिष्ट वार्ड के सभी सदस्य और निवासी किसी बाधा के बिना और निःसंकोच होकर सक्रिय रूप से योजना प्रक्रिया में भाग लें।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि ग्राम पंचायतों के अंतर्गत प्रत्येक विषयगत क्षेत्र को कवर किया जाता है, जीपीपीएफटी के सदस्य अपने प्रासंगिक क्षेत्र अनुभव या विशिष्ट विषयों को प्रेरित करने के आधार पर,

मानव विकास कार्य समूह, महिला और बाल विकास कार्य समूह, आजीविका विकास कार्य समूह जैसे समूहों की स्थापना भी कर सकते हैं। इसके अलावा, सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा कार्य समूह के साथ-साथ अवसंरचना और विविध कार्य समूह का भी गठन किया जा सकेगा। इसके अलावा, ग्राम पंचायतें अपनी स्थानीय जरूरतों के आधार पर अन्य कार्य समूहों का गठन कर सकती है। ऐसे समूह पर्यावरण संरक्षण समूह, स्थानिक योजना और आपदा प्रबंधन योजना आदि के लिए हो सकते हैं। संबंधित विषयगत क्षेत्रों की स्थायी/कार्यात्मक समिति का अध्यक्ष कार्य समूह की अध्यक्षता करेगा। संबंधित विभाग का ब्लॉक स्तरीय अधिकारी या क्षेत्र का कोई स्थानीय विशेषज्ञ संबंधित कार्य समूह का उपाध्यक्ष हो सकता है।

4.2 वार्ड सभा, महिला सभा और बाल सभा से प्राप्त इनपुटों का समेकन

भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक या महामारी संबंधी विभिन्न कारणों से एकल विशेष ग्राम सभा में भाग लेने वाले लोगों की अक्षमता और असुविधा को ध्यान में रखते हुए, ग्राम सभा के निचले स्तर पर वार्ड सभा, महिला सभा और बाल सभा जैसी जन सभाओं को बढ़ावा देने के प्रयास किए गए हैं। स्वयं सहायता समूहों, युवा समूहों और अन्य सीबीओ के गठन और संघ से भी, विशेष रूप से इस कोविड के समय में, इन उप-ग्राम सभा स्तर की बैठकों को प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सकती है।

ग्रामीण स्थानीय अभिशासन के प्रभावी होने के लिए, ग्राम सभाओं को सक्रिय बनाना वास्तविक चुनौती है। ग्राम सभा की नियमित और सार्थक बैठक, इसके सदस्यों की सक्रिय भागीदारी और इसके कार्यकरण की निगरानी के लिए तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है। वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए, एक व्यापक योजना विकसित करने के लिए उप-ग्राम सभा स्तर की बैठकों के साथ-साथ वार्ड सभा, महिला सभा और बाल सभा के इनपुट के समेकन को बढ़ावा दिया जा सकता है। **ग्राम सभा की बैठक आयोजित करने के लिए मॉडल अनुसूची अनुलग्नक 2 पर है।** ग्राम सभा के निचले स्तर पर वार्ड सभा, महिला सभा और बाल सभा जैसी जन सभाओं का प्रावधान करने वाली अच्छी परिपाटियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

4.3 परिवेश निर्माण

जीपीडीपी तैयार करने की दिशा में पहला कदम लोगों के सामाजिक और आर्थिक विकास की दिशा में निर्णय लेने की प्रक्रिया में लोगों की सक्रिय भागीदारी के बारे में उनके बीच जागरूकता बढ़ाना है। जागरूकता बढ़ाने की प्रक्रिया के बाद, अगला कदम समुदाय को उनकी जरूरतों की पहचान करने की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए लामबंदी करना और ग्राम पंचायत योजना तैयार करके उन्हें संबोधित करना है। जागरूकता बढ़ाने और लामबंदी की यह पूरी प्रक्रिया परिवेश निर्माण/सृजन के अंतर्गत आती है। वार्ड की महिला सदस्यों की सहायता से जीपीपीएफटी और स्वयं-सहायता समूह, ग्राम पंचायत स्तर पर जीपीडीपी के लिए परिवेश निर्माण प्रक्रिया में शामिल होते हैं।

ग्राम सभा में निर्णय लेने की प्रक्रिया में सभी लोगों को शामिल करने के लिए, मुख्य नियमित ग्राम सभा की बैठकों से पहले महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए अलग-अलग ग्राम सभा बैठकें आयोजित की जानी

चाहिए ताकि उनके मुद्दों को जीपीडीपी में बेहतर ढंग से शामिल किया जा सके। जीपीडीपी के उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रभावी परिवेश निर्माण सुनिश्चित करने के लिए, संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा उपयुक्त सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) सामग्री और गतिविधियां शुरू की जानी चाहिए। एक सफल जीपीडीपी, आईईसी की प्रभावशीलता पर निर्भर करती है, जिसके परिणामस्वरूप वार्ड सभा के साथ-साथ ग्राम सभा में सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी होती है।

4.4 एसडीजी की प्राप्ति के लिए ग्राम पंचायतों द्वारा संकल्प

ग्राम सभा, ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी मतदाताओं की सभा है। यह ग्राम पंचायत क्षेत्र में विकासात्मक गतिविधियों पर विचार-विमर्श, चर्चा, योजना और निगरानी का एक मंच है। ग्राम सभा, ग्राम पंचायतों द्वारा योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति के बारे में विस्तार से चर्चा करेगी। विशेष ग्राम सभा के दौरान विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अग्रिम पंक्ति (फ्रंट लाइन) के अधिकारी संबंधित विभागों की गतिविधियों को प्रस्तुत करेंगे। ग्राम सभा की बैठक में जीपीडीपी को मंजूरी दी जाएगी। ग्राम सभा किसी भी मुद्दे या कार्यक्रमों पर विस्तृत चर्चा के लिए और योजनाओं और निर्णयों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए और अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को आगे बढ़ाने के लिए सामान्य या विशेष उप-समितियों की नियुक्ति, चुनाव या गठन कर सकती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बहुआयामी विकासात्मक चुनौतियों जैसे गरीबी, असमानता, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य, शिक्षा आदि का समाधान करना एसडीजी के मूल सिद्धांतों में से एक है। इसलिए, लोगों के दृष्टिकोण से सतत विकास के लिए स्थानीय लक्ष्यों की पहचान करने के लिए जमीनी स्तर पर लोगों तक पहुंचना अनिवार्य है। योजना तैयार करने की प्रक्रिया के दौरान कई विकासात्मक मुद्दे सामने आते हैं। इसलिए, **जन योजना अभियान के दौरान आयोजित की जाने वाली विशेष ग्राम सभा की बैठक के दौरान, ग्राम सभा कम से कम एक एसडीजी को जीपीडीपी में समेकित करने का संकल्प लेगी**। एसडीजी का चयन स्थिति विश्लेषण और साक्ष्य के आधार पर होना चाहिए। एमए अंतर विश्लेषण, विश्लेषण के ऐसे स्रोतों में से एक हो सकता है। एमए सर्वेक्षण डाटा के अलावा, ग्राम सभा, मुहल्लों की बैठक और अन्य माध्यमिक डाटा स्रोतों के माध्यम से एकत्र किए गए प्राथमिक डाटा से सहायता प्राप्त कर सकती है।

4.5 जागरूकता बढ़ाना

जागरूकता बढ़ाना, जीपीडीपी के लिए परिवेश निर्माण का एक भाग है। इसका उपयोग, समुदाय को उनकी ग्राम पंचायतों के मानव और आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करने वाले सामाजिक और आर्थिक मुद्दों और चिंताओं संबंधी जानकारी से अवगत कराने के लिए किया जाता है। ताकि, उस विशेष ग्राम

पंचायत में सभी समुदायों के नागरिक खामियों की पहचान कर सकें, जीपीडीपी के माध्यम से इन मुद्दों का समाधान कर सकें और इनसे निपटने के लिए स्थानीय सुधारात्मक उपाय प्रदान कर सकें।

4.6 लामबंदी

लामबंदी भी जीपीडीपी के लिए पर्यावरण निर्माण का एक घटक है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत जीपीपीएफटी के साथ-साथ स्वयं-सहायता समूह (एसएचजी), ग्राम सभा में जीपीडीपी की तैयारी, अनुमोदन या निरस्तीकरण के दौरान और उसके बाद गतिविधियों के कार्यान्वयन की निगारनी के लिए, ग्राम पंचायतों के सभी समुदायों से नागरिकों की सक्रिय भागीदारी और योगदान सुनिश्चित करने के लिए उन्हें प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं। इस अभ्यास में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सोशल मीडिया सहित विभिन्न आईईसी विधियों और सामग्री का उपयोग किया जा सकता है

4.7 योजना तैयार करने में ध्यान देने योग्य (फोकस) क्षेत्र

ग्राम पंचायतों को भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची के अनुसार बुनियादी सेवाएं प्रदान करने और उन्हें सौंपे गए कार्यों से संबंधित विकास कार्य करने का अधिकार है। अनुसूची के अनुसार, 29 विषय ऐसे हैं जिनमें ग्राम पंचायतें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर सकती हैं। तथापि, ग्राम पंचायतों की विकास योजना का वर्तमान फोकस अवसंरचनात्मक विकास पर अधिक है। इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ग्राम पंचायतें संविधान के अनुच्छेद 243छ में परिकल्पित उद्देश्यों को पूरा करती है, ग्राम पंचायतों को अपनी विकासात्मक गतिविधियों को तदानुसार संरेखित करने में निर्देशित करने के लिए 13 मूल केंद्रीय (फोकल) क्षेत्र अभिचिह्नित किए गए हैं। ये क्षेत्र निम्नानुसार हैं:

क) पंचायती राज संस्थाओं को पानी की आपूर्ति, स्वच्छता, सड़क, जल निकासी, स्ट्रीट लाइटिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण आदि सहित महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाओं के वितरण के लिए जिम्मेदार के रूप में अधिदेशित किया गया है। देश में प्रमुख स्थानीय विकास चुनौतियां जैसे गरीबी, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, जेंडर, स्वच्छता, पेयजल, आजीविका सृजन आदि एसडीजी के साथ सिंक हैं और पंचायतों के दायरे में आते हैं। राष्ट्रीय महत्व के सभी मुद्दे जो एसडीजी के मूल तत्व हैं, संबंधित मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे मनरेगा, जेजेएम, एसबीएम, एनआरएचएम, वित्तीय समावेशन और आदि जैसे प्रमुख कार्यक्रमों के माध्यम से कवर किए जाते हैं। ग्राम पंचायतों को सभी संबंधित मंत्रालयों और विभागों की योजनाओं/कार्यक्रमों के अभिसरण के साथ जीपीडीपी के प्रभावी निर्माण के माध्यम से मुद्दों का समाधान करना चाहिए।

ख) बुनियादी सेवाओं को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243छ के तहत प्रतिष्ठापित और 14वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित किया गया है। सेवाओं में पानी की आपूर्ति, सेप्टिक टंक प्रबंधन, सीवेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के साथ-साथ स्वच्छता, वर्षा जल निकासी, सामुयादिक परिसंपत्तियों का अनुरक्षण, सड़कों का अनुरक्षण, फुटपाथ, स्ट्रीट-लाइटिंग, कब्रगाह, शमशान स्थल आदि शामिल हैं।

ग) आर्थिक विकास और गरीबी न्यूनीकरण - ग्राम पंचायतों को स्थानीय एसडीजी के साथ कार्यों को संरेखित करने के साथ-साथ विकास के मुद्दों पर स्थानीय रूप से प्रासंगिक संकेतकों को विकसित करने और उनका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इन्हें ऐसी गतिविधियां

शुरू करनी चाहिए जिनसे स्थानीय उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि, रोजगार और नियोजनीयता में वृद्धि, बाजार पहुंच में सुधार और स्थानीय उत्पाद की विपणन योग्यता, मूल्य-वर्धन का संवर्धन, बाजारों, तालाबों, मत्स्यपालन, पशुधन विकास, बागवानी विकास, भूमि विकास, सूक्ष्म सिंचाई सुविधाएं, कुंओं की खुदाई, सिंचाई कुंडों जैसी उत्पादक अवसंरचना का निर्माण होगा। ग्राम पंचायतों को मनरेगा, एनआरएलएम, पीएमएवाई, पीएमजीएसवाई, एनएसएपी, आरकेवीवाई आदि के माध्यम से आजीविका को संवर्धन करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के साथ अभिसरण करना चाहिए।

घ) मानव विकास घटक, साक्षरता, शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य, पोषण, आजीविका संवर्धन, आदि से संबंधित हैं। आंगनवाड़ी, स्कूलों, अस्पतालों के माध्यम से मानव विकास सूचकांक की गुणवत्ता में सुधार लाने और उन तक पहुंच को बढ़ाने पर फोकस किया जाना चाहिए।

ङ) सामाजिक विकास में अल्पसंख्यक, दिव्यांगजन, बुजुर्ग, महिलाओं, बच्चों, बंधुआ मजदूरों, बाल मजदूरों, व्यथित प्रवासी, हाथों से कूड़ा साफ करने वाले, मानव तस्करी से पीड़ित व्यक्तियों सहित अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) जैसे कमजोर और अल्पसुविधाप्राप्त वर्गों की भलाई में सुधार करना शामिल है।

च) जीपीडीपी और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के साथ इसका संबंध - जीपीडीपी एसडीजी ढांचे को स्थानीय बनाने का एक अवसर प्रस्तुत करता है। इस तरह के एक ढांचे का उपयोग स्थानीय संदर्भ में ग्राम पंचायत स्तरीय विकास को बढ़ावा देते हुए और समर्थन करते हुए विभिन्न मुद्दों के संबंध में जमीनी स्तर पर की गई कार्रवाई और प्रभावों के लिए एक समेकित साधन के रूप में किया जा सकता है।

छ) पारिस्थितिकीय और पर्यावरण विकास - ग्राम पंचायत, जैविक संसाधनों के संरक्षण के लिए योजना बना सकेंगी। पर्यावरणीय स्थिरता से संबंधित कार्रवाईयों में स्थानीय समुदायों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा, दोनों, के लिए पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता सहित प्राकृतिक संसाधनों के योगदान को शामिल किया जाना चाहिए।

ज) सार्वजनिक सेवा प्रदायगी - इन सेवाओं में सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक प्रदायगी को विशेष प्राथमिकता देते हुए, प्रमाण पत्रों का निर्गम, अनिवार्य पंजीकरण तथा जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों, विवाह प्रमाण पत्र, प्रवास प्रमाणपत्र का निर्गम, लाइसेंस / परमिटों का निर्गम और सामाजिक सुरक्षा पेंशन की प्रदायगी शामिल हैं।

झ) सुशासन – बजट और व्यय की जबावदेही, पारदर्शिता और अग्रसक्रिय प्रकटीकरण और समुदाय-आधारित निगरानी पर बल दिया जाना चाहिए।

ण) कौशल निर्माण – ग्राम पंचायतें कौशल निर्माण में एक प्रमुख भूमिका निभा सकती हैं और यह सुनिश्चित कर सकती हैं कि कार्यक्रम में महिलाओं सहित सबसे कमजोर वर्ग भाग लें। ग्राम पंचायतों को कौशल से संबंधित कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता सृजन करने, संघटन के प्रयासों को सुगम बनाने, कौशल मांग के लिए एक डाटाबेस बनाने और बाजार मूल्यांकन के आधार पर प्लेसमेंट के लिए योजना बनानी होगी। इसके अलावा, ग्राम पंचायत नौकरी-मेलों का आयोजन करने में सहायता कर सकत हैं और परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को कौशल प्रशिक्षण के सभी चरणों में मदद प्रदान कर सकती हैं।

ट) महिला और बाल संरक्षण और विकास – सभी गतिविधियों में जेंडर को मुख्य धारा से जोड़ना जीपीडीपी तैयार करने का एक आंतरिक हिस्सा है। ग्राम पंचायतों को ग्राम स्तर पर महिलाओं को उनके अधिकारों का उपयोग करने के लिए उनका सशक्तिकरण करने के लिए गतिविधियों गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए और बच्चों के बीच जागरूकता सृजन भी करना चाहिए तथा उन्हें कार्यशील बनाने के लिए कदम उठाने चाहिए।

ठ) स्थानिक योजना – यह मौजूदा संसाधनों को जोखिम पहुंचाए बिना शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और उनके वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित करने के लिए नियोजित विकास और विनियमन की एक प्रक्रिया है। यह ग्रामीण क्षेत्रों के सतत विकास के लिए एक विकल्प प्रदान करती है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और योजना निरूपण और कार्यान्वयन (आरएडीपीएफआई) के दिशा-निर्देशों में स्थानिक योजना बनाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है।

ड) आपदा की बढ़ती घटनाएं और मानव जीवन, संपत्ति और पर्यावरण पर उनके प्रभाव दुनिया भर में चिंता का विषय हैं। प्राकृतिक आपदाओं को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन लोगों के जीवन और सामाजिक-आर्थिक पहलुओं पर उनके प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है। समस्या के प्रभाव को सम्बोधित करने/कम करने में स्थानीय संस्थान बहुत महत्वपूर्ण हैं। हालिया दिनों में कोविड-19 महामारी का प्रभाव अत्यधिक गम्भीर रहा है। जब कोई आपदा आती है, तो उसके प्रभावों और परिणामों स्थानीय स्तर पर सबसे अधिक होते हैं। कोविड-19 के भी ऐसे ही प्रभाव और परिणाम रहे हैं, क्योंकि महामारी के प्रसार और प्रभाव का सबसे अधिक सामना पंचायतों द्वारा किया गया है। संस्थागत स्तर पर, पंचायतों ने जागरूकता के उपाय किए हैं, महानगरों से आए लोगों को सहायता प्रदान की है और स्वास्थ्य

सेवाओं और सुविधाओं के लिए समर्थन जुटाने के लिए अपने संसाधन भी जुटाए हैं, और सबसे कमजोर लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए सहायता प्रदान की है। जीपीडीपी, बीपीडीपी और डीपीडीपी तैयार करने दौरान आपदा तत्परता के संबंध में जानकारी और डाटा एकत्र किया जाना चाहिए और आपदा तत्परता पर योजनाओं के बेहतर निर्माण के लिए संकलित किया जाना चाहिए।

ढ) पंचायतों की ई-सक्षमता - पंचायत एंटरप्राइज सूट (पीईएस) को पंचायतों के मुख्य कार्यों जैसे विकेन्द्रीकृत योजना, बजट, लेखांकन, प्रमाणपत्र, लाइसेंसों आदि जैसी सेवा प्रदायगी का कार्यान्वयन और निगरानी को संबोधित करने के लिए पंचायतों में परिनियोजित किया जाता है। ऐसा ग्राम पंचायत स्तर पर अच्छे, पारदर्शी और जबावदेह अभिशासन को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है।

ञ) अवसंरचना विकास- ग्राम पंचायतों को खामियों की पहचान करनी चाहिए और अवसंरचना विकास से संबंधित जरूरतों को प्राथमिकता देनी चाहिए। तदनुसार, ग्राम पंचायतों को प्राथमिकताओं के आधार पर स्थानीय स्तर पर अवसंरचना विकास के लिए योजना बनानी चाहिए। इसमें अभिचिह्नित अवसंरचना की मरम्मत, पुनरूद्धार, उन्नयन और नवनिर्माण शामिल है। सार्वजनिक परिसंपत्तियों के रखरखाव पर उचित ध्यान और वरीयता दी जानी चाहिए।

उपरोक्त के अलावा, 15वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं में सभी ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा अनुदान के उपयोग के सिंहावलोकन का प्रावधान किया गया है।

4.8 डाटा संग्रह - स्थिति विश्लेषण

जीपीडीपी का मुख्य उद्देश्य खामियों और समस्याओं की पहचान सुनिश्चित करने और उन्हें जमीनी स्तर पर संबोधित करने के लिए योजना प्रक्रिया में लोगों को शामिल करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, मौजूदा मुद्दों के तथ्यों और आंकड़ों के लिए मौजूदा सामाजिक-आर्थिक स्थितियों का उचित विश्लेषण करने की आवश्यकता है। इसलिए, प्राथमिक डाटा और माध्यमिक डाटा दोनों को जमीनी स्तर पर एकत्र किया जाना चाहिए। प्राथमिक डाटा संग्रह के लिए, भागीदारी ग्रामीण मूल्यांकन (पीआरए), फोकस समूह चर्चा (एफजीडी), घरेलू सर्वेक्षण और मुहल्ला सर्वेक्षण विधियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। पीआरए तंत्र में ट्रांज़ेक्ट वॉक, सोशल मैपिंग, नेचुरल रिसोर्स मैपिंग शामिल हैं। माध्यमिक डाटा के मामले में, मिशन अंत्योदय (एमए), सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी), जनगणना और विभिन्न संबंधित विभागों से डाटा का उपयोग किया जा सकता है।

एकत्र किए गए डाटा को ग्राम पंचायत की वर्तमान स्थिति का आकलन और विश्लेषण करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। डाटा का उपयोग ग्राम पंचायत में विकास के लिए भी किया जा सकता है। स्थिति विश्लेषण के प्राथमिक उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

1. विभिन्न विकास मुद्दों पर ग्राम पंचायत के मौजूदा परिदृश्य का विवरण एकत्र करना;

2. बुनियादी नागरिक सेवाओं, अवसंरचना और उपलब्ध सुविधाओं की गुणवत्ता का आकलन करना।

स्थिति विश्लेषण में प्राथमिक और माध्यमिक डाटा दोनों का संग्रह, विश्लेषण और प्रलेखन शामिल है। विश्लेषण के लिए डाटा को लोगों द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। रियल-टाइम डाटा संग्रह और निगरानी के लिए, वेब और मोबाइल फोन-आधारित एप्लीकेशनों सहित प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकता है। स्थिति विश्लेषण के लिए प्रक्रियाएं निम्नानुसार हैं::

1. ग्राम पंचायतों में स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी, कमजोर समूहों की स्थिति आदि जैसे प्रमुख क्षेत्रों से संबंधित मौजूदा स्थितियों और विकास की स्थिति की पहचान की जानी चाहिए।
2. मौजूदा सेवाओं की गुणवत्ता और जीवन की गुणवत्ता के बारे में जानकारी एकत्र की जानी चाहिए।
3. ग्राम पंचायत में मौजूद पेयजल, स्वच्छता, जल निकासी, सड़क की स्थिति, सफाई आदि सहित बुनियादी सेवाओं, बुनियादी सुविधाओं और सुविधाओं में कमियों और खामियों पर महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र की जानी चाहिए।

इस प्रकार, स्थिति विश्लेषण मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित करने के आधार के रूप में कार्य करता है, जिन्हें आगे जीपीडीपी में आगे शामिल किया जा सकता है।

4.9 मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण (एमए) और योजना

केंद्रीय बजट 2017-18 में अंगीकार किया गया, मिशन अंत्योदय एक अभिसरण और जवाबदेही ढांचा है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के तहत भारत सरकार के 27 मंत्रालयों/विभागों द्वारा आबंटित संसाधनों का इष्टतम उपयोग और प्रबंधन करना है। यह अभिसरण प्रयासों के केंद्र बिंदु के रूप में ग्राम पंचायतों के साथ राज्य-संचालित पहल के रूप में परिकल्पित है। जीपीडीपी तैयार करते समय विभिन्न सरकारी योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए नवीनतम उपलब्ध एमए सर्वेक्षण डाटा को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

4.10 विकास स्थिति रिपोर्ट (डीएसआर)

स्थिति विश्लेषण के पूरा होने पर, जीपीपीएफटी को जीपीडीपी के सांकेतिक दिशानिर्देशों के अनुसार विकास स्थिति रिपोर्ट का मसौदा तैयार करना होगा और लोगों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के संबंधित विषयगत क्षेत्रों में समुदाय की सटीक और वास्तविक समय की स्थिति के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ग्राम सभा के समक्ष रखना होगा।

4.11 दूरदर्शिता की कवायद

ग्राम सभा को डीएसआर के निष्कर्षों के आधार पर दूरदर्शिता की कवायद करनी होगी। दूरदर्शिता की कवायद, योजना बनाने में निष्पक्षता सुनिश्चित करने और योजना तैयार करने की प्रक्रिया में लोगों में स्वामित्व की भावना प्रदान पैदा करने के लिए है। विजन दस्तावेज में बुनियादी सेवाओं की मात्रा और गुणवत्ता में सुधार के लिए ग्राम पंचायतों के कार्यों को अधिक प्रभावी और कुशल बनाने के लिए उनकी

प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना है। इससे अभिचिह्नित प्रमुख विषयगत क्षेत्रों में प्राथमिकताओं की पहचान करने और योजना अवधि के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त किए जाने वाले स्पष्ट उपलब्धि-चरण (माइलस्टोन) निर्धारित करने में भी मदद मिलनी चाहिए।।

4.12 आवश्यकताओं को प्राथमिकता देना

डीएसआर के आधार पर जीपीपीएफटी को स्थानीय विकास में खामियों को दूर करने के लिए लोगों की प्राथमिकता वाली आवश्यकताओं और महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान करने के लिए ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठकों में विचार-विमर्श को निर्देशित करना होगा। ग्राम पंचायत के सभी वर्गों को कवर करते हुए विभिन्न अभिचिह्नित विषयगत क्षेत्रों में आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आर्थिक विकास, गरीबी न्यूनीकरण, जल और स्वच्छता, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, सामाजिक न्याय आदि पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है।

4.13 संसाधन कुंज

राज्यों को ग्राम पंचायतों के लिए संसाधन कुंज का विस्तार करना होगा और स्थानीय स्तर पर अतिरिक्त संसाधन सृजित करने के लिए उनका मार्गदर्शन करना होगा और ग्राम पंचायतों के लिए आबंटित निर्दिष्ट निधियों के समय पर प्रवाह की निगरानी करनी होगी। संसाधन कुंज में ग्राम पंचायतों द्वारा प्राप्त सभी संसाधनों को भी शामिल किया जाना चाहिए। स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि उच्चतर स्तरों जैसे जिला पंचायत और मध्यवर्ती पंचायत द्वारा पंचायत में खर्च की गई निधियां अनिवार्य रूप से ग्राम पंचायत के संसाधन कुंज का हिस्सा होनी चाहिए। राज्यों को यह निर्णय भी लेना चाहिए कि यह अंतर किस प्रकार किया जाना है या इसका लेखा-जोखा किस प्रकार किया जाना है। संसाधन कुंज के अवयवों को अंतिम रूप देने के बाद, राज्य को योजना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करने से उचित समय पहले प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए उपलब्ध संसाधनों की सूचना लिखित रूप में देनी होगी। यदि कुछ श्रेणियों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है तो इन्हें विस्तार से इंगित किया जाना चाहिए और इनके ब्यौरों की सूचना बाद में दी जानी चाहिए। आदर्श रूप से ऐसा ग्राम पंचायतों की संख्या के आधार पर राज्य-वार या जिला वार ग्राम-पंचायतों के ब्यौरे देते हुए एक सरकारी आदेश के रूप में किया जाना चाहिए।

4.14 जीपीडीपी में गरीबी न्यूनीकरण योजना का समेकन

देश में ग्राम पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तैयार करने और उन्हें लागू करने का अधिकार दिया गया है। जीपीडीपी तैयार करने के दिशानिर्देशों में ग्राम पंचायतों द्वारा जीपीडीपी तैयार किया जाना अपेक्षित है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एक एकीकृत गरीबी न्यूनीकरण योजना, जो मनरेगा के तहत श्रम बजट और परियोजनाकरण (प्रोजेक्टाइजेशन) कवायद के साथ अभिसरित होती है, के माध्यम से गरीब और अल्पसुविधाप्राप्त लोगों की कमजोरियों और उनकी आजीविका के अवसर को संबोधित करने वाले घटक शामिल होते हैं। गरीबों के संस्थानों के रूप में एसएचजी और उनके संघ, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए उपाय की योजना बनाने और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डीएवाई-एनआरएलएम ढांचे में सूचीबद्ध एसएचजी नेटवर्क की जिम्मेदारियों में ग्राम सभाओं और पंचायतों के अन्य मंचों में सक्रिय रूप से भाग लेना, समुदाय आधारित निगरानी के माध्यम से प्रतिक्रिया प्रदान करना और ग्राम पंचायतों को उनकी विकास पहल और योजना तैयार करने के कार्य में सहायता प्रदान करना शामिल है।

ग्राम पंचायतों की भागीदारी से बहुत-सी ग्रामीण विकास योजनाएं तैयार की जाती हैं और इनका कार्यान्वयन किया जाता है। यदि इन सभी विकासात्मक उपायों को योजना तैयार करने, इसके कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जीपीडीपी में शामिल किया जाता है और जीपीडीपी को ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों; एसएचजी के सदस्यों और संघ तथा संबंधित विभागों की सक्रिय भागीदारी के साथ अभिसरण मोड में तैयार किया जाता है, तो इनका प्रभाव बहुत अधिक होगा। यह ग्राम पंचायतों के कार्यकरण में जवाबदेही और पारदर्शिता को भी बढ़ावा देगा।

पीपीसी के दौरान नियुक्त सुविधाकर्ता, ग्राम सभा के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाओं जैसे कमजोर वर्गों सहित सामुदायिक लामबंदी सुनिश्चित करेंगे। ग्राम सभा के समक्ष एक गरीबी न्यूनीकरण योजना, जिसे विचार-विमर्श के बाद जीपीडीपी तैयार करने के लिए जीपीडीपी योजना प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है, प्रस्तुत करने के लिए ग्राम संगठनों/स्वयं सहायता समूहों का समर्थन किया जा सकता है।

4.15 विशेष ग्राम सभा का आयोजन

प्राथमिक एवं माध्यमिक डाटा के संग्रहण तथा उपरोक्त वर्णित अन्य गतिविधियों के बाद एक विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। प्रत्येक विभाग के अग्रिम पंक्ति (फ्रंटलाइन) के कार्यकर्ता किए गए कार्यों, चालू वर्ष के लिए उपयोग की गई निधियों और प्रस्तावित गतिविधियों, अगले वित्तीय वर्ष के लिए आबंटित निधियों और ग्राम पंचायत को इसका एक विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता पर एक संक्षिप्त

प्रस्तुतीकरण देंगे। नियुक्त किए गए सुगमकर्ता, ग्राम सभा के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाओं जैसे कमजोर वर्गों से प्रतिनिधित्व सहित सामुदायिक लामबंदी सुनिश्चित करेंगे। ग्राम संगठन (वीओ) द्वारा तैयार की गई गरीबी न्यूनीकरण योजनाओं को ग्राम सभा में प्रस्तुतिकरण और विचार-विमर्श के बाद जीपीडीपी में शामिल किया जा सकता है।

15वें वित्त आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, ग्राम पंचायतों को निधियों का आबंटन तभी किया जाएगा जब वित्तीय वर्ष के दौरान ग्राम सभा की बैठकें आयोजित की जाएंगी और योजना तैयार की जाएगी और ग्राम पंचायतों द्वारा अनुमोदित की जाएगी। कोविड-19 महामारी के दौर में, जिसमें लोगों को घर में रहने और बिना किसी अत्यावश्यकता के बाहर न निकलने के लिए प्रतिबंधित किया गया है, ग्राम सभा का आयोजन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचडब्ल्यूएफ) के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाना है।

4.16 जीपीडीपी का मसौदा/प्रारूप तैयार करना

लागत अनुमान/निधि आबंटन, कार्यों को पूरा करने की समय-सीमा के साथ प्रत्येक फोकस क्षेत्र में अभिचिह्नित कार्यों को दर्शाते हुए, योजना का मसौदा तैयार किया जाएगा। मसौदे पर विस्तार से चर्चा करने तथा फीडबैक और सुझाव देने के लिए एक विकास संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। इन सुझावों को जीपीडीपी के मसौदे में शामिल किया जाएगा। जीपीडीपी का अंतिम मसौदा प्रस्तुत करने से पहले, परिवर्तनों पर चर्चा करने और इन्हें अंतिम रूप देने के लिए ग्राम पंचायत की एक विशेष बैठक बुलाई जाएगी। राज्य प्रारूपों को अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

4.17 अंतिम जीपीडीपी

पंचायत अध्यक्ष, सचिव और ग्राम पंचायत के सदस्यों सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों और समुदाय की उपस्थिति में, ग्राम सभा और जीपीपीएफटी के सदस्यों द्वारा परियोजना-वार विवरण और तैयार की गई योजना पर विचार-विमर्श के साथ जीपीडीपी दस्तावेज़ की एक संक्षिप्त प्रस्तुति के रूप में अंतिम जीपीडीपी ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। यह मसौदा राज्य के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। प्रक्रिया के दौरान, बैठक के कार्यवृत्त को उचित रूप से लेखबद्ध किया जाएगा।

4.18 ई-ग्राम स्वराज पर योजना अपलोड करना

ई-ग्राम स्वराज एप्लिकेशन, सरपंच और पंचायत सचिव के ब्यौरे, पंचायत के जनसांख्यिकीय ब्यौरे, पंचायत के वित्तीय विवरण, परिसंपत्ति के ब्यौरे, ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के माध्यम से की गई गतिविधियों, अन्य मंत्रालयों/विभागों जैसे 2011 की जनगणना, एसईसीसी डाटा, मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण रिपोर्ट से पंचायत की जानकारी आदि सहित ग्राम पंचायत की पूरी प्रोफाइल के साथ सिंगल साइन ऑन प्लेटफॉर्म प्रदान करती है।

ग्राम सभा में अनुमोदन के बाद, ग्राम पंचायतों को संबंधित क्षेत्रों, सूक्ष्म खामियों, परिसंपत्ति के ब्यौरों के साथ-साथ सभी गतिविधियों को शामिल करना चाहिए। इसके अलावा, ई-ग्राम स्वराज पोर्टल में अंतिम जीपीडीपी अपलोड करने से पहले प्रत्येक गतिविधि के लिए वित्त-पोषण योजनाएं और आबंटन के लिए वांछित राशि भी प्रस्तुत की जानी चाहिए। योजना की हार्ड कॉपी सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिए ग्राम पंचायत के कार्यालय में रखी जा सकती है। साथ ही, जीपीडीपी की परिसंपत्ति निर्माण गतिविधियों को कार्यान्वयन वर्ष की शुरुआत में अर्थात् 01 जनवरी 2021 को **जन सूचना बोर्ड** पर प्रदर्शित किया जा सकता है। **जन सूचना बोर्ड का एक नमूना अनुलग्नक 4 के रूप में दिया गया है।**

अध्याय 6 : खंड (ब्लॉक) एवं जिला पंचायत विकास योजना तैयार करना

6.1 प्रस्तावना

संवैधानिक प्रावधान का उद्देश्य राज्य सरकारों को अधिकार और अपने क्षेत्र में योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध मामलों सहित प्राधिकार हस्तांतरित करने में सक्षम बनाते हुए सभी तीन पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना बनाने के लिए सशक्त बनाना है। इसमें पंचायतों को कर अधिरोपण और निधियों के प्रावधान के अधिकार भी शामिल होंगे। एफएफसी की सिफारिश पर, भारत सरकार ने 2020-21 से मध्यवर्ती पंचायतों (आईपी) या ब्लॉक पंचायतों और जिला पंचायतों (डीपी) को भी अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया है। बीपीडीपी और डीपीडीपी तैयार करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय द्वारा एक रूपरेखा तैयार की गई और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित की गई। कई राज्यों ने मध्यवर्ती पंचायतों और जिला पंचायतों को अपनी योजना तैयार करने के लिए दिशानिर्देश/निर्देश जारी किए हैं। प्रक्रियाएं, संरचना और प्रणाली मौटे तौर पर भिन्न-भिन्न होती हैं। कुछ राज्यों में मध्यवर्ती पंचायत और जिला पंचायत स्तरों पर योजना बनाने की सुव्यवस्थित प्रणाली है। लेकिन अधिकांश राज्यों में मध्यवर्ती पंचायत और जिला पंचायत स्तरों पर व्यवस्थित तरीके से योजना बनाने के कार्य के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है।

6.2 ब्लॉक पंचायत विकास योजना (बीपीडीपी) तैयार करना

ब्लॉक पंचायत विकास योजना (बीपीडीपी) को संशोधित ऊर्ध्वगामी दृष्टिकोण के साथ एक सहभागी समावेशी और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से तैयार किया जा सकता है। बीपीडीपी में मिशन अंत्योदय डाटा के माध्यम से जीपीडीपी में पाई गई खामियों को समेकित करके विकास की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। बीपीडीपी तैयार करने प्रक्रिया में जीपीडीपी पूरक करते हुए आवश्यकता आधारित योजना की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा, यह राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं जैसे एसडीजी और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में योगदान करने का भी प्रयास करेगी। संबंधित विभागों द्वारा मध्यवर्ती पंचायत स्तर पर संचालित की जा रही योजना गतिविधियों को बीपीडीपी में एकीकृत किया जाना चाहिए, तथापि, इसे स्वयं संबंधित विभागों द्वारा कार्यान्वित किया जा सकता है।

बीपीडीपी की प्रक्रिया, संरचना और प्रारूप काफी हद तक जीपीडीपी के समान ही हो सकता है। ग्राम पंचायत स्तर पर जीपीडीपी तैयार किए जाने और इसके अनुमोदित हो जाने के बाद, इसे ग्राम पंचायत द्वारा मध्यवर्ती पंचायत को अग्रेषित किया जाएगा। ऐसी परियोजनाओं और गतिविधियों, जिन्हें एक से अधिक ग्राम पंचायत क्षेत्रों में क्रियान्वित किया जाना है और जिन्हें इनकी उच्च संस्थागत क्षमता और

तकनीकी क्षमता के कारण मध्यवर्ती पंचायत स्तर पर लागू किया जाना चाहिए, को मध्यवर्ती पंचायत द्वारा बीपीडीपी में शामिल किए जाने पर विचार किया जाएगा। बीपीडीपी को ब्लॉक सभा, जिसे ब्लॉक/मध्यवर्ती पंचायत के सभी सदस्यों, ब्लॉक पंचायत क्षेत्र में जिला पंचायत के सदस्यों, संबंधित ब्लॉक की सभी ग्राम पंचायतों के ग्राम पंचायत अध्यक्षों/सरपंचों को शामिल करते हुए आयोजित किया जाएगा, द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और इस बैठक को ब्लॉक सभा के रूप में मान्यता दी जाएगी। निर्वाचित प्रतिनिधियों के अलावा, ब्लॉक स्तरीय विभाग के अधिकारियों, एसएचजी संघों के प्रमुखों, विशेषज्ञों, पेशेवरों, डॉक्टरों आदि को भी ब्लॉक सभा के सदस्य के रूप में नामित किया जाना चाहिए।

मध्यवर्ती पंचायत के अध्यक्ष द्वारा ब्लॉक सभा के सदस्य के रूप में नामित पूर्वोक्त व्यक्तियों सहित इसमें कुल 50-80 व्यक्ति हो सकते हैं। ब्लॉक सभा की बैठक की अध्यक्षता मध्यवर्ती पंचायत का अध्यक्ष करेगा तथा ब्लॉक पंचायत पदाधिकारी/ ब्लॉक विकास अधिकारी को ब्लॉक सभा के संयोजक के रूप में नामित किया जा सकता है। तथापि, मध्यवर्ती पंचायत में वित्तीय मामलों की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान की जाएगी।

6.2.1 ब्लॉक पंचायत विकास योजना तैयार करने के चरण

ब्लॉक पंचायत विकास योजना तैयार करने की प्रक्रिया निम्नलिखित हो सकती है:

i. ब्लॉक पंचायत विकास योजना की पूरी प्रक्रिया को शुरू करने और आगे बढ़ाने के लिए पूरी योजना प्रक्रिया को उन्मुख और सक्रिय करने के लिए साझा समझ और सुविधा प्रदान करने हेतु प्रत्येक मध्यवर्ती पंचायत के लिए मध्यवर्ती-योजना नियोजन समिति (आईपीपीसी) का गठन।
ii. परिवेश निर्माण और सामुदायिक लामबंदी
iii. प्राथमिक और माध्यमिक डाटा का संग्रह
iv. स्थिति विश्लेषण, आवश्यकता मूल्यांकन और खामी अभिनिर्धारण
v. लक्ष्य निर्धारण के लिए दूरदर्शिता कवायद
vi. संसाधन और संगत गतिविधियों का अभिनिर्धारण/अनुमान - विशेष ब्लॉक सभा
vii. योजना विकास, प्राथमिकता देना और प्रोजेक्टाइजेशन
viii. ब्लॉक पंचायत विकास योजना का अनुमोदन, इसका क्रियान्वयन, निगरानी एवं प्रभाव विश्लेषण।

6.2.2 मध्यवर्ती पंचायत स्तर पर योजना के फोकस क्षेत्र

क) आर्थिक विकास और आय सृजन

ख) कृषि-संबद्ध और कृषि-प्रसंस्करण इकाइयां

ग) आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण

घ) शीघ्र-नष्ट होने वाले उत्पादों के लिए शीत श्रृंखला का विकास

ङ) ग्रामीण बाजार हब के लिए पहल

च) सुदृढ़ पंचायत-निजी भागीदारी का विकास

छ) अपशिष्ट से आय

ज) माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्रों में आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देना

झ) ग्रामीण उद्योग समूह

ञ) प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन

ट) आपदा जोखिम प्रबंधन

ठ) सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना

ड) शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा

ढ) बुनियादी सेवाएं

ण) स्वच्छता और पेयजल

6.3 जिला पंचायत विकास योजना (डीपीडीपी) तैयार करना

स्थानीय सरकार के रूप में, जिला पंचायतें स्थानीय नागरिकों को बुनियादी सेवाओं की प्रदायगी को सुनिश्चित करने और आबादी के गरीब और अल्पसुविधाप्राप्त वर्गों की कमजोरियों को दूर करने के लिए भी जिम्मेदार हैं। यह केवल उपलब्ध संसाधनों के कुशल और जिम्मेदार उपयोग और उनकी प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों की उपलब्धता के माध्यम से आवश्यकता केंद्रित योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती पंचायत और संबंधित विभागों द्वारा किए गए / किए जाने वाले कार्यों को इसके द्वारा दोहराए न जाएं।

ग्रामीण क्षेत्र के लिए जिला पंचायत विकास योजना तैयार करना एक समयबद्ध प्रक्रिया है। यह कैस्केडिंग मोड में तैयार की जाने वाली विभिन्न योजनाओं का एक अनिवार्य भाग है। इसे ग्राम पंचायत द्वारा जीपीडीपी और मध्यवर्ती पंचायत द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में ब्लॉक पंचायत विकास योजना के पूरा होने के बाद तैयार किया जाना चाहिए। यह जिला योजना समिति द्वारा समग्र रूप से जिले के लिए तैयार की जाने वाली जिला पंचायत विकास योजना के मसौदे के लिए महत्वपूर्ण तथ्य उपलब्ध कराएगी। जिला पंचायत विकास योजना आदर्श रूप से उपलब्ध संसाधनों के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर लोगों की

जरूरतों, बुनियादी सेवाओं और उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप होनी चाहिए। इसे एक सहभागी, समावेशी और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से तैयार किया जाना चाहिए।

6.3.1 जिला पंचायत विकास योजना तैयार करने की प्रक्रिया

जिला पंचायत विकास योजना को संशोधित ऊर्ध्वगामी दृष्टिकोण के साथ एक सहभागी समावेशी और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से तैयार किया जा सकता है। जिला पंचायत विकास योजना प्रक्रिया में, जीपीडीपी और ब्लॉक पंचायत विकास योजनाओं को पूरक करते हुए, आवश्यकता आधारित योजना की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा, यह राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं जैसे एसडीजी और प्राथमिकताओं में योगदान करने का भी प्रयास करेगी। संबंधित विभागों द्वारा जिला स्तर पर संचालित की जा रही योजना गतिविधियों को जिला पंचायत विकास योजना में एकीकृत किया जाना चाहिए, हालांकि इसे स्वयं संबंधित विभागों द्वारा कार्यान्वित किया जा सकता है।

जिला पंचायत विकास योजना की प्रक्रिया, संरचना और प्रारूप काफी हद तक ग्राम पंचायत स्तर की जीपीडीपी और मध्यवर्ती पंचायत (आईपी) स्तर की ब्लॉक पंचायत विकास योजना (बीपीडीपी) के समान हो सकते हैं। जिला क्षेत्र में ग्राम पंचायत और मध्यवर्ती पंचायत स्तरों पर जीपीडीपी और बीपीडीपी तैयार किए जाने और अनुमोदित हो जाने के बाद, जीपीडीपी और बीपीडीपी को क्रमशः ग्राम पंचायत और मध्यवर्ती पंचायत द्वारा जिला पंचायत को अग्रेषित किया जाएगा। ऐसी परियोजनाओं और गतिविधियों, जिन्हें एक से अधिक ग्राम पंचायत क्षेत्रों में लागू किया जाना है, लेकिन बीपीडीपी में समायोजित नहीं की जा सकता है और साथ ही ऐसी परियोजनाओं और गतिविधियों, जिन्हें एक से अधिक ब्लॉक क्षेत्र में लागू किया जाना है, लेकिन तकनीकी दक्षताओं के अभाव या संसाधनों की कमी के कारण बीपीडीपी में शामिल नहीं किया जा सकता है, को जिला पंचायत द्वारा जिला पंचायत विकास योजना में शामिल करने पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा, जिला पंचायत विकास योजना में ऐसी गतिविधियाँ शामिल की जाएंगी, जिन्हें जिला पंचायत द्वारा सहायकता के सिद्धांतों का पालन करते हुए लागू किए जाने की आवश्यकता है।

जिला पंचायत विकास योजना को जिला सभा, जिसे सभी जिला पंचायत सदस्यों, ब्लॉक पंचायत अध्यक्षों और उपाध्यक्षों, संबंधित जिले से कम से कम पांच ग्राम पंचायतों के अध्यक्षों / सरपंचों को शामिल करते हुए आयोजित किया जाएगा, द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और इस बैठक को जिला सभा के रूप में मान्यता दी जाएगी। निर्वाचित प्रतिनिधियों के अलावा, संबंधित विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों, शिक्षाविदों, डॉक्टरों, गैर सरकारी संगठनों, महिला समूहों के प्रतिनिधियों को भी जिला सभा के सदस्य के रूप में नामित किया जाना चाहिए।

6.3.2 जिला पंचायत विकास योजना तैयार करने के चरण

i. जिला पंचायत विकास योजना की पूरी प्रक्रिया को शुरू करने और आगे बढ़ाने के लिए पूरी योजना प्रक्रिया को उन्मुख और सक्रिय करने के लिए साझा समझ और सुविधा प्रदान करने हेतु प्रत्येक जिले के लिए जिला पंचायत विकास योजना समिति (डीपीडीपीसी) का गठन।

ii. परिवेश निर्माण और सामुदायिक लामबंदी

iii. प्राथमिक और माध्यमिक डाटा का संग्रह

iv. स्थिति विश्लेषण, आवश्यकता मूल्यांकन और खामी अभिनिर्धारण

v. विकास स्थिति रिपोर्ट

vi. लक्ष्य निर्धारण के लिए दूरदर्शिता कवायद

vii. संसाधन और संगत गतिविधियों का अभिनिर्धारण/अनुमान - विशेष जिला सभा

viii. योजना विकास, प्राथमिकता देना और प्रोजेक्टाइजेशन

ix. जिला पंचायत विकास योजना का अनुमोदन, इसका क्रियान्वयन, निगरानी एवं प्रभाव विश्लेषण।

प्रत्येक जिला पंचायत को व्यापक भागीदारी, संसाधनों के इष्टतम उपयोग और अपेक्षित अधिकतम विकासात्मक लाभों को सक्षम करने के लिए वार्षिक रूप से एक जिला पंचायत विकास योजना तैयार करने की आवश्यकता है। बड़ी संख्या में नेकनीयत/परोपकारी/स्वयंसेवी मानव संसाधनों को शामिल किया जाना चाहिए जो समग्र और दूरदर्शी योजना तैयार करने में जिला पंचायत की मदद कर सकते हैं। इसके लिए जिला पंचायत विकास योजना तैयार करने के लिए जिला पंचायत योजना समिति (डीपीपीसी) नामक एक समिति का गठन किया जा सकता है और यह समिति, जिला पंचायत के अध्यक्ष की अध्यक्षता में जिला पंचायत विकास योजना तैयार करने का कार्य करेगी।

6.3.3 जिला पंचायत स्तर पर योजना के फोकस क्षेत्र

खंड 6.2.2 में "ब्लॉक पंचायत स्तर पर योजना के फोकस क्षेत्रों" का विस्तार से वर्णन किया गया है। ये क्षेत्र जिला स्तर के लिए भी फोकस क्षेत्र हैं। तथापि, जिला स्तर पर बड़ी परियोजनाएं शुरू की जा सकती हैं। जैसे-जैसे विकेंद्रीकृत योजना ग्राम पंचायत से जिला पंचायत तक जाएगी, आर्थिक विकास की गतिविधियाँ महत्वपूर्ण हो जाएंगी। इसके अलावा, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लागू करने वाली अधिकांश एजेंसियां जिला मुख्यालय में मौजूद हैं, जहाँ जिला पंचायत भी स्थित है; इसलिए, मध्यम और लघु उद्योगों के लिए अभिसरण और सामूहिक कार्रवाई और समर्थन, इस विकास योजना के केंद्रीय बिंदु होंगे।

तालिका 1 : ब्लॉक पंचायत विकास योजना के लिए अनंतिम समय सीमा

क्रम सं.	गतिविधियां / चरण	समय सीमा
1	ब्लॉक सभा की बैठकों में योजना तैयार करने की प्रक्रिया की शुरुआत	नवंबर माह में
2	क्षेत्रवार डाटा संग्रह, संकलन और स्थितिजन्य विश्लेषण	दिसंबर तक
3	क्षेत्रीय कार्य समूह को क्षेत्रवार प्राथमिकता और निधि आबंटन	7 जनवरी तक
4	क्षेत्रवार योजना का मसौदा और बजट तैयार करना तथा ब्लॉक पंचायत विकास योजना के मसौदे और मध्यवर्ती पंचायत के बजट को मध्यवर्ती पंचायत योजना समिति / स्थायी समिति की बैठकों में प्रस्तुत करना	10 जनवरी तक
5	किसी विशेष ब्लॉक सभा में मध्यवर्ती पंचायत योजना का मसौदा और बजट प्रस्तुत करना	15 जनवरी तक
6	मध्यवर्ती पंचायत योजना के मसौदे एवं बजट को अनुमोदन हेतु ब्लॉक सभा बैठक में प्रस्तुत करना	31 जनवरी तक

तालिका 2 : जिला पंचायत विकास योजना के लिए अनंतिम समयसीमा

क्रम सं.	गतिविधियां / चरण	समय सीमा
1	जिला सभा की बैठकों में योजना तैयार करने की प्रक्रिया की शुरुआत	दिसम्बर माह में
2	क्षेत्रवार डाटा संग्रह, संकलन और स्थितिजन्य विश्लेषण	जनवरी तक
3	क्षेत्रीय कार्य समूह को क्षेत्रवार प्राथमिकता और निधि आबंटन	7 फरवरी तक
4	क्षेत्रवार योजना का मसौदा और बजट तैयार करना तथा जिला पंचायत विकास योजना के मसौदे और बजट को जिला पंचायत योजना समिति / स्थायी समिति की बैठकों में प्रस्तुत करना	10 फरवरी तक
5	किसी विशेष जिला सभा में जिला पंचायत योजना का मसौदा और	15 फरवरी तक

क्रम सं.	गतिविधियां / चरण	समय सीमा
	बजट प्रस्तुत करना	
6	जिला पंचायत योजना के मसौदे एवं बजट को अनुमोदन हेतु जिला सभा बैठक में प्रस्तुत करना	फरवरी माह के अंत में

अध्याय 7 : पंचायती राज मंत्रालय और हाल में की गई पहलें

8.1 250 आदर्श ग्राम पंचायत समूहों का निर्माण संबंधी परियोजना

स्थानीय स्व-शासन के रूप में ग्राम पंचायतों की संस्थागत क्षमता का निर्माण करने के साथ-साथ उन्हें गुणवत्तापूर्ण जीपीडीपी तैयार करने में सक्षम बनाने के लिए, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडी एंड पीआर) द्वारा इसके कार्यान्वयन के लिए पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) ने 2-वर्षीय परियोजना को अनुमोदित किया। पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) द्वारा अनुमोदित परियोजना का उद्देश्य निम्नानुसार समग्र और सतत मानव विकास प्राप्त करने के लिए 250 समूहों में ग्राम पंचायतों को तकनीकी मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान करना है:

- परियोजना के तहत कवर की गई ग्राम पंचायतों को गहन क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के माध्यम से प्रदर्शनात्मक आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए स्वशासी संस्थानों के रूप में विकसित होने के लिए सक्षम बनाना।
- ग्राम पंचायतों को संस्थागत क्षमताओं और गुणवत्तापूर्ण जीपीडीपी के लिए योग्य पेशेवरों के माध्यम से सहायता प्रदान करना।

- योजना बनाने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को शामिल करना और योजनाओं और प्रयासों के अभिसरण की वास्तविक भावना का प्रदर्शन करना।
- ग्राम पंचायतों का प्रयोग के विद्यालय के रूप में समर्थन करना और ग्राम पंचायतों को देश भर के अन्य ग्राम पंचायतों द्वारा आदर्श के रूप में उनका अनुसरण करने के लिए प्रेरित करने के लिए उनका मार्गदर्शन करना।
- 2 वर्ष में निवेश पर बड़े सामाजिक/आर्थिक प्रतिफल की सुविधा प्रदान करना।

यह परियोजना ग्राम पंचायतों को सभी प्रमुख गतिविधियों के केंद्रीय चरण पर पहुंचने में सक्षम बनाएगी। ग्राम पंचायतों की संस्थागत क्षमता के विकास और जीपीडीपी तैयार करने, इसके कार्यान्वयन और निगरानी से संबंधित गतिविधियां ईआर और ग्राम पंचायतों के पदग्राहियों द्वारा की जाएगीं। युवा अध्येताओं से व्यावहारिक सहायता, ग्राम पंचायत/ब्लॉक स्तरों पर काम कर रहे संबंधित विभाग के पदाधिकारियों, जीपीपीएफटी और डब्ल्यूपीएफटी से सहायता, विभिन्न हितधारकों के विभिन्न कार्यक्रमों, योजनाओं, प्रयासों और संसाधनों के संचार, सहयोग और अभिसरण को सुनिश्चित करेगी। ग्राम पंचायत को व्यावहारिक सहायता विकेन्द्रीकृत योजना प्रक्रिया में लोगों को प्रत्यक्ष भागीदारी के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करती है। यह जीपीडीपी के तहत सभी पहलों के मूल और अग्रभाग में एसएचजी, सीएसओ, स्थानीय एनजीओ / अन्य सीबीओ और समुदायों की भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संशोधित 2018 जीपीडीपी दिशानिर्देशों को अधिदेशित करता है। इन सभी गतिविधियों के परिणामस्वरूप जमीनी स्तर पर नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा करके जीपीडीपी की गुणवत्ता की समृद्धता सुनिश्चित होगी।

8.2 स्वामित्व योजना

स्वामित्व, दिनांक 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू की गई केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। इस योजना का उद्देश्य संपत्ति के मालिकों को कानूनी स्वामित्व कार्ड (संपत्ति कार्ड / शीर्षक विलेख) जारी करके प्रत्येक ग्रामीण परिवार के मालिक को "अधिकारों का रिकॉर्ड" प्रदान करना है। यह ऋण और अन्य वित्तीय सेवाओं के लिए ग्रामीण आवासीय परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण की सुविधा प्रदान करेगी। यह योजना पंचायती राज मंत्रालय, राज्यों के राजस्व विभाग, राज्यों के पंचायती राज विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोगात्मक प्रयासों से ड्रोन तकनीक का उपयोग करके भूमि पार्सल की मैपिंग करके ग्रामीण रिहायशी ("आबादी") क्षेत्रों में संपत्ति के स्पष्ट स्वामित्व का प्रमाणित करने की दिशा में एक सुधारात्मक कदम है। देश भर में सभी गांवों का संपत्ति सर्वेक्षण करने के लिए यह इस प्रकार की पहली कवायद है।

सीओआरएस नेटवर्क की स्थापना **स्वामित्व** योजना के घटकों में से एक है। सीओआरएस नेटवर्क - सटीक भू-उद्धरण (जिओ-रेफ्रेंसिंग), जमीनी हकीकत और भूमि के सीमांकन में सहायता करता है। यह ड्रोन सर्वेक्षण में 5 सेंटीमीटर सटीकता के साथ डाटा प्रदान करता है। इस अवसंरचना का उपयोग किसी भी सरकारी एजेंसी/निजी एजेंसी द्वारा विभिन्न विकास गतिविधियों में सटीक भू-अवस्थिति और सहायता प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है।

योजना के उद्देश्य

योजना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

i. ग्रामीण भारत में नागरिकों को ऋण और अन्य वित्तीय लाभ लेने के लिए अपनी संपत्ति का उपयोग वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में करने में सक्षम बनाकर वित्तीय स्थिरता लाने के लिए।
ii. ग्रामीण योजना के लिए सटीक भू-लेखों का सृजन।
iii. संपत्ति कर का निर्धारण, जो सीधे उन राज्यों में ग्राम पंचायतों को प्राप्त होगा जहां यह अधिकार हस्तांतरित किया गया है या फिर, राज्य के राजकोष में जाएगा।
iv. सर्वेक्षण अवसंरचना और जीआईएस मानचित्रों का सृजन, जिसका लाभ किसी भी विभाग द्वारा अपने उपयोग के लिए उठाया जा सकता है।
v. जीआईएस मानचित्रों का उपयोग करके बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करने में सहायता करना।
vi. संपत्ति संबंधी विवादों और कानूनी मामलों को कम करने के लिए।

देश में लगभग 6.62 लाख गांव ऐसे हैं जो अंततः इस योजना में कवर किए जाएंगे। पूरे कार्य के पांच वर्ष की अवधि में पूरा होने की संभावना है। योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया है।

चरण I - पायलट योजना (अप्रैल 2020 - मार्च 2021) : हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, आंध्र प्रदेश राज्यों के गांवों को कवर किया गया है तथा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश राज्य में 210 सीओआरएस की स्थापना की गई है।

चरण II (अप्रैल 2021 - मार्च 2025) - पूर्ण सर्वेक्षण और पूरे देश में 357 सीओआरएस की स्थापना।

8.3 ग्रामीण क्षेत्र में स्थानिक योजना

स्थानिक योजना, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और उनके वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित करने के लिए योजनाबद्ध विकास और विनियमन की एक प्रक्रिया है। स्थानिक योजना ग्रामीण क्षेत्रों के सतत विकास के लिए विकल्प प्रदान करती है। चूंकि, सभी विकास परियोजनाओं का भूमि के उपयोग पर सीधा प्रभाव पड़ता है, इसलिए उन्हें वांछनीय स्थानिक ढांचे के भीतर समन्वित और एकीकृत करने की आवश्यकता होती है। ग्राम पंचायतों में स्थानिक योजना, ग्रामीण विकास मंत्रालय की रूर्बन (Rurban) योजना के अभिसरण में पंचायत राज मंत्रालय की **स्वामित्व** योजना की पूरक है। स्थानिक योजना में यह निर्धारित किया गया है कि समय के साथ विकास और परिवर्तन के प्रबंधन के लिए उद्देश्यों और कार्यनीतियों को निर्धारित करने के उद्देश्य से एक उच्च स्तरीय योजना बनाते हुए पंचायत में किसी विशेष क्षेत्र/स्थान को कैसे भविष्य में विकसित और पुनर्विकसित (इच्छा के विपरीत) किया जा सकता है। यह योजना एक ऐसी प्रक्रिया है जो परिभाषित करती है कि किसी स्थान के बारे में क्या महत्वपूर्ण है और उसके चरित्र और गुणवत्ता को कैसे संरक्षित, उन्नत और संवर्धित किया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत राज्यों के पंचायती राज विभाग और 32 ग्राम पंचायतों में 15 प्रतिष्ठित संस्थानों के सहयोग से पायलटिंग के साथ राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर स्थित 60,000 ग्राम पंचायतों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। शैक्षणिक संस्थान, स्थानीय प्राधिकरणों को स्थानिक योजनाएं तैयार करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के साथ-साथ ग्रामीण/क्षेत्रीय योजना और विकास मामलों से संबंधित नीतियों, मानकों, विनियमों और नियमों को तैयार करने के लिए अनुसंधान इनपुट प्रदान करते हैं। स्थानिक योजनाएं निम्नलिखित में कार्य करती हैं:

- योजना विकास और परिवर्तन: व्यवस्थित और पूर्वानुमेय विकास के लिए प्रावधान
- पर्यावरण संसाधनों की सुरक्षा
- अवसंरचना और सार्वजनिक सुविधाओं के विकास और रखरखाव के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित करना
- स्थानीय पहचान को मजबूत करना और भविष्य के नीतिगत निर्णयों के लिए एक ढांचा तैयार करना
- भू-स्वामियों, विकासकर्ताओं और सरकारी प्राधिकारियों को मार्गदर्शन प्रदान करना
- खुली, लोकतांत्रिक योजना को बढ़ावा देना

स्थानिक योजना की पायलट पहल 12 राज्यों में की जा रही है, जिसमें महाराष्ट्र, असम, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।

8.4 ई-ग्राम स्वराज

पंचायतें, ग्रामीण आबादी और शासन/प्रशासनिक संरचनाओं का प्रारंभिक इंटरफ़ेस होने के कारण, सरकारी तंत्र के सबसे निचले पायदान पर स्थित हैं, जो जमीनी स्तर पर बड़े पैमाने पर आईसीटी संस्कृति को प्रेरित कर सकती है। ग्रामीण आबादी के बड़े वर्ग को नई प्रौद्योगिकियों, जो सूचना तक पहुंच और आदान-प्रदान और सेवाओं की प्रदायगी की सुविधा प्रदान करती हैं, का लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए, पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) ने मिशन मोड में देश में सभी पंचायतों के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) सक्षम करने के लिए एक योजना तैयार की है। क्योंकि पंचायतें, बड़ी संख्या में योजनाओं और सेवाओं की योजना तैयार करने और कार्यान्वयन के लिए बुनियादी इकाई हैं, ई-पंचायत कार्यक्रम भी बेहतर परिणामों के साथ सार्वजनिक सेवा प्रदायगी सहित शासन में सुधार करने में लाभकारी साबित होगा।

भारत सरकार के सभी विकास कार्यक्रमों में पंचायतों की 'केंद्रीयता' अब सर्वमान्य है। ई-पंचायत का उद्देश्य पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) को विकेंद्रीकृत स्वशासी संस्थानों के अंगों के रूप में अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाकर उनके कार्यकरण में पूर्ण रूप से बदलाव लाना है। इससे लोकतंत्र वास्तव में विकेंद्रीकृत हो जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य पंचायती राज संस्थान (पीआरआई) के लगभग 32 लाख निर्वाचित सदस्यों और लगभग 10 लाख पदाधिकारियों को लाभान्वित करते हुए देश भर में सभी 2.6 लाख पंचायतों की आंतरिक कार्यप्रवाह प्रक्रियाओं को स्वचालित करना और स्थानीय अभिशासन में सुधार लाना तथा जमीनी स्तर पर प्रभावकारी बनाना है।

ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने और बदलने के लिए डिजिटल पंचायत की शुरुआत करने के उद्देश्य से, ई-ग्राम स्वराज एप्लिकेशन, सरपंच और पंचायत सचिव के ब्यौरे, पंचायत के जनसांख्यिकीय ब्यौरे, पंचायत के वित्तीय विवरण, परिसंपत्ति के ब्यौरे, ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के माध्यम से की गई गतिविधियों, अन्य मंत्रालयों/विभागों जैसे 2011 की जनगणना, एसईसीसी डाटा, मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण रिपोर्ट से पंचायत की जानकारी आदि सहित ग्राम पंचायत की पूरी प्रोफाइल के साथ सिंगल विंडो प्रदान करती है।

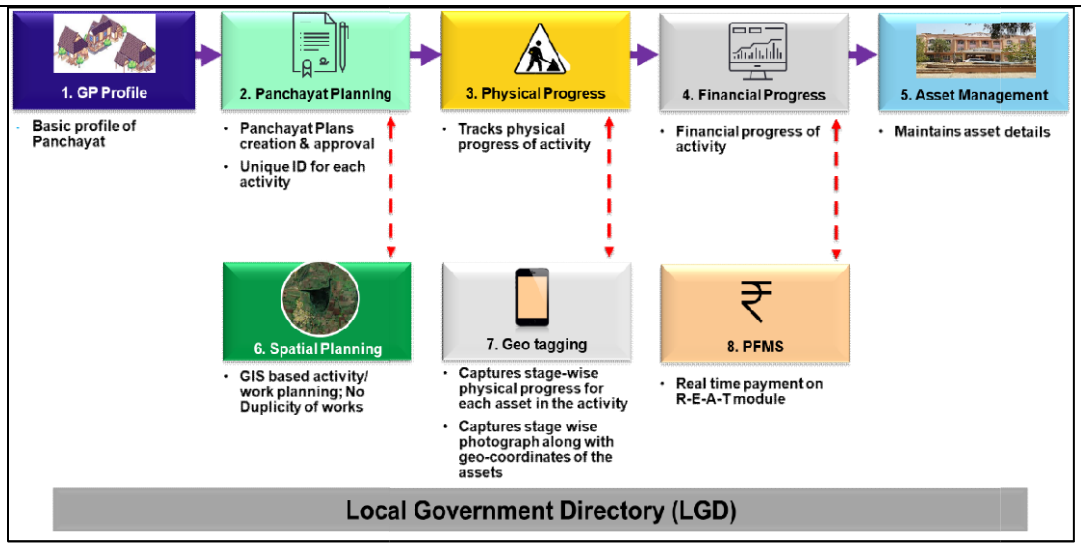

यह एप्लीकेशन (ई-ग्राम स्वराज) योजना प्रक्रिया को मजबूत और विकेन्द्रीकृत करती है ताकि योजनाओं में उपयोग की गई विकास निधि के परिणाम प्रभावी हों।

- निधियों के अभिसरण और क्षेत्रीय एकीकरण के माध्यम से तैयार की गई योजनाएं, एक ओर यह सुनिश्चित करती हैं कि उपलब्ध निधियों का अधिकतम संभव सीमा तक उपयोग किया जाए, ताकि निधियों की कमी के कारण महत्वपूर्ण कार्यों को न छोड़ा जाए
- लोगों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को दर्शाते हुए उर्ध्वगामी योजना बनाने की प्रक्रिया
- योजनाबद्ध परिव्यय और वास्तविक व्यय के बीच मजबूत तालमेल
- उच्च स्तरीय पंचायत द्वारा निचले स्तर की पंचायतों के कार्यों के सह-चयन की सुविधा प्रदान करते हुए विभिन्न स्थानीय सरकारों की योजनाओं के बीच एकीकरण, जिससे ऊर्ध्वाधर एकीकरण की सुविधा होगी।

8.5 आज़ादी का अमृत महोत्सव और पंचायती राज संस्थान

आज़ादी का अमृत महोत्सव स्वतंत्र प्रगतिशील भारत के 75 वर्ष और इसके लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को मनाने और स्मरण करने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई एक पहल है। आजादी का अमृत महोत्सव एक गहन, देशव्यापी अभियान है जिस 'जनांदोलन' में बदलने के लिए नागरिकों की भागीदारी पर फोकस किया जाएगा, जिसमें स्थानीय स्तर पर छोटे बदलाव, राष्ट्र के लाभ में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

आजादी के अमृत महोत्सव - भारत की आजादी की 75 वीं वर्षगांठ के लिए समर्पित 75-सप्ताह का कार्यक्रम - के शुभारंभ के अवसर पर, पंचायती राज मंत्रालय ने 75 सप्ताह (12 मार्च 2021 - 18 अगस्त 2022) के लिए सुझाई गई गतिविधियों, कार्यान्वयन नीति, कार्य योजना और आजादी का अमृत महोत्सव के राष्ट्रव्यापी उत्सव से संबंधित मुद्दों के बारे में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के पंचायती राज विभागों और 75 जिला पंचायतों, 75 ब्लॉक पंचायतों और 75 ग्राम पंचायतों के साथ संवाद करने के लिए अपने उद्घाटन सप्ताह कार्यक्रम के रूप में 12 मार्च 2021 को कृषि भवन, नई दिल्ली में राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया। वेबिनार में मंत्रालय और अधिकांश राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के पंचायती राज विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों और 75 बीकन जिला पंचायतों, 75 ब्लॉक पंचायतों और 75 ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वेबिनार में 600 से अधिक लोगों ने भाग लिया। प्रतिभागियों को आज़ादी के अमृत महोत्सव के संबंध में उद्देश्यों [(i) नागरिक अभियान: न्यून लागत, अधिक भागीदारी, (ii) एक भारत, श्रेष्ठ भारत, (iii) प्रत्येक राज्य, प्रत्येक भाषा, (iv) भारत के गौरवशाली इतिहास पर बल, (v) भारत के विकास का प्रदर्शन, (vi) 2047 का रोडमैप और (vii) वैश्विक पहुंच - ग्लोबल आउटरीच], विषयों [(i) विश्व गुरु भारत, (ii) विचार, उपलब्धियां और संकल्प, (iii) आत्मनिर्भर भारत, (iv) भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, (v) अनसंग हीरोज का कीर्तिगान और (vi) आजादी 2.0], 75 वर्ष के कीर्तिगान के लिए पांच स्तंभ [(i) स्वतंत्रता संग्राम, (ii) 75 पर विचार, (iii) 75 पर उपलब्धियां, (iv) 75 पर कार्रवाई और (v) 75 पर संकल्प] और पांच महत्वपूर्ण तिथियां [(i) 23 मार्च, 2021, (ii) 13 अप्रैल, 2021, (iii) 10 मई, 2021, (iv) 9 अगस्त, 2021 और (v) 21 अक्टूबर, 2021] के बारे में सूचित किया गया।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के पंचायती राज विभागों को सलाह दी गई थी कि वे पंचायती राज संस्थानों के लिए सुझावात्मक गतिविधियों के आधार पर 75 सप्ताह के लिए राज्य-विशिष्ट कार्य योजना तैयार करें और इस कार्य योजना को स्थानीय परिस्थितियों/आवश्यकताओं/उपयुक्तता के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह भी सलाह दी गई थी कि पंचायत ब्रांड एंबेसडर की सूची अर्थात् बेहतर प्रदर्शन करने वाली 75 जिला पंचायतों, 75 ब्लॉक पंचायतों और 75 ग्राम पंचायतों की सूची को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर और विस्तारित किया जा सकता है। पंचायती राज संस्थाओं को अपने अनुकरणीय विकास कार्यों के लिए "परिवर्तन के एजेंट" के रूप में चुना जाना सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कवर किए जाने के लिए अनुकरणीय हो सकता है। इस गतिविधि के पीछे की मंशा इन पंचायती राज संस्थाओं से अनुकरणीय प्रतिनिधियों का चयन करना और उन्हें भारत@75 के उत्सव की अवधि के दौरान देश के बाकी हिस्सों में अनुकरणीय विकास कार्यों के अभियान का नेतृत्व करने के लिए ब्रांड एंबेसडर बनाना है। अनुकरणीय कार्यों में ई-पंचायतों को बढ़ावा देना और अपनाना, स्थानीय आवश्यकता आधारित जीपीडीपी तैयार करना और इसका कार्यान्वयन करना शामिल होंगे।

पंचायतों से अनुरोध किया गया था कि वे आजादी के अमृत महोत्सव के बारे में जन-संवाद और जन-जागरण जैसी पहलों के माध्यम से जन-भागीदारी की भावना से जन-उत्सव के रूप में 'आजादी का अमृत महोत्सव' मनाएं। 75-सप्ताह के लिए सुझाई गई अग्रलिखित गतिविधियों - (i) भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत सूचीबद्ध 29 विषयों / मामलों पर 29 सप्ताह में 29 जागरूकता अभियान, (ii) छह सप्ताह में पीआरआई की महत्वपूर्ण भूमिकाओं वाले सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के तहत छह प्रमुख लक्ष्यों पर 6 जागरूकता अभियान, (iii) 5 सप्ताह में जन संवाद पर सरपंचों के 5 क्षेत्रीय / आंचलिक सम्मेलन, (iv) 24 अप्रैल, 2021 और 24 अप्रैल, 2022 को आने वाले राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का स्मरणोत्सव, (v) 6 सप्ताह में 6 विशेष ग्राम सभाएं, (vi) अभिचिन्हित बीकन पंचायती राज संस्थानों द्वारा 8 सप्ताह में 8 एक्सपोज़र दौरे, (vii) 3 सप्ताह में 3 प्रदर्शनियाँ और (viii) 10 सप्ताह में दीवार पेंटिंग, निबंध प्रतियोगिताएँ वाद-विवाद, हेरिटेज वॉक/टूर/स्टडी टूर, स्वच्छता गतिविधियां आदि जैसी 10 अन्य विविध गतिविधियाँ - पर भी संक्षेप में चर्चा की गई।

अध्याय 9 : ग्राम पंचायतें और राष्ट्रीय अभियान

9.1 स्वच्छ भारत मिशन – ग्रामीण (एसबीएम-जी) चरण II

खुले में शौच तथा पीने और नहाने के पानी का दूषित होना भारत में स्वच्छता की स्थानीय समस्या रही है। विकासशील देशों की सूची में भारत को ऐसे देशों में शामिल किया गया जहां खुले में शौच करने की प्रथा है। 2010 में स्वच्छता पर यूएन अध्ययन में कहा गया कि भारत में शौचालयों की तुलना में मोबाइल फोन अधिक हैं तथा लाखों लोग ऐसे हैं जो शौचालय की बुनियादी आवश्यकता तथा गरिमा का खर्च वहन करने में असमर्थ हैं। यह लेखांकित किया गया था कि ग्रामीण भारत की लगभग 60 प्रतिशत आबादी खुले में शौच करती है जिससे विशेष रूप से महिलाओं एवं बच्चों सहित कमजोर वर्गों का स्वास्थ्य एवं कल्याण नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है।

महिलाओं की गरिमा से संबद्ध बहुआयामी गरीबी को दूर करने के एक प्रमुख संकेतक के रूप में स्वच्छता को स्वीकार करते हुए 2 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया। इस अभियान का उद्देश्य महात्मा गांधी जिन्होंने "भगवान के बाद स्वच्छता का स्थान होता है" की अवधारणा का प्रचार किया, की 150वीं जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर, 2019 तक खुले में शौच करने की प्रथा को समाप्त करना तथा भारत को ओडीएफ देश बनाना है। यह 1.96 लाख करोड़ रुपए (28 बिलियन अमरीकी डालर) की प्रक्षेपित लागत से ग्रामीण भारत में 90 मिलियन शौचालयों का निर्माण करने के लिए मिशन मोड पर आधारित परियोजना है।

इस मिशन के दो फोकस क्षेत्र हैं : स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (एसबीएम-जी) जो पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के अधीन संचालित किया जा रहा है; और स्वच्छ भारत मिशन - शहरी (एसबीएम-यू) जो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन संचालित किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण के उद्देश्यों में परिवार के स्वामित्व और समुदाय के स्वामित्व वाले शौचालयों के निर्माण के माध्यम से खुले में शौच करने की प्रथा को समाप्त करना तथा शौचालय के प्रयोग की निगरानी के लिए एक जवाबदेह तंत्र स्थापित करना शामिल है। यह मिशन भारत द्वारा सतत विकास लक्ष्य 6 - स्वच्छ जल एवं स्वच्छता (एसडीजी 6) को प्राप्त करने में भी योगदान करेगा।

एसबीएम-जी के तहत प्रगति निम्नानुसार है :

- 2014-15 से 1071.02 लाख कुटुंब शौचालयों का निर्माण किया गया है।
- 35 राज्यों को ओडीएफ घोषित किया गया है
- 711 जिलों को ओडीएफ घोषित किया गया है
- 262769 ग्राम पंचायतों को ओडीएफ के रूप में घोषित किया गया है (स्व-घोषित)
- 2014 से कुटुंब शौचालयों के प्रयोग में 61.24 प्रतिशत वृद्धि
- 2021-22 में 374176 शौचालयों का निर्माण किया गया है।

भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन – ग्रामीण (एसबीएम-जी) चरण II शुरू किया। अब सरकार का फोकस शौचालय का सतत एवं स्थायी प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए ओडीएफ के स्थायित्व पर है। इस कार्यक्रम की दूसरी विशेषता ओडीएफ प्लस है जो बुनियादी स्तर पर ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या पर ध्यान देता है। इसलिए एसबीएम-जी चरण-।। के तहत (i) ओडीएफ स्थायित्व; (ii) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन; (iii) तरल अपशिष्ट प्रबंधन; और (iv) विजुअल स्वच्छता के घटक शामिल हैं। सभी स्तरों पर निरंतर स्वभाव परिवर्तन संचार तथा क्षमता सुदृढ़ीकरण के माध्यम से लक्ष्य प्राप्त किए जाते हैं। उद्देश्य इस प्रकार हैं :

- खुले में शौच न करने के स्वभाव को बढ़ावा दिया जाता है तथा कोई भी न छूटे।
- ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की सुविधाएं सुलभ हैं तथा ओडीएफ स्वभाव पर बल दिया जा रहा है तथा गांवों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट के सुरक्षित प्रबंधन के लिए व्यवस्था करने पर ध्यान दिया जा रहा है।
- पारिस्थितिकी की दृष्टि से सुरक्षित एवं स्थाई स्वच्छता के लिए लागत प्रभावी एवं उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करना।
- जहां जरूरत हो वहां ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र स्वच्छता के लिए वैज्ञानिक ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों पर बल देते हुए समुदाय द्वारा प्रबंधित स्वच्छता प्रणालियों का विकास करना।
- जेंडर पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करना तथा विशेष रूप से सुविधा विहीन समुदायों में स्वच्छता में सुधार करके सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देना।

इसके अलावा, 15वें वित्त आयोग (एफसी) ने सिफारिश की है कि केंद्रीय विभाजक कर पूल से ग्रामीण स्थानीय निकायों के अनुदानों का 60 प्रतिशत जल संरक्षण, पेयजल की उपलब्धता तथा 2019 में स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्राप्त खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्टेटस को बनाए रखने सहित पारिवारिक अपशिष्ट एवं मल प्रबंधन पर खर्च किया जाए। इसने जीपीडीपी के तहत पेयजल एवं स्वच्छता से जुड़ी गतिविधियों की योजना बनाने में ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी बढ़ा दी है।

एसबीएम-जी ।।, जहां ग्राम पंचायतें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं, के उद्देश्य इस प्रकार हैं :

- जागरूकता बढ़ाने तथा ओडीएफ स्थायित्व के स्टेटस को बनाए रखने के लिए शौचालय के प्रयोग की निगरानी करने के लिए आईईसी सामग्री तैयार करना।
- स्वच्छता, हाइजीन को बढ़ावा देकर तथा खुले में शौच करने की प्रथा को समाप्त करके ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की सामान्य गुणवत्ता में सुधार लाना।
- जागरूकता सृजन तथा स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से स्वच्छता की स्थाई प्रथाओं एवं सुविधाओं को अपनाने के लिए समुदायों को प्रेरित करना।
- पारिस्थितिकी की दृष्टि से सुरक्षित एवं स्थाई स्वच्छता के लिए लागत प्रभावी एवं उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करना।
- जहां जरूरत हो वहां ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र स्वच्छता के लिए वैज्ञानिक ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) प्रणालियों पर बल देते हुए समुदाय द्वारा प्रबंधित स्वच्छता प्रणालियों का विकास करना।
- जागरूकता बढ़ाने के लिए ग्राम जल स्वच्छता समिति का गठन।
- एसएलडब्ल्यूएम के लिए स्थान आवंटित करना
- एसएलडब्ल्यूएम के निर्माण एवं अनुरक्षण के लिए मनरेगा जैसी योजनाओं के साथ अभिसरण करना।
- गैर अनुपालन के लिए नियम बनाना और दंडात्मक कार्रवाई का निर्धारण करना।
- यह सुनिश्चित करना कि वीडब्ल्यूएससी स्वच्छता की गतिविधियों की योजना बनाए, लागू करे और निगरानी करे।
- कार्यक्रम के परिणामों का मूल्यांकन करना तथा एसडीजी-6 के अनुरूप ग्राम पंचायत विकास योजना में शामिल किए जाने के लिए आवश्यक गतिविधियों की पहचान करना।
- जेंडर पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करना तथा विशेष रूप से सुविधा विहीन समुदायों में स्वच्छता में सुधार करके सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देना।

9.2 जल जीवन मिशन (जेजेएम)

जल जीवन मिशन (जेजेएम) पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में से एक है। यह ग्रामीण भारत के सभी परिवारों को 2024 तक व्यक्तिगत परिवार टोंटी कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित एवं पर्याप्त पेयजल प्रदान करने के लिए2019 में शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम अनिवार्य घटक के रूप में स्थायित्व के उपायों को भी लागू करता है, जैसे कि धूसर जल प्रबंधन, जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन के माध्यम से रिचार्ज एवं पुन: प्रयोग। जेजेएम जल के प्रति सामुदायिक दृष्टि पर आधारित है तथा इसमें एक प्रमुख घटक के रूप में व्यापक सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) शामिल है। जेजेएम का उद्देश्य जल के लिए जन आंदोलन का निर्माण करना और इसके माध्यम से इसे हर किसी की प्राथमिकता बनाना है। विजन यह है कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार के पास सस्ते सेवा वितरण प्रभार पर नियमित एवं दीर्घावधिक आधार पर पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता के पेयजल की आपूर्ति हो जिससे ग्रामीण समुदायों के जीवन स्तर में सुधार हो सके। इस मिशन के विस्तृत उद्देश्य इस प्रकार हैं :

- प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एफएचटीसी प्रदान करना।
- गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों, सूखा प्रवण गांवों तथा रेगिस्तानी क्षेत्रों, सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) के गांवों आदि में एफएचटीसी के प्रावधान को प्राथमिकता प्रदान करना।
- स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों, जीपी भवनों, स्वास्थ्य केंद्रों, आरोग्यता केंद्रों और सामुदायिक भवनों को कार्यशील टोंटी कनेक्शन प्रदान करना।
- टोंटी कनेक्शन की कार्यशीलता की निगरानी करना।
- नकद, वस्तु और/या श्रम तथा श्रमदान के रूप में योगदान के माध्यम से स्थानीय समुदाय में स्वैच्छिक स्वामित्व को बढ़ावा देना एवं सुनिश्चित करना।
- जलापूर्ति प्रणाली अर्थात जल स्रोत, जलापूर्ति अवसंरचना तथा नियमित प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए निधियों का स्थायित्व सुनिश्चित करने में मदद करना।
- सेक्टर में मानव संसाधन का इस ढंग से विकास करना एवं सशक्त बनाना कि अल्प एवं दीर्घ अवधि में निर्माण, नलसाजी, विद्युतीय, जल गुणवत्ता प्रबंधन, जलशोधन, आवाह क्षेत्र संरक्षण, प्रचालन एवं अनुरक्षण की मांगों को पूरा किया जा सके।
- सुरक्षित पेयजल के विभिन्न पहलुओं तथा इसके महत्व पर जागरूकता पैदा करना तथा हितधारकों की इस ढंग से भागीदारी सुनिश्चित करना कि जल हर किसी का सरोकार बन जाए।

संस्थानिक तंत्र में शामिल है (i) राष्ट्रीय जल जीवन मिशन, (ii) राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम), (iii) जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (डीडब्ल्यूएसएम) और (iv) पानी समिति / ग्राम जल स्वच्छता समिति - ग्राम पंचायत की उप समिति। अवसंरचना में शामिल हैं :

- प्रत्येक ग्रामीण परिवार को टोंटी जल कनेक्शन प्रदान करने के लिए गांव में पाइप से जलापूर्ति अवसंरचना का विकास;
- जलापूर्ति प्रणाली को लंबे समय तक स्थायित्व प्रदान करने के लिए पेयजल के विश्वसनीय स्रोतों का विकास और/या मौजूदा स्रोतों का वर्धन;
- जहां आवश्यक हो, वहां प्रत्येक ग्रामीण परिवार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए थोक जल अंतरण, शोधन संयंत्र तथा वितरण नेटवर्क;
- जहां पानी की गुणवत्ता ठीक न होने की समस्या है वहां संदूषकों के निवारण के लिए प्रौद्योगिकीय हस्तक्षेप;

- 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के न्यूनतम सेवा स्तर पर एफएचटीसी प्रदान करने के लिए पूर्ण तथा चल रही योजनाओं की रेट्रोफिटिंग;
- धूसर जल प्रबंधन;

जेजेएम जल सुरक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से जल संरक्षण, भूजल रिजार्च तथा वर्षा जल संचयन और धूसर जल प्रबंधन के लिए केंद्र एवं राज्य की अन्य चल रही योजनाओं एवं कार्यक्रमों के साथ सहयोग एवं अभिसरण पर भी बल देता है। यह मिशन केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के ऐसे अन्य कार्यक्रमों के साथ भी अभिसरण करता है जिनका उद्देश्य समुदायों में कौशल विकास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और जागरूकता सृजन करना है।

9.3 पोषण अभियान

समग्र पोषण या पोषण अभियान या राष्ट्रीय पोषण मिशन के लिए प्रधानमंत्री की अति महत्वपूर्ण योजना बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं शिशुवती माताओं के लिए पोषण के परिणामों में सुधार करने के लिए भारत सरकार का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। 8 मार्च, 2018 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर झुंझुनू, राजस्थान से प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया पोषण अभियान (समग्र पोषण के लिए प्रधानमंत्री की अति महत्वपूर्ण योजना) कुपोषण की समस्या की ओर देश का ध्यान आकर्षित करता है तथा इस पर मिशन मोड में ध्यान देता है।

कुपोषण के इर्द-गिर्द जन आंदोलन का निर्माण करने के अति महत्वपूर्ण उद्देश्य के साथ पोषण अभियान का उद्देश्य अगले तीन वर्षों में कुपोषण में काफी कमी लाना है। पोषण अभियान के कार्यान्वयन के लिए मिशन की चार सूत्रीय रणनीति / स्तंभ इस प्रकार हैं :

- *बेहतर सेवा वितरण के लिए अंतर-क्षेत्रक अभिसरण*
- *विकास की रीयल टाइम निगरानी तथा महिलाओं और बच्चों की ट्रैकिंग के लिए प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का प्रयोग*
- *पहले 1000 दिन तक सघन स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाएं*
- *जन आन्दोलन*

पोषण अभियान और पंचायतें

पोषण अभियान की सफलता में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। पंचायतें पोषण से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर जागरुकता पैदा करने के लिए ग्राम सभा के माध्यम से कुपोषण मुक्त भारत में बहुत सक्रिय भूमिका निभा सकती हैं। ग्राम सभा या विशेष ग्राम सभा, महिला सभा, बच्चों की ग्राम सभा आदि जैसे प्लेटफार्मों का प्रयोग विकास के मुद्दों पर चर्चा करने तथा बच्चों के लिए विकास के अवसरों के महत्व और ग्राम स्तर पर विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए किया जा सकता है। आंगनवाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, शिक्षा, मध्याह्न भोजन, कृषि, बागवानी, डेयरी और मछली पालन आदि के पदाधिकारी ऐसी बैठकों में भाग ले रहे हैं।

वर्तमान संदर्भ में, पोषण अभियान में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका को निम्नानुसार निरूपित किया जा सकता है :

- एसएचजी, सीबीओ, वाईओ के माध्यम से पोषण के लिए बॉटम अप आयोजना प्रक्रिया सहित ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी)। ग्राम सभाओं की जीपीडीपी में पोषण पर इनपुट प्रदान किया जाना चाहिए।
- ग्राम पंचायतें जो मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में बुनियादी मोबिलाइजर हैं - एसएचजी

एवं पीआरआई के बीच साझेदारी पर बल

- ग्राम स्तरीय स्वच्छता एवं पोषण समिति (वीएचएसएनसी) ग्राम पंचायत की अनिवार्य रूप से कार्यमूलक समिति होनी चाहिए।
- पोषण के क्षेत्र में नवाचारों का समर्थन एवं सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ाना
- पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में पोषण अभियान पर मॉड्यूल शामिल होने चाहिए।
- ग्राम सभा की सहायता से पोषण की सामाजिक लेखा परीक्षा।
- बाल हितैषी ग्राम सभा को प्रोत्साहन।

9.4 फिट इंडिया मूवमेंट

चूंकि स्वास्थ्य क्षेत्र भारत सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए देश में स्वास्थ्य देखरेख में सुधार के लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 29 अगस्त 2019 को 'फिट इंडिया मूवमेंट' के नाम से एक नया अभियान शुरू किया गया। इस पहल के तहत, ग्राम पंचायतों को गांवों को विशेष रूप से बुनियादी स्तर पर काम करने वाले स्वास्थ्य केंद्र में बदलने की महत्वपूर्ण भूमिका दी गई। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर फिट इंडिया मूवमेंट वह विस्तार और पहुंच देखेगा जो स्वच्छ भारत मिशन से मेल खाने के लिए निर्धारित है। इस संदर्भ में प्रधान मंत्री ने अपनी पिछली 'मन की बात' में फिटनेस आंदोलन का आह्वान किया था। फिट इंडिया मूवमेंट का समन्वय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा युवा कार्यक्रम मंत्रालय की भागीदारी के साथ खेल मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। 'फिट इंडिया मूवमेंट' में ग्राम पंचायतों की भूमिका का एक उदाहरण नीचे दिया गया है :

1. ग्राम पंचायत के स्तर पर एक वार्ड सदस्य को ग्रामीण खेल एवं फिटनेस समन्वयक के रूप में नामित किया जा सकता है। उसे फिटनेस तथा ऐसी गतिविधियों के महत्व के संबंध में प्रशिक्षण तथा जानकारी प्रदान की जा सकती है जो उनको फिट रखने के लिए पुरूषों और महिलाओं दोनों समूह के विभिन्न आयु वर्ग के लोगों द्वारा निष्पादित की जा सकती हैं। इसके बाद वह हिमायत एवं प्रचार का कार्य करते हुए फिटनेस की गतिविधियों को संचालित करने के लिए समुदाय को प्रेरित कर सकता है / कर सकती है। साथ ही, पंचायत वार्ड सदस्य के मोबाइल नंबर को पंचायती राज विभाग के यहां पंजीकृत किया जा सकता है। उसके मोबाइल नंबर को जिला खेल अधिकारी तथा किसी अन्य विभागीय अधिकारी के साथ भी साझा किया जा सकता है जो फिट इंडिया मूवमेंट की गतिविधियों का समन्वय कर रहे होंगे। इसका प्रयोग उसके साथ सीधे संचार करने के लिए या उनको उपयुक्त संदेश भेजने के लिए किया जा सकता है।

2. उपर्युक्त के अलावा, सभी ग्राम पंचायतों के सरपंचों को यह सलाह दी जाती है कि वे फिट इंडिया मूवमेंट को ग्राम सभा की सभी बैठकों के लिए एजेंडा मद बनाएं। राज्य सरकारों के खेल विभाग एवं शिक्षा विभाग के शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक तथा अनुदेशक ग्राम सभा की इन बैठकों में फिटनेस पर प्रस्तुति दे सकते हैं। शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के विषय पर चर्चा भी शुरू की जा सकती है। पंचायत स्तर पर संवाद करने के लिए स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के डाक्टरों या अन्य स्वास्थ्य विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जा सकता है।

3. ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) को तैयार करने में ग्राम पंचायतों को अपनी योजना

में फिट इंडिया मूवमेंट का एक घटक शामिल करने की सलाह दी जा सकती है। फिट इंडिया मूवमेंट से संबंधित गतिविधियों को शामिल किया जा सकता है, चाहे वे हिमायत से संबंधित हों या बैठकों के आयोजन के लिए चर्चा एवं शारीरिक फिटनेस के कार्यक्रमों से संबंधित हों। उल्लेखनीय है कि 14वें वित्त आयोग (एफएफसी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) तथा केंद्र सरकार एवं राज्यों सरकारों की अन्य योजनाओं की निधियों से तथा ग्राम पंचायतों द्वारा सृजित किए गए स्वयं स्रोत राजस्व (ओसीआर) से फिट इंडिया मूवमेंट के लिए वित्तीय आवंटन किया जा सकता है।

पंचायत घर तथा स्कूल सहित अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों में फिट इंडिया मूवमेंट से संबंधित चित्र लगाए जा सकते हैं। चिन्हित ग्रामीण खेल फिटनेस समन्वयक इसके लिए समन्वयक तथा एनेबलर हो सकता है।

4. फिटनेस से संबंधित नियमित गतिविधियों के अलावा ग्राम पंचायत के स्तर पर दो प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। यह 5 किमी दूरी की "ग्रामीण महा दौड़" हो सकती है तथा इसका समन्वय भी ग्रामीण खेल एवं फिटनेस समन्वयक द्वारा किया जा सकता है और इसके लिए एफएफसी की निधियों का उपयोग किया जा सकता है। ग्राम पंचायत में ऐसे लोगों के लिए विशेष सत्रों का आयोजन किया जा सकता है जो मोटे तथा 45 साल से अधिक आयु के हैं। ऐसे सत्रों के लिए डाक्टरों या स्वास्थ्य विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जा सकता है।

5. ग्रामीण खेल एवं फिटनेस समन्वयक को ग्राम पंचायत में खेल के लिए उपयुक्त मैदान की पहचान करने का कार्य सौंपा जा सकता है तथा यह कार्य राज्य सरकार के खेल विभाग और राजस्व विभाग के साथ समन्वय में किया जा सकता है।

6. सरल संचार के लिए पंचायती राज मंत्रालय जो सरपंचों / प्रधानों के मोबाइल नंबर का रिपॉजिटरी है, समय-समय पर फिट इंडिया मूवमेंट पर संदेश (एसएमएस) भेज सकता है।

तौर-तरीके तैयार किए जा रहे हैं और सरकार इस अभियान के लिए मापेय परिणाम तथा एक अनंतिम मासिक एवं वार्षिक अनुसूची तैयार करने की उत्सुक है। फिटनेस पर जोर देने वाले माननीय प्रधानमंत्री ने अब भारत के वैश्विक स्वास्थ्य देखरेख एवं खुशहाली सूचकांक में सुधार पर ध्यान दिया है। शुरू में उन्होंने 'फिट इंडिया मूवमेंट' की संकल्पना की जो सभी भारतीयों के दैनिक जीवन में शारीरिक गतिविधियों एवं खेल को शामिल करने में मदद करेगा। सभी राज्यों से फिट इंडिया मूवमेंट को सफल बनाने का अनुरोध किया जाता है।

अध्याय 10 : केन्द्रीय संबद्ध मंत्रालय : योजनाएं और कार्यक्रम

पीपीसी 2020 के तहत जीपीडीपी तैयार करते समय यह महत्वपूर्ण है कि ग्राम पंचायतें ऐसी विभिन्न योजनाओं / कार्यक्रमों का संज्ञान लें जो भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं ताकि इन योजनाओं के कार्यान्वयन की योजना बनाई जा सके। इसके साथ चुनिंदा संबद्ध मंत्रालयों और उनकी योजनाओं / कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण संलग्न है।

10.1 ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी)

हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्र के उत्थान के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय विभिन्न योजनाएं चला रहा है। ये योजनाएं ग्रामीण भारत के नागरिकों के लाभ के लिए तैयार की जाती हैं जो अंतत: आगे चलकर भारतीय अर्थव्यवस्था के स्तंभ बनेंगे। भारत सरकार के अधीन ग्रामीण विकास के लिए कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं इस प्रकार हैं :

10.1.1 *महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम* (*मनरेगा*)

महात्मा गांधी नरेगा प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिन के उजरती रोजगार का अधिकार प्रदान करता है, जिसके प्रौढ़ सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए सहमत होते हैं। यह कार्यक्रम इस समय 7,077 ब्लाकों और 696 जिलों की 2.69 ग्राम पंचायतों में कार्यशील है। 2006 में इसके अधिनियमन के बाद से यह कार्यक्रम अब तक 597458 करोड़ रुपए से अधिक व्यय के साथ 3025.16 करोड़ व्यक्ति दिवस का सृजन करने में समर्थ हुआ है।

उजरती रोजगार की गांरटी देते हुए यह कार्यक्रम टिकाऊ परिसंपत्तियों के सृजन तथा ग्रामीण गरीबों की आजीविका के आधार को सुदृढ़ करने पर ध्यान देता है। यह मांग आधारित कार्यक्रम बेरोजगारी भत्ता, विलंब से भुगतान के लिए क्षतिपूर्ति तथा पारदर्शिता एवं जवाबदेही के विभिन्न आयामों के अलावा बुनियादी रोजगार के सांविधिक अधिकार के साथ नागरिकों को सशक्त करता है। ग्रामीण विकास पर केंद्रित इस कार्यक्रम का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करना तथा योजना बनाने की प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण करना है। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान 50 दिन के अतिरिक्त रोजगार का प्रावधान महात्मा गांधी नरेगा को भारत में सर्वाधिक सुलभ आघात प्रत्युत्तर सामाजिक संरक्षण (एसआरएसपी) कार्यक्रम के रूप में स्थापित करता है।

अभिशासन के व्यापक ई और एम समाधानों का प्रयोग

- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) : पीएमएवाई-जी के तहत आवास साफ्ट - पीएफएमएस प्लेटफार्म के माध्यम से लाभार्थियों को सहायता इलेक्ट्रानिक रूप में अंतरिम की जानी है। इसने निधि अंतरण आदेश (एफटीओ) के माध्यम से प्रत्येक लाभार्थी के बैंक / डाकघर खाते में इलेक्ट्रानिक रूप से निधियों के अचूक अंतरण का सुनिश्चय किया।
- मकानों के निरीक्षण के लिए मंत्रालय द्वारा एंड्रायड आधारित मोबाइल एप्लीकेशन आवास ऐप शुरू किया गया है। यह एप्लीकेशन कर्मचारियों एवं नागरिकों को निर्माण के विभिन्न चरणों पर मकान के जियो टैग, टाइम स्टेंप फोटोग्राफ कैप्चर करने और अपलोड करने में समर्थ बनाता है जिससे सत्यापन में विलंब होने की अवधि घट रही है। आवास साफ्ट पर न्यूनतम 5 जियो टैग फोटोग्राफ (अर्थात मौजूदा आवास स्थान जहां मकान का निर्माण किया जाना है, फाउंडेशन / प्लिंथ लेवल, विंडोसिल / लिंटर / रूफकास्ट लेवल, समापन) अपलोड किए जाने होते हैं।

- योजनाओं के साथ रियल टाइम अभिसरण को समर्थ करना - प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण के तहत संस्वीकृत प्रत्येक मकान के विरुद्ध नरेगा कार्य के सृजन को अनुमत करने के लिए नरेगा साफ्ट के साथ रियल टाइम वेब लिंक विकसित किया गया है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि लाभार्थी मनरेगा के साथ अभिसरण के तहत पीएमएवाई-जी मकान के निर्माण के लिए 90/95 दिन के सवैतनिक अकुशल श्रम के अपने हक का दावा करने में समर्थ है।
- अनुरोध पर लाभार्थियों, कार्यक्रम क्रियान्वयकों और मानिटरों को सूचना तक पहुंच को सुगम बनाने के लिए एमआईएस आवास साफ्ट में एसएमएस आधारित सूचना प्राप्ति एवं आवेदन स्तर पर एक माड्यूल चालू किया गया है।

अभिसरण : बुनियादी सुविधाओं के लिए अभिसरण का सुनिश्चय किया जाएगा ताकि पीएमएवाई-जी के लाभार्थी आवास के अलावा बुनियादी सुविधाएं प्राप्त कर सकें। बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए जिन योजनाओं का पीएमएवाई-जी के साथ अभिसरण किया जाना है वे इस प्रकार हैं :

(क) शौचालय के निर्माण को पीएमएवाई-जी मकान का अभिन्न अंग बनाया गया है। स्वच्छ भारत मिशन (जी), मनरेगा से वित्त पोषण या किसी अन्य समर्पित वित्त पोषण स्रोत से वित्त पोषण के माध्यम से शौचालयों का प्रावधान किया जाना है। मकान को पूर्ण तभी माना जाएगा जब शौचालय का निर्माण हो जाएगा।

(ख) यह अनिवार्य किया गया है पीएमएवाई-जी के लाभार्थी मनरेगा के साथ अभिसरण के तहत मकान के निर्माण के लिए अकुशल श्रम घटक के संबंध में वर्तमान दरों पर 90 व्यक्ति दिन (पहाड़ी राज्यों, दुष्कर क्षेत्रों तथा आईएपी जिलों में 95 व्यक्ति दिन) के लिए रोजगार घटक प्राप्त करेंगे।

(ग) प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया है जिसके अनुसार पीएमएवाई-जी के लाभार्थी योजना के तहत मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। इसके अलावा, पीएमएवाई-जी और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के लाभार्थियों की पहचान सामान्य पैरामीटरों के आधार पर की जाती है अर्थात एसईसीसी 2021 डेटा जो पीएमएवाई-जी के सभी लाभार्थियों को सौभाग्य के तहत बिजली के फ्री कनेक्शन प्राप्त करने में समर्थ बनाता है।

(घ) पीएमएवाई-जी के लाभार्थियों को पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के माध्यम से सुरक्षित पेयजल प्रदान किया जा सकता है।

(ङ) राज्यों को यह सुनिश्चित करना है कि पीएमएवाई-जी के लाभार्थी सोलर लालटेन, सोलर होम लाइटिंग सिस्टम, सोलर स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम तथा पारिवारिक आकार के बायो गैस प्लांट के लिए राष्ट्रीय बायोमास कुक स्टोव कार्यक्रम (एनबीसीपी) के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित योजनाओं का लाभ प्राप्त होता है।

(च) स्वच्छ भारत मिशन (जी) या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के साथ अभिसरण के माध्यम से राज्य सरकार ठोस एवं तरल अपशिष्ट का प्रबंधन सुनिश्चित कर सकती है।

(छ) राज्य सरकार को भवन सामग्री की आवश्यकता पूरी करनी पड़ सकती है, भवन सामग्री अर्थात ईंट आदि का उत्पादन मनरेगा के साथ अभिसरण के माध्यम से शुरू किया जा सकता है। जिन सामग्रियों का निर्माण किया गया है उन्हें पीएमएवाई-जी के लाभार्थियों को सस्ती दर पर उपलबध कराया जा सकता है।

(ज) मनरेगा के साथ अभिसरण के माध्यम से राज्य व्यक्तिगत लाभार्थियों की भूमि या अधिवास के विकास, मृदा संरक्षण, बायो फेंसिंग, खड़ंजा, संपर्क मार्ग या मकान के लिए सीढ़ी आदि का सुनिश्चय कर सकते हैं।

अभिसरण के लिए उपुयक्त योजनाएं निदर्शनात्मक हैं तथा राज्य सरकार केंद्र एवं राज्य की अन्य योजनाओं के साथ पीएमएवाई-जी का अभिसरण करने की पहल कर सकती है ताकि पीएमएवाई-जी के लाभार्थियों को इन योजनाओं के लाभ प्रदान किया जा सके।

राजमिस्त्री प्रशिक्षण : यह सुनिश्चत करने के लिए कि पीएमएवाई-जी के तहत निर्मित मकानों की गुणवत्ता अच्छी है, ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण एवं प्रमाणन पर विशेष बल दिया गया है। इससे न केवल यह सुनिश्चित होगा कि पीएमएवाई-जी तहत निर्मित मकानों की गुणवत्ता अच्छी है अपितु ऐसे व्यक्तियों को आजीविका के अवसर भी उपलब्ध होंगे जिन्होंने प्रशिक्षण लिया है।

10.1.2 *ग्रामीण आवास ज्ञान नेटवर्क*

ग्रामीण आवास के लिए शर्तें एवं स्थायी समाधानों से संबंधित प्रेक्टिशनर, संस्थाओं एवं प्रथाओं का एक व्यापक राष्ट्रव्यापी अद्यतनीय रिपाजिटरी संकलित करने तथा सार्वजनिक क्षेत्र में बहुभाषी वेब पोर्टल का विकास करने के उद्देश्य से आईआईटी, दिल्ली के सहयोग से ग्रामीण आवास ज्ञान नेटवर्क लांच किया गया। वेबसाइट को www.ruralhousingnetwork.in पर अक्सेस किया जा सकता है। यह एक चर्चामूलक प्लेटफार्म है तथा ग्रामीण आवास के विभिन्न हितधारकों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। देश के विभिन्न भू-जलवायु क्षेत्रों की जमीनी समस्याओं को समझने के लिए ग्रामीण आवास ज्ञान नेटवर्क गृह स्वामियों, राजमिस्त्रियों, पंचायतों, जिला एवं राज्य सरकारों, एनजीओ, निगमित निकायों तथा शैक्षणिक संस्थाओं के साथ सक्रियता से काम कर रहा है। ऐसी रिपाजिटरी का निर्माण करने के लिए राज्यवार मकान डिजाइन स्थलाकृति / प्रौद्योगिकी को प्रलेखित किया जा रहा है जिससे पीएमएवाई-जी के लाभार्थियों के लिए उपलब्ध विकल्पों का विस्तार करने के अलावा टिकाऊ एवं अच्छे मकानों के निर्माण में ग्रामीण आवास प्रेक्टिशनर को मदद मिलेगी।

10.1.3 *प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)*

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित आबादी आकार (मैदानी क्षेत्रों में 500+, पूर्वोत्तर तथा हिमालयन राज्यों में 250+) की सभी पात्र अनकनेक्टेड बस्तियों के लिए सभी मौसम के अनुकूल एकल सड़क प्रदान करने के उद्देश्य से 25 दिसंबर, 2000 को पीएमजीएसवाई योजना शुरू की गई। इस कार्यक्रम में ऐसे जिलों के लिए एक उन्नयन घटक भी है जहां आबादी के निर्धारित आकार वाली सभी पात्र बस्तियों को सभी मौसम के लिए अनुकूल सड़क से जोड़ा गया है। तथापि, उन्नयन इस कार्यक्रम का केंद्र बिंदु नहीं है। सरकार ने ग्रामीण कृषि मंडियों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तथा अस्पतालों के अलावा बस्तियों को जोड़ने वाले मार्गों तथा प्रमुख ग्रामीण संपर्कों के माध्यम से 125000 किमी लंबी सड़क के सुदृढ़ीकरण के 10 जुलाई, 2019 को पीएमजीएसवाई-III को मंजूरी प्रदान की।

10.1.4 *सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई)*

यह योजना माननीय सांसदों के नेतृत्व में आदर्श ग्राम पंचायतों का विकास करने के उद्देश्य से

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 11 अक्टूबर, 2014 को शुरू की गई। एसएजीवाई के दिशानिर्देशों के अनुसार माननीय सांसदों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने के लिए 2019 से 2024 के दौरान 5 ग्राम पंचायतों (हर साल एक) की पहचान करनी है। अब तक माननीय सांसदों द्वारा 2019 से 2024 के दौरान विकास के लिए 428 ग्राम पंचायतों की पहचान की गई है। एसएवाईजी-II (2019-24) के तहत चिन्हित 428 ग्राम पंचायतों में से कुल 111 ग्राम पंचायतों ने अब तक ग्राम विकास योजना (वीडीपी) तैयार की है।

एनआईआरडी एंड पीआर के सहयोग से ग्रामीण विकास मंत्रालय एसएजीवाई के प्रभारी अधिकारियों तथा अन्य हितधारकों के लिए समय समय पर क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन करता है। अब तक सहभागितापूर्ण आयोजना, अभिसरण तथा एसएजीवाई के अन्य पहलुओं में 1300 से अधिक अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की अनेक मौजूदा योजनाओं से उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करती है और इस प्रकार यह अतिरिक्त निधियों पर आश्रित नहीं है। अब तक भारत सरकार के 16 मंत्रालयों ने 23 योजनाओं के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन किया है या एडवायजरी जारी की है ताकि एसएजीवाई के ग्राम पंचायतों को प्राथमिकता प्रदान की जा सके।

एसएजीवाई का सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि इसमें निधि केंद्रित परंपरागत परिपेक्ष्य से हटकर हमारे विकास वार्तालाप में एक आदर्श परिवर्तन किया है। एसएजीवाई ने सांसदों को ग्राम स्तर की गतिविधियों में लाया है जो आमतौर पर राष्ट्र की पूंजी में संघीय स्तर पर जिम्मेदारी वहन करते हैं। इसने हमारे सांसदों को ग्रामीण विकास की प्रक्रियाओं से सीधे जुड़ने तथा कार्यान्वयन के सरोकारों की जानकारी प्राप्त करने का अतिरिक्त अवसर भी प्रदान किया है।

10.1.5 *श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन* (*एसपीएमआरएम*)

विकास की दहलीज पर ग्रामीण क्षेत्रों को उत्प्रेरक हस्तक्षेप प्रदान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 21 फरवरी, 2016 को एसपीएमआरएम मिशन शुरू किया गया। जनसंख्या घनत्व में वृद्धि, कृषि से भिन्न रोजगार के उच्च स्तर, बढ़ती आर्थिक गतिविधियों की मौजूदगी तथा अन्य सामाजिक-आर्थिक कसौटियों के आधार पर पूरे देश में रुर्बन क्लस्टर चिन्हित किए जाते हैं। इस मिशन का उद्देश्य निम्नलिखित विजन, उद्देश्यों की तर्ज पर तथा निम्नलिखित परिकल्पित परिणामों की प्राप्ति पर इन रूर्बन क्लस्टर का कायाकल्प करना है :

मिशन का विजन :
'शहरी प्रकृति के लिए आवश्यक समझी जाने वाली सुविधाओं के साथ समझौता किए बगैर समता और समावेशीपन पर फोकस के साथ ऐसे गावों के क्लस्टर का विकास करना जो ग्रामीण सामुदायिक जीवन के सार का परिरक्षण एवं पोषण करता है और इस प्रकार रुर्बन विलेज का क्लस्टर सृजित करता है'।

मिशन के उद्देश्य :

1. रूर्बन क्लस्टर में जीवन की गुणवत्ता / जीवन स्तर में सुधार लाना
2. ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीच मौजूद अंतराल को पाटना
3. ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में पलायन को कम करना तथा अंततः उल्टे पलायन को सुगम बनाना

4. स्थानीय आर्थिक विकास को प्रेरित करना, बुनियादी सेवाएं बढ़ाना तथा सुनियोजित रुर्बन क्लस्टरों का सृजन करना।

परिकल्पित परिणाम :

1. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच अंतरालों अर्थात आर्थिक, प्रौद्योगिकीय और सुविधाओं एवं सेवाओं से जुड़े अंतरालों को पाटना
2. क्षेत्र में विकास का विस्तार करना
3. ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी एवं बेरोजगारी कम करने पर बल देते हुए स्थानीय आर्थिक विकास को प्रेरित करना
4. ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करना

10.1.6 ग्रामीण विकास मंत्रालय की अन्य योजनाएं

- दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) ग्रामीण गरीब युवाओं पर अनोखे बल के साथ राष्ट्रीय कौशल विकास नीति का एक प्रमुख घटक है। इसका विकास ग्रामीण गरीबों की आय में विविधता लाने की आवश्यकता तथा ग्रामीण युवाओं की पेशागत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हुआ है। परियोजना कार्यान्वयन एजेंजी (पीआईए) द्वारा पीपीपी मोड में कौशल विकास कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। प्रत्येक पीआईए के लिए यह अनिवार्य है कि वे प्रशिक्षित उम्मीदवारों में से 70 प्रतिशत को प्लेसमेंट प्रदान करें। डीडीयू-जीकेवाई की परियोजनाएं पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयन राज्यों, जहां वित्त पोषण का अनुपात 90:10 है, को छोड़कर सभी राज्यों में 60:40 के अनुपात में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा वित्त पोषित हैं। संघ राज्य क्षेत्रों में परियोजनाओं को केंद्र सरकार द्वारा शत प्रतिशत वित्त पोषित किया जा रहा है। बेंचमार्क मजदूरी प्लेसमेंट संबद्ध कार्यक्रम से वैश्विक मानक के रूप में महत्वाकांक्षी एजेंडा के साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 25 सितंबर, 2014 को राष्ट्रीय ग्रामीण आजिविका मिशन के तहत प्लेसमेंट संबद्ध कौशल विकास कार्यक्रम को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के रूप में संशोधित किया। ऐसा करते समय मंत्रालय ने कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में पिछले 15 वर्षों के दौरान प्राप्त अनुभव का प्रयोग किया है। डीडीयू-जीकेवाई ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित राष्ट्रव्यापी नियोजन संबद्ध कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है।
- रूर्बन स्वयं रोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई) के माध्यम से कौशल विकास, जो कौशल प्रदान करते हैं जिससे प्रशिक्षणार्थी बैंक से ऋण लेने और अपने सूक्ष्म उद्यम शुरू करने में समर्थ होते हैं। इनमें से कुछ प्रशिक्षणार्थी नियमित वेतनभोगी नौकरियों की भी तलाश कर सकते हैं। वर्ष 2019-20 के दौरान कुल 384025 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। गरीब परिवारों के ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बैंकों तथा राज्य सरकारों के सहयोग से प्रत्येक जिले में आरएसईटीआई की स्थापना डीएवाई-एनआरएलएम का एक अन्य महत्वपूर्ण घटक है। आरएसईटीआई युवाओं को दीर्घ अवधि की हैंड-होल्डिंग सहायता के साथ अल्पावधिक आवासीय प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। कुछ आरएसईटीआई जमीनी स्थिति तथा संभाव्यता के आधार पर युवाओं को आफ-साइट प्रशिक्षण की भी पेशकश करते हैं। देश में 585 कार्यशील आरएसईटीआई हैं। वर्तमान में आरएसईटीआई 61 व्यवसायों में प्रशिक्षण की पेशकश करते हैं जिन्हें 4 प्रमुख क्षेत्रों अर्थात कृषि, प्रसंस्करण, उत्पाद विनिर्माण तथा सामान्य उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत वर्गीकृत किया गया है।
- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) : राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

(एनएसएपी) ग्रामीण विकास मंत्रालय की केंद्रीय प्रायोजित योजना है जिसमें बीपीएल परिवारों के बुजुर्गों, विधवाओं तथा विकलांग व्यक्तियों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जीविका कमाने वाले मुख्य व्यक्ति की मृत्यु पर बीपीएल परिवार के उत्तरजीवी सदस्यों को एकबारगी वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। इसके अलावा, मासिक पेंशन लाभ प्राप्त करने में असमर्थ बुजुर्गों को हर महीने मुफ्त में खाद्यान्न के रूप में भी सहायता प्रदान की जाती है। एनएसएपी राष्ट्रीय सुरक्षा / समाज कल्याण कार्यक्रम है जिसके तहत वर्तमान में निम्नलिखित पांच उप-योजनाएं शामिल हैं :

- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस) : बीपीएल श्रेणी के 60 से 79 साल के बुजुर्गों को 200 रुपए की मासिक पेंशन दी जाती है। 80 साल का होने पर पेंशन की रकम बढ़कर 500 रुपए प्रतिमाह हो जाती है।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूएपीएस) : बीपीएल श्रेणी की 40 से 79 साल की विधवाओं को 300 रुपए की मासिक पेंशन दी जाती है। 80 साल का होने पर पेंशन की रकम बढ़कर 500 रुपए प्रतिमाह हो जाती है।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीएपीएस) : बीपीएल श्रेणी के 18 से 79 साल के ऐसे लोगों को 300 रुपए की मासिक पेंशन दी जाती है जो गंभीर एवं अनेक अपगंताओं से पीड़ित हैं। 80 साल का होने पर पेंशन की रकम बढ़कर 500 रुपए प्रतिमाह हो जाती है।
- राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एनएफबीएस) : जीविका कमाने वाले मुख्य व्यक्ति की मृत्यु पर बीपीएल परिवार के उत्तरजीवी सदस्यों को 20000 रुपए की एकबारगी सहायता प्रदान की जाती है। लाभ के लिए मृत्यु के सभी मामले (प्राकृतिक या अन्यथा) पात्र हैं। परिवार में जीविका कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु के प्रत्येक मामले सहायता के लिए पात्र होंगे।
- अन्नपूर्णा योजना : बीपीएल परिवार के ऐसे बुजुर्गों को 10 किलो अनाज (गेहूं या चावल) दिया जाता है जो आईजीएनओएपीएस के तहत शामिल नहीं हैं।
- एनएसएपी योजना अगस्तस, 2016 में 'कोर ऑफ कोर' योजना के रूप में शुरू की गई तथा यह योजना भारत सरकार द्वारा शत प्रतिशत वित्त पोषित है। इस योजना के तहत लाभार्थियों की कुल संख्या 309 लाख है। 2019-20 के दौरान, एनएसएपी योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को 8692.38 करोड़ रुपए जारी किए गए। एनएसएपी को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना के तहत शामिल किया गया है तथा 2019-20 के दौरान एनएसएपी के लिए राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा डीबीटी के 21.47 करोड़ लेन-देन सूचित किए गए। एनएसएपी योजना के तहत लाभार्थियों की कुल संख्या 3.09 करोड़ है।

कोविड-19 महामारी के प्रसार तथा लाकडाउन के कारण उत्पन्न स्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज (पीएमजीकेवाईपी) के तहत 1.70 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। उक्त पैकेज के घटकों में से एक घटक एनएसएपी योजना के मौजूदा बुजुर्गों, विधवाओं तथा दिव्यांगजन लाभार्थियों को दो मासिक किस्तों (500 रुपए प्रत्येक) में 1000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान करना है।

2.82 करोड़ जीवित बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजन लाभार्थियों को 1000 रुपए की अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को 2814.50 करोड़ रुपए जारी किए गए। इसके अलावा, अगस्त, 2020 तक की स्थिति के अनुसार एनएसएपी योजना के तहत राज्य / संघ

राज्य क्षेत्रों को अग्रिम भुगतान के रूप में 3812.70 करोड़ रुपए भी जारी किए गए हैं।

महत्वपूर्ण अंतराल वित्त पोषण (सीजीएफ) के रूप में प्रत्येक रूर्बन क्लस्टर के लिए अनुमानित निवेश के 30 प्रतिशत तक वित्त पोषण सहायता के साथ इस मिशन के तहत पूरे देश में विषयपरक आर्थिक विकास बिंदुओं के साथ 300 रूर्बन क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं, जबकि 70 प्रतिशत निधि राज्यों द्वारा राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के कार्यक्रमों के साथ अभिसरण के माध्यम से तथा निजी निवेश एवं संस्थानिक वित्त पोषण के माध्यम से जुटाई जाती है। केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में पुन: वर्गीकृत होने पर सीजीएफ को अब मैदानी क्षेत्र वाले राज्यों के लिए 60:40 और हिमालयन एवं पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में केंद्र और राज्यों के बीच साझा किया जा रहा है।

इस मिशन के दृष्टिकोण के संबंध में उल्लेख करने वाली मुख्य बात स्थलाकृतिक आयोजना है। वर्तमान में, ग्रामीण क्षेत्रों में तैयार एवं कार्यान्वित की जा रही योजनाएं सामाजिक एवं आर्थिक योजनाएं हैं जो केवल सेक्टोरल प्रकृति की हैं। इसके फलस्वरूप गैर एकीकृत योजना का निर्माण होता है। एसपीएमआरएम के तहत स्थलाकृतिक योजनाएं तैयार की जा रही हैं जिसका उद्देश्य इन क्लस्टरों के आर्थिक विकास को प्रेरित करने तथा बुनियादी सेवाओं में वृद्धि करने के लिए नियोजित ढंग से विकास करना है। इन योजनाओं को विकास नियंत्रण के मानदंडों, सेवा स्तर के बेंचमार्कों तथा प्रवर्तन तंत्रों के प्रवर्तन के साथ लागू किया जाएगा।

मिशन की वेबसाइट और दिशानिर्देशों से मिशन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है : www.rurban.gov.in

10.2 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमओडब्ल्यूसीडी)

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय परस्पर संबद्ध नीतियों एवं कार्यक्रमों के मामध्य से महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा दे रहा है, लैंगिक सरोकारों को मुख्य धारा में शामिल कर रहा है, उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा कर रहा है तथा संस्थानिक एवं विधायी सहायता को संभव बना रहा है ताकि वे अपने मानवाधिकारों को हासिल कर सकें तथा अपनी पूर्ण क्षमता का विकास कर सकें। यह परस्पर संबद्ध नीतियों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों के विकास, देखरेख एवं संरक्षण का भी सुनिश्चय कर रहा है, उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता फैला रहा है तथा अधिगम, पोषण, संस्थानिक एवं विधायी सहायता तक पहुंच को संभव बना रहा है ताकि वे अपनी पूर्ण क्षमता के अनुसार अपना विकास कर सकें।

बच्चों के समग्र विकास के लिए मंत्रालय एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) नामक विश्व का सबसे बड़ा तथा सर्वाधिक अनूठा एवं आउटरिच कार्यक्रम चला रहा है जिसके तहत सेवाओं का एक पैकेज प्रदान किया जाता है जिसमें पूरक पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच एवं रेफरल सेवाएं, स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा शामिल हैं। हाल के वर्षों में मंत्रालय द्वारा शुरू की गई प्रमुख नीतिगत पहलों में आईसीडीएस तथा किशोरी शक्ति योजना का सर्वसुलभीकरण, किशोरियों के लिए पोषण कार्यक्रम शुरू करना, बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए आयोग की स्थापना तथा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम का अधिनियमन शामिल है। ग्राम पंचायत (जीपी) बच्चों के संरक्षण एवं पोषण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है और इस प्रकार लोगों के कल्याण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान कर सकती है। महिलाओं और बच्चों का विकास संविधान में सूचीबद्ध 29 कार्यों में से एक है जिन्हें पंचायती राज संस्थाओं को अंतरित किया जाना है।

अंब्रेला आईसीडीएस योजना के तहत आंगनवाड़ी सेवा योजना की प्रमुख विशेषताएं

- अंब्रेला आईसीडीएस योजना (पूर्व में इसका नाम आईसीडीएस था) के तहत आंगनवाड़ी सेवा योजना 1975 में निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ शुरू की गई :
- 0-6 वर्ष की आयु के बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य के स्तर में सुधार लाना;
- बच्चों के समुचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव रखना;
- मृत्यु, रुग्णता, कुपोषण तथा स्कूल ड्राप आउट की दर में कमी लाना;
- बच्चों के विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति एवं कार्यान्वयन का प्रभावी समन्वय प्राप्त करना; और
- समुचित पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से बच्चे के स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी सामान्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मां की क्षमता बढ़ाना।

आईसीडीएस योजना अपने 6 घटकों के माध्यम से मां और बच्चे को व्यापक देखरेख प्रदान करने पर ध्यान देती है। यह योजना बाल विकास की बहुआयामी आवश्यकताओं को पूरा करने तथा विभिन्न लाभार्थियों तक पहुंचने का प्रयास करती है। घटकों के मुख्य फोकल क्षेत्र निम्नलिखित हैं :

- स्कूल पूर्व शिक्षा
- पूरक पोषण
- टीकाकरण
- स्वास्थ्य जांच
- रेफरल सेवाएं
- पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा

स्कूल पूर्व शिक्षा (पीएसई) घटक मुख्य रूप से वंचित वर्गों से ताल्लुक रखने वाले 6 साल तक की आयु के बच्चों के समग्र विकास पर ध्यान देता है।

- 3 से 6 साल की आयु के लाभार्थियों को कक्षा 1 में जाने से पूर्व स्कूल पूर्व शिक्षा प्रदान की जाती है।
- यह आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र में प्रदान किया जाता है तथा इसमें अनौपचारिक शिक्षा एवं खेलकूद की गतिविधियां शामिल होती हैं।

पूरक पोषण : इस घटक का उद्देश्य विटामिन-ए की कमी तथा पोषण से जुड़ी एनिमिया को रोकने के लिए पूरक आहार तथा विकास की निगरानी पर ध्यान देना है। इसके लक्षित समूहों में 6 साल से कम आयु के बच्चे, गर्भवती एवं शिशुवती (पीएंडएल) माताएं शामिल हैं।

- लाभार्थियों को आंगनवाड़ी केंद्र (एडब्ल्यूसी) पर वर्ष में 300 दिन के लिए पूरक पोषण (संस्तुत आहार भत्ता तथा औसत आहार ग्रहण के बीच अंतर) प्रदान किया जाता है।
- गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को विशेष पूरक आहार प्रदान किया जाता है तथा उन्हें स्वास्थ्य उप केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों आदि में रेफर किया जाता है।

टीकाकरण : टीकाकरण के माध्यम से 6 निवारणीय बीमारियों अर्थात पोलियो, डायरिया, काली खांसी, टिटनस, टीबी और खसरा से बच्चों को बचाने के लिए गर्भवती महिलाओं तथा शिशुओं (0-9 माह) का टीकाकरण।

- प्राथमिक स्वास्थ्य अवसंरचना (जैसे कि उप केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों) में विशिष्ट तारीखों को लाभार्थियों का टीकाकरण किया जाता है।
- टीकाकरण कार्यक्रम के तहत बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं को आयरन तथा विटामिन-ए संपूरण (आईएफए टैबलेट) प्रदान किया जाता है।

स्वास्थ्य जांच एवं रेफरल सेवाएं बच्चों की स्वास्थ्य देखरेख तथा गर्भवती माताओं की प्रसव पूर्व देखरेख और शिशुवती माताओं की प्रसव पश्चात देखरेख।

- आंगनवाड़ी में बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं तथा शिशुवती माताओं की लेडी हेल्थ विजिटर (एलएचवी) और सहायक नर्स मिडवाइफ (एएनएम) द्वारा नियमित अंतराल पर जांच की जाती है जो छोटी-मोटी बीमारियों का पता लगाती हैं और साधारण दवाओं का वितरण करती हैं।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को छोटे बच्चों में अपंगताओं का पता लगाने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।

पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा : महिलाओं के लिए स्वभाव परिवर्तन संचार (बीसीसी) रणनीति ताकि वे अपने खुद के स्वास्थ्य, पोषण एवं विकार की देखभाल कर सकें। 15-45 वर्ष के आयु वर्ग की महिलाओं पर केंद्रित यह कार्यक्रम आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है जो निम्नलिखित पर सूचना का प्रसार करती हैं :

- स्तनपान कराने (कोलोस्ट्रम पिलाने) के बारे में जानकारी
- डायरिया / अन्य बीमारियों का उपचार
- ओरल रिहाइड्रेशन घोल (ओआरएस) तैयार करना
- पोषक आहार तैयार करना
- बच्चे की शिक्षा की अहमियत
- स्वच्छता एवं हाइजीन के बारे में
- गर्भावस्था के दौरान टीकाकरण
- संस्था में प्रसव

ग्राम स्तर पर गांव में स्थित आंगनवाड़ी केंद्र (एडब्ल्यूसी) पर स्वास्थ्य, पोषण और शैक्षिक सेवाओं का पैकेज प्रदान किया जाता है। अत: आंगनवाड़ी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और गांव के बीच कड़ी के रूप में काम करती है जिसमें पंचायती राज संस्थाएं विभिन्न स्तरों पर, विशेष रूप से ग्राम स्तर पर ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति (वीएच एंड एससी) के माध्यम से निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

आंगनवाड़ी सेवा योजना का कवरेज

आंगनवाड़ी सेवा योजना 1975 में 33 परियोजनाओं तथा 4891 आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) के साथ शुरू की गई और 9वीं योजना के अंत तक देश में परियोजनाओं की संख्या धीरे-धीरे बढ़कर 5652 हो गई तथा संस्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या बढ़कर 6 लाख हो गई। इस प्रकार, 9वीं योजना तक आंगनवाड़ी सेवा योजना का कवरेज सार्वभौमिक नहीं था तथा इसके तहत 14 लाख बस्तियों में से केवल लगभग 42 प्रतिशत बस्तियां शामिल थीं।

31 मार्च, 2020 तक की स्थिति के अनुसार, आज आंगनवाड़ी सेवा योजना 7075 पूर्णत: कार्यशील परियोजनाओं तथा 13.81 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से संचालित की जा रही

है। वर्तमान में 855.05 लाख लाभार्थियों को सेवाएं प्रदान की जा रही हैं जिनमें से 6 साल से कम आयु के 686.30 लाख बच्चे हैं तथा 168.75 गर्भवती महिलाएं एवं शिशुवती माताएं हैं।

10.3 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएंडएफडब्ल्यू)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य प्राथमिक एवं माध्यमिक स्वास्थ्य देखरेख में सुधार करना है जो उप स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (यूपीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा उप जिला / जिला अस्पतालों सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं के माध्यम से प्रदान की जाती है। प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा), बहुउद्देश्यीय कार्यकर्ताओं (पुरूष एवं महिला) तथा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों सहित प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख टीम के सदस्यों द्वारा उप केंद्रों और पीएचसी पर व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख प्रदान की जाती है। आशा समुदाय तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य संसथाओं के बीच कड़ी है तथा वे सामुदायिक संचेतना एवं जागरूकता सृजन के लिए काम करते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं / पदाधिकारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रमुख योजनाओं एवं सेवाओं का विवरण नीचे दिया गया है :

1. **आयुष्मान भारत** - स्वास्थ्य एवं आरोग्यता केंद्र **(**एबी-एचडब्ल्यूसी**) :** गैर संचारी रोगों (एनसीडी), मानसिक स्वास्थ्य, कान नाक गला (ईएनटी), नेत्र विज्ञान, मौखिक स्वास्थ्य, जरा एवं पीड़ाहारी स्वास्थ्य देखरेख तथा ट्रामा केयर से संबंधित सेवाओं को शामिल करने और योग जैसे स्वास्थ्य संवर्धन एवं आरोग्यता की गतिविधियों को शामिल करने के लिए मौजूदा प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य (आरसीएच) तथा संचारी रोग सेवाओं से विस्तार करके व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख (सीपीएचसी) प्रदान करने के लिए उपकेंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को एबी-एचडब्ल्यूसी के रुप में स्तरोन्नत किया जाता है। एबी-एचडब्ल्यूसी पहल के तहत, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएचओ) को एक या दो मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर तथा 4-5 आशा के साथ एससी-एचडब्ल्यूसी पर तैनात किया जाता है। एबी-एचडब्ल्यूसी का उद्देश्य प्राथमिक देखरेख सेवाओं के 12 पैकेज के लिए नि:शुल्क दवाएं और डायग्नोसिस प्रदान करना है जिसमें मधुमेह, उच्च रक्तचाप, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर तथा सर्विकल कैंसर की जांच और उपचार शामिल है।
2. **जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई)** : जेएसवाई सुरक्षित मातृत्व के लिए हस्तक्षेप है जिसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को संस्था में प्रसव कराने के लिए प्रोत्साहित करके मातृत्व एवं नवजात मृत्यु दर को कम करना है। इस योजना के तहत, किसी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा या प्रत्यायित निजी स्वास्थ्य सुविधा में बच्चे को जन्म देने के बदले में अधिक निष्पादन और कम निष्पादन करने वाले राज्यों के लिए निर्धारित कसौटियों के अनुसार पात्र गर्भवती महिलाओं को नकद सहायता प्रदान की जाती है। जेएसवाईने आशा को सरकार तथा गर्भवती महिलाओं के बीच कड़ी के रूप में चिन्हित किया है जिसके लिए उसे संस्था में प्रसव को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन भी दिया जाता है।
3. **जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके)** : जेएसएसके का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं में प्रसव कराने वाली गर्भवती महिलाओं (पीडब्ल्यू) के लिए प्रसव पूर्व तथा प्रसव पश्चात जटिलताओं तथा एक साल तक के बीमार शिशुओं के उपचार के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं में जाने वाली माताओं की जेब से होने वाले खर्च को समाप्त करना है। हकदारियों में नि:शुल्क दवाएं तथा उपभोज्य वस्तुएं, नि:शुल्क जांच, नि:शुल्क बल्ड, जहां आवश्यकता होती है, तथा सीजेरियन प्रसव के लिए 7 दिन तथा सामान्य प्रसव के दौरान 3 दिन तक नि:शुल्क आहार शामिल है। इस पहल के तहत घर और स्वास्थ्य केंद्र के बीच

नि:शुल्क पिकअप और ड्राप तथा रेफरल के मामले में सुविधाओं के बीच भी पिकअप और ड्राप की सुविधा प्रदान की जाती है।

4. **टीकाकरण** : सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी) 5 साल से कम आयु के बच्चों की टीका से निवारणीय मृत्यु दर को घटाने के लिए सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक है। यूआईपी के तहत टीका द्वारा निवारणीय 12 बीमारियों, राष्ट्रीय स्तर पर 10 बीमारियों (डिप्थेरिया, काली खांसी, टिटनस, पोलियो, खसरा, रूबेला, बचपन में गंभीर प्रकृति की टीबी, हेपटाइटिस-बी और मेनिनजाइटी तथा हेमोफिलस एंफ्लूएंजा टाइप-बी तथा रोटावायरस डायरिया से उत्पन्न निमोनिया) और उप राष्ट्रीय स्तर पर दो बीमारियों (निमोकोकल निमोनिया तथा जापानी एंसेफेलाइटिस) के विरूद्ध नि:शुल्क वैक्सीन प्रदान करने के लिए आरआई सत्रों तथा ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस (वीएचएनडी) के माध्यम से नियमित टीकाकरण सत्र आयोजित किए जाते हैं। 2014 से ऐसे क्षेत्रों में टीकाकरण के कवरेज में सुधार के लिए मिशन इंद्रधनुष सहित विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है जहां गैर टीकाकृत तथा आंशिक रूप से टीकाकृत बच्चों का अनुपात अधिक है।
5. **नवजातों तथा छोटे बच्चों की गृह आधारित देखरेख (एचबीएनसी / एचबीवाईसी) :** इस कार्यक्रम के तहत बच्चों के स्वास्थ्य के स्तर का आकलन करने तथा बाल देखरेख की स्वस्थ प्रथाओं के बारे में परिवार को परामर्श देने के लिए आशा द्वारा घरों का दौरा किया जाता है -
   - **नवजातों के लिए** - संस्था में प्रसव के मामले में तीसरे दिन, सातवें दिन, चौदहवें दिन, इक्कीसवें दिन, अट्ठाइसवें दिन और बयालीसवें दिन 6 विजिट तथा घर पर प्रसव के मामले में प्रसव के दिन अतिरिक्त विजिट के साथ 7 विजिट।
   - छोटे बच्चों के लिए - तीसरे माह, छठवें माह, नवें माह और बारहवें माह में 4 विजिट।

6. **राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके)** : आरबीएसके के तहत जन्मजात दोषों, बीमारियों, कमियों, अपंगता (4डी) सहित विकास में विलंब का समय से पता लगाकर बच्चों के लिए व्यापक स्वास्थ्य देखरेख प्रदान की जाती है ताकि सुनिश्चित हो सके कि बच्चे अपनी पूर्ण क्षमता के अनुसार विकास कर रहे हैं। आरबीएसके के तहत बाल स्वास्थ्य जांच और सामयिक हस्तक्षेप सेवाओं में जन्म से लेकर 18 साल की आयु तक बच्चों के लिए जांच, समय से पता लगाने और नि:शुल्क प्रबंधन के लिए 30 चयनित स्वास्थ्य स्थितियों को शामिल करने की परिकल्पना है। बच्चों की जांच करने के लिए आरबीएसके की टीम वर्ष में एक बार स्कूलों तथा वर्ष में दो आंगनवाड़ी केंद्रों का दौरा करती है।
7. **परिवार नियोजन :** ओरल कंट्रासेप्टिव पिल, आईयूसीडी, इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव एमपीए (अंतरा), कंडोम जैसी अस्थाई / अंतराल विधियों तथा पुरूष एवं महिला नसबंदी सहित स्थाई / सीमित विधियों के माध्यम से परिवार नियोजन के उपायों को अपनाने के लिए पात्र जोड़ों को सेवाएं प्रदान की जाती हैं।
8. **राष्ट्रीय एंबुलेंस सेवा (एनएएस) :** दो माडलों अर्थात डायल 102 और डायल 108 द्वारा नि:शुल्क एंबुलेंस सेवाएं प्रदान की जाती हैं। डायल 102 में अनिवार्य रूप से बुनियादी रोगी परिवहन शामिल होता है जिसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करना है। डायल 108 प्राथमिक रूप से आपातकालीन प्रत्युत्तर प्रणाली है जिसका उद्देश्य क्रिटिकल केयर, ट्रामा के मरीजों, दुर्घटना के पीड़ितों आदि को अटेंड करना है।
9. **बीमारी नियंत्रण कार्यक्रम :** विभिन्न बीमारी नियंत्रण कार्यक्रमों के तहत टीबी, लेप्रोसी, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी एंसेफलाइटिस, कालाजर, फाइलेरिया, वायरल हेपेटाइटिस आदि के लिए नि:शुल्क उपचार एवं जांच का सुनिश्चय किया जाता है। वेक्टर जनित बीमारियों के विरूद्ध बचाव के लिए लांग लास्टिंग इनसेक्टिसाइडल नेट (एलएलआईएन) का

वितरण किया जाता है।

10. **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)** : जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) तथा निक्षय पोषण योजना (एनपीवाई) जैसे योजनाओं के लिए डीबीटी योजना लागू की जा रही है।
    - जेएसवाई के तहत गर्भवती महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्रों के मामले में कम निष्पादन वाले राज्यों (एलपीएस) के लिए 1400 रुपए तथा अधिक निष्पादन वाले राज्यों (एचपीएस) के लिए 700 रुपए और शहरी क्षेत्रों के मामले में एलपीएस के लिए 1000 रुपए तथा एचपीएस के लिए 600 रुपए का नकद प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है ताकि संस्था में प्रसव को बढ़ावा दिया जा सके। सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं में प्रसव कराने के लिए जेएसवाई के पात्र लाभार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए आशा को भी नकद प्रोत्साहन दिया जाता है जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 600 रुपए (एएनसी घटक के लिए 300 रुपए और संस्था में प्रसव को सुगम बनाने के लिए 300 रुपए) और शहरी क्षेत्रों के लिए 400 रुपए (एएनसी घटक के लिए 200 रुपए और संस्था में प्रसव को सुगम बनाने के लिए 200 रुपए) है।
    - भारत में 2025 तक टीबी के उन्मूलन को साकार करने के लिए पोषण सहायता आवश्यक कारकों में से एक है। इस संबंध में, उपचार की अवधि के दौरान टीबी के प्रत्येक अधिसूचित मरीज को पोषण सहायता प्रदान करने 500 रुपए प्रतिमाह की वित्तीय सहायता के रूप में निक्षय पोषण योजना (एनपीवाई) लागू की जा रही है।

अभिसरण : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) और एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) के माध्यम से ग्रामीण समुदाय को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय के साथ साझेदारी की है। पंचायती राज मंत्रालय के साथ साझेदारी का उद्देश्य बड़े कार्यक्रमों में परिवर्तन के माध्यम से विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। पंचायती राज मंत्रालय की सहायता से पंचायत स्तर पर निम्नलिखित गतिविधियां संपन्न की जा रही हैं :

- उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं तथा उनकी स्वास्थ्य पात्रता के बारे में गांव में जागरूकता पैदा करना
- समुदाय की स्थिति और प्राथमिकताओं के आकलन के आधार पर ग्राम स्वास्थ्य योजना का विकास करना
- स्वास्थ्य एवं पोषण की ग्राम स्तरीय गतिविधियों से संबंधित प्रमुख मुद्दों एवं समस्याओं का विश्लेषण करना
- आरोग्यता केंद्र के रूप में स्वास्थ्य उपकेंद्र
- स्वास्थ्य संरक्षण योजना के तहत कवरेज
- आपातकालीन एंबुलेंस सुविधा
- 100 प्रतिशत टीकाकरण
- 100 प्रतिशत संस्था में प्रसव
- मलेरिया, टीबी, फाइलेरिया, कालाजर के लिए 100 प्रतिशत उपचार

10.4 कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमओएसडीएंडई)

कौशल प्रशिक्षण की मौजूदा पहलों का अभिसरण करने तथा कौशल प्रदान करने के प्रयासों की गुणवत्ता एवं विस्तार को संयोजित करने के लिए स्किल इंडिया के एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए नवंबर, 2014 में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमओएसडीएंडई) का गठन किया गया है। एमएसडीई ने अंत दर अंत कार्यान्वयन रूपरेखा का निर्माण करने के लिए राष्ट्रीय

कौशल विकास मिशन (एनएसडीएम) शुरू किया जो अल्प अवधि और दीर्घ अवधि के गुणवत्तापूर्ण कौशल विकास (एसडी) के लिए अवसर प्रदान करता है जिससे रचनात्मक रोजगार का सृजन होता है और करियर की तरक्की होती है जिससे प्रशिक्षणार्थियों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रम इस प्रकार हैं :

i. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई)

अल्प अवधि के कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके और कौशल प्रमाणन के लिए युवाओं को मौद्रिक इनाम के माध्यम से प्रोत्साहन प्रदान करके देश में कौशल विकास को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए 2015 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) शुरू की गई। इसका समग्र उद्देश्य उद्योग तथा युवाओं की नियोजनीयता दोनों को बढ़ाना है।

सेक्टर और भूगोल दोनों दृष्टि से विस्तार करके तथा भारत सरकार के अन्य मिशनों जैसे कि मेक इन इंडिया, डिजीटल इंडिया, स्वच्छ भारत आदि के साथ अधिक संरेखण के माध्यम से पीएमकेवीवाई को 2016-20 में पुन: लांच किया गया। पीएमकेवीवाई का कवरेज राज्य स्तर, आकांक्षी जिलों, एलडब्ल्यूई जिलों सहित जिला स्तर और पूर्वोत्तर राज्यों तक है। नई पीएमकेवीवाई 3.0 मांग पर आधारित योजना है जहां जिले कौशल कार्यान्वयन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे। योजनाओं में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक युवाओं तथा जॉब की ऐसी भूमिकाओं का विवरण शामिल होगा जिनमें उनकी रूचि है। इस मांग के आधार पर उनके लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया जा सकता है। गांव में पंचायती राज संस्था कौशल विकास योजनाओं के लिए युवाओं को प्रेरित करने तथा अपने क्षेत्राधिकार से ऐसी सूचियां तैयार करने में बहुत उपयोगी होगी।

ii. राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस)

वाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करके स्थापनाओं में प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम को विनियमित करने के उद्देश्य से प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961 अधिनियमित किया गया। एमएसडीई इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार प्रशासनिक मंत्रालय है। सरकार ने 2014 में प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961 में और 2019 में प्रशिक्षुता नियम, 1992 में व्यापक सुधार किया ताकि इसे अधिक नियोक्ता हितैषी बनाया जा सके।

iii. जन शिक्षण संस्थान

यह योजना (पूर्व में इसका नाम श्रमिक विद्यापीठ था) 1967 से देश में एनजीओ के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। 2000 में इस योजना का नाम बदलकर जन शिक्षण संस्थान रखा गया। 15-45 वर्ष के आयु वर्ग में निरक्षरों, नव साक्षरों, 8वीं कक्षा तक की शिक्षा के आधारभूत स्तर वाले व्यक्तियों तथा 12वीं कक्षा तक के स्कूल ड्राप-आउट को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्राथमिक समूहों में महिलाएं, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक तथा समाज के अन्य पिछड़े वर्गों के लोग शामिल हैं जिसके माध्यम से गरीबों में से सबसे गरीब तक पहुंचना है। जेएसएस दूरस्थ क्षेत्रों में भी काम कर रहे हैं तथा प्रौढ़ आबादी को सशक्त बना रहे हैं। जेएसएस ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में लोगों के पलायन को कम करने तथा स्थानीय मांग वाले व्यावसायिक कौशल प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

iv. आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण तथा ज्ञान जागरूकता (संकल्प)

संकल्प में चार प्रमुख परिणाम क्षेत्र हैं - संस्थानिक सुदृढ़ीकरण; कौशल विकास कार्यक्रमों का गुणवत्ता आश्वासन; कौशल विकास कार्यक्रमों में वंचित आबादी का समावेशन; और पीपीपी के माध्यम से कौशल का विस्तार।

अल्प अवधि की कौशल विकास योजना एवं कार्यान्वयन में सुधार के लिए अभिसरण के साथ विकेंद्रीकरण संकल्प द्वारा अपनाई गई रणनीतियों में से एक प्रमुख रणनीति है। संकल्प स्थानीय स्तर पर नवाचारी सर्वोत्तम प्रथाओं को भी प्रोत्साहित करता है जिससे कौशल इको-सिस्टम में पहुंच, गुणवत्ता और क्षमता में वृद्धि होती है। उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रमुख हस्तक्षेपों में से कुछ इस प्रकार हैं :

पंचायती राज मंत्रालय के साथ अभिसरण का क्षेत्र

एमएसडीई ने ग्राम पंचायतों (जीपी) में कौशल योजना को एकीकृत करने तथा कौशल प्रशिक्षण को ग्रामीण आबादी की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए पंचायती राज मंत्रालय के साथ साझेदारी की है। पंचायती राज मंत्रालय के साथ साझेदारी अनोखी एवं पथप्रदर्शक साझेदारी है जिससे न केवल कौशल विकास को ग्रामीण स्थानीय निकायों तक ले जाने में मदद मिलेगी अपितु ग्रामीण समुदायों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए ग्राम पंचायतों को कुशल संसाधनों से लैस करने में भी मदद मिलेगी। इसकी सफलता के लिए, उम्मीद है कि पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित क्षेत्रों में अपना समर्थन प्रदान करेगा :

- परियोजनाओं के लिए आवश्यक गतिविधियों को शुरू करने के लिए पंचायती राज प्रणाली को अक्सेस प्रदान करना;
- परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कौशल विकास संस्थाओं का समर्थन करने के लिए तीन स्तरीय पीआरआई प्रणाली को प्रेरित करना;
- जहां आवश्यक हो, वहां साक्ष्य आधारित कार्यक्रमों के विकास को संभव बनाने के लिए डेटा प्रदान करना;
- उप नियमों में प्रावधान करना ताकि ग्राम पंचायतें सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सामुदायिक विकास से संबंधित आवश्यक सेवाएं प्रदान करने तथा उनका रखरखाव करने के लिए केवल कुशल संसाधनों का प्रयोग कर सकें।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप (एमजीएनएफ) : कौशल विकास कार्यक्रमों के संचालन में सुधार तथा प्रतिबद्ध एवं सक्षम डवलपमेंट लीडर का एक संवर्ग विकसित करने में जिला प्रशासन की सहायता के लिए एमजीएनएफ शुरू किया गया। इसके पहले वर्ष में, गुजरात, कर्नाटक, मेघालय, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 74 जिलों में दो साल के लिए 74 फेलो प्रतिनियुक्त किए गए। आईआईएम बंगलौर इस फेलोशिप के लिए शैक्षणिक पार्टनर है। जिलों के साथ सीधे काम करने के व्यापक बुनियादी अनुभव के साथ फेलो को फेलोशिप कार्यक्रम के समापन पर आईआईएम बंगलौर की ओर से लोक नीति एवं प्रबंधन में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। अपने दूसरे वर्ष में, एमजीएनएफ कार्यक्रम और जिलों एवं राज्यों को कवर करेगा।

10.5 शिक्षा मंत्रालय

प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत असंख्य परियोजनाएं एवं कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य अच्छी शिक्षा तक

पहुंच, अधिगम क्षमता तथा संज्ञानात्मक विकास में सुधार करना है। कुछ योजनाएं नीचे दी गई हैं :

1. समग्र शिक्षा - समग्र स्कूल शिक्षा के लिए 2018-19 में संघ बजट द्वारा स्कूल शिक्षा क्षेत्र के लिए एक अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम का प्रस्ताव किया गया है जिसका विस्तार स्कूल पूर्व शिक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक है। इसमें 3 तत्कालीन योजनाओं अर्थात सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और शिक्षक शिक्षा (टीई) का विलय किया गया है। इस योजना का विजन शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) के अनुसार स्कूल पूर्व से लेकर वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक समावेशी एवं साम्यपूर्ण अच्छी शिक्षा का सुनिश्चय करना है।

2. राष्ट्रीय बालिका प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम (एनपीईजीईएल) - इसका उद्देश्य ऐसी लड़कियों तक पहुंचना है जो स्कूलों में नामांकित नहीं है। इस कार्यक्रम का मुख्य फोकस लैंगिक रूढ़ियों को तोड़ना तथा यह सुनिश्चित करना है कि प्रारंभिक स्तर पर लड़कियों को अच्छी शिक्षा मिले।

3. मध्याह्न भोजन योजना : अन्यथा प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहायता कार्यक्रम के नाम से विख्यात यह योजना प्राइमरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को मध्याह्न भोजन प्रदान करने के लिए 1995 में शुरू की गई। इसका मुख्य उद्देश्य क्लास रूम में बच्चों को भूखा न रहने देना तथा बच्चों के नामांकन और स्कूल में उपस्थिति को बढ़ाना था। यह बच्चों में अपर्याप्त एवं अनुचित पोषण की समस्या का भी निवारण करती है।

राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएसएस) - राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना नामक केंद्रीय क्षेत्रीय योजना मई, 2008 में शुरू की गई जिसका उद्देश्य कक्षा 8 में उनके ड्राप आउट पर लगाम लगाने तथा कक्षा 12 तक माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक चरण पर पढ़ाई जारी रखने के लिए उनको प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को 500 रुपए प्रतिमाह (अर्थात 6000 रुपए प्रतिवर्ष) की दर से छात्रवृत्ति प्रदान करना था। सरकार ने इस योजना के तहत छात्रवृत्ति की दर को 1 अप्रैल, 2017 से 500 रुपए प्रतिमाह (6000 रुपए प्रतिवर्ष) से बढ़ाकर 1000 रुपए प्रतिमाह (12000 प्रतिवर्ष) कर दिया है। आबादी एवं नामांकन के आधार पर विभिन्न राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के लिए छात्रवृत्तियों का कोटा है। छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए ऐसे छात्र पात्र हैं जिनके माता-पिता की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 1,50,000/- रुपए प्रतिवर्ष से अधिक नहीं है।

माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहन प्रदान करने की राष्ट्रीय योजना (एनएसआईजीएसई) - यह केंद्रीय प्रायोजित योजना मई, 2008 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य एससी/एसटी समुदाय से ताल्लुक रखने वाली लड़कियों के ड्राप आउट को कम करने तथा माध्यमिक स्कूलों में उनके नामांकन को बढ़ावा देने तथा उनका प्रतिधारण सुनिश्चित करने के लिए अनुकूल माहौल स्थापित करना है। यह योजना (i) एससी/एसटी समुदाय की ऐसी सभी लड़कियों जिन्होंने कक्षा 8 पास कर लिया है और (ii) ऐसी सभी लड़कियों को कवर करती है जिन्होंने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से कक्षा 8 पास कर लिया है (इस बात पर ध्यान दिए बगैर कि वे एससी/एसटी श्रेणी से हैं या नहीं) और राज्य सरकार, सरकार द्वारा अनुदानित तथा स्थानीय निकायों के स्कूलों में कक्षा 9 में दाखिला लिया है। कक्षा 9 में नामांकन होने पर सावधि जमा के रूप में पात्र अविवाहित लड़कियों के नाम में 3000 रुपए जमा किए जाते हैं, जो 18 साल की आयु पूरी करने तथा कक्षा 10 की परीक्षा पास करने पर इस रकम पर ब्याज

के साथ इसे निकालने के लिए हकदार हैं। इस योजना को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर डाला गया है तथा यह प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के तहत शामिल है।

अभिसरण : पंचायती राज मंत्रालय के साथ मंत्रालय का उद्देश्य निरक्षरता को समाप्त करना तथा समाज के सभी वर्ग को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना है। अभिसरण प्रणाली में पंचायती राज संस्थाएं लाभार्थियों की पहचान करने में बेहतर भूमिका निभा सकती हैं। निर्वाचित प्रतिनिधि संज्ञानात्मक एवं शारीरिक विकास के लिए प्राथमिक शिक्षा के महत्व पर जागरूकता का प्रसार कर सकते हैं। इससे विशेष रूप से लड़कियों में पढ़ाई बची में छोड़ने की दर कम होने का सुनिश्चय होगा और 100 प्रतिशत स्कूल उपस्थिति तथा अधिगम परिणामों में सुधार होगा। पंचायतों के साथ मिलकर संबद्ध विभाग बुनियादी स्तर पर लड़कियों के लिए उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की सुविधाएं, खेल की सुविधा के साथ पर्याप्त स्कूल अवसंरचना और प्रौढ़ शिक्षा की सुविधाएं प्रदान कर सकता है।

10.6 कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तीन संघटक विभागों में से एक है, तथा अन्य दो विभाग पशुपालन, डेयरी एवं मछलीपालन विभाग तथा कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डेयर) हैं। विभाग की विभिन्न योजनाएं इस प्रकार हैं :

1. **प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान)** - यह योजना पूरे देश के सभी किसान परिवारों को आय सहायता प्रदान करके किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है ताकि वे कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों से संबंधित खर्चों और घरेलू आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

2. **प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (पीएम-केएमवाई)** - यह योजना देश के सभी छोटे एवं सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इन किसानों के पास नाममात्र की बचत या कोई बचत नहीं होती है और उनके पास उस समय आजीविका का कोई स्रोत नहीं होता है जब वे बूढ़े हो जाते हैं। इस योजना के तहत सभी पात्र छोटे एवं सीमांत किसानों को 3000 रुपए की नियत पेंशन प्रदान की जाएगी।

3. **प्रधानमंत्री अन्नदाता एवं संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)** - इसे उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) के मानदंडों को पूरा करने वाले अधिसूचित तिलहन एवं दलहन के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का सुनिश्चय करने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है। यह एक अंब्रेला योजना है जिसके तहत मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस), मूल्य खामी भुगतान योजना (पीडीपीएस) और निजी प्रापण एवं स्टाकिस्ट योजना (पीपीएसएस) शामिल हैं। ये योजनाएं राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अनुरोध पर कार्यान्वित की जाती हैं।

4. **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) / पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस)** - इसे प्राकृतिक आपदाओं, प्रतिकूल मौसम से उत्पन्न फसलों की क्षति / नुकसान से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने तथा किसानों की आय को स्थिर करने आदि के लिए खरीफ 2016 से उपज सूचकांक आधारित पीएमएफबीवाई और मौसम सूचकांक आधारित डब्ल्यूबीसीआईएस के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।

5. **पीएमकेएसवाई - हर बूंद से अधिक फसल** - यह मुख्य रूप से शुद्धता / सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से फार्म स्तर पर पानी के दक्षतापूर्ण प्रयोग पर ध्यान केंद्रित करती है। शुद्धता सिंचाई (बूंद एवं छिड़काव सिंचाई प्रणाली) के संवर्धन तथा उपलब्ध जल संसाधनों के प्रयोग को इष्टतम करने के लिए खेत पर बेहतर जल प्रबंधन प्रथाओं के अलावा यह घटक सूक्ष्म सिंचाई को संपूरित करने के लिए सूक्ष्म स्तरीय जल भंडारण या जल संरक्षण / प्रबंधन की गतिविधियों का भी समर्थन करता है।

6. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में फसलों के अवशिष्ट के स्व-स्थाने प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रीकरण का संवर्धन। विभाग इस योजना के निम्नलिखित घटकों को लागू करने के लिए हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की राज्य सरकारों को 100 प्रतिशत सहायता प्रदान करता है।

7. **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)** - यह योजना क्षेत्र विस्तार तथा उत्पादकता में वृद्धि, मिट्टी उर्वरता एवं उत्पादकता बनाए रखने, रोजगार के अवसर सृजित करने और फार्म स्तरीय अर्थव्यवस्था बढ़ाने के माध्यम से चावल, गेहूं और दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए 2007-08 से कार्यान्वित की जा रही है। 2014-15 से एनएफएसएम के तहत मिशन में मोटे अनाजों को शामिल किया गया।

8. **एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)** - यह योजना बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए कार्यान्वित की जा रही है जिसके तहत फल, सब्जियां, कंद मूल की फसलें, मशरूम, मसाले, फूल, सुगंधित पौधे, नारियल, काजू, कोको तथा बांस शामिल हैं। इसके घटक निम्नलिखित हैं :

   (i) राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम)
   (ii) पूर्वोत्तर तथा हिमालयन राज्यों के लिए बागवानी मिशन (एचएमएनईएच)
   (iii) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी)
   (iv) नारियल विकास बोर्ड (सीडीबी)
   (v) केंद्रीय बागवानी संस्थान (सीआईएच), नागालैंड

9. **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के उद्धार के लिए लाभकारी दृष्टिकोण (आरकेवीवाई - रफ्तार) :** आरकेवीवाई - रफ्तार का उद्देश्य किसानों के प्रयासों के सुदृढ़ीकरण, जोखिम उपशमन तथा कृषि व्यवसाय उद्यमिता के संवर्धन के माध्यम से कृषि को लाभप्रद आर्थिक गतिविधि बनाना है। इस योजना के तहत अवसंरचना एवं परिसंपत्तियों के विकास, मूल्यवर्धन संबद्ध उत्पादन परियोजनाओं (कृषि व्यवसाय माडल), उनकी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार किसी परियोजना का समर्थन करने के लिए राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी की जाती हैं।

10. **पारंपरिक कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) :** पीकेवीवाई योजना हमारे देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित की जा रही है। यह योजना न्यूनतम 20 हेक्टेयर के साथ क्लस्टर मोड में कार्यान्वित की जा रही है तथा राज्यों से मैदानी क्षेत्र में 1000 हेक्टेयर और पहाड़ी क्षेत्र 500 हेक्टेयर के क्लस्टर में इसे कार्यान्वित करने के लिए कहा गया है ताकि जैविक उपज के विपणन को सुगम बनाया जा सके।

11. **पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मिशन जैविक मूल्य श्रृंखला विकास (एमओवीसीडीएनईआर) :** एमओवीसीडीएनईआर को देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है ताकि मूल्य श्रृंखला मोड में प्रमाणित जैविक उत्पादन का विकास हो सके ताकि उत्पादकों को उपभोक्ताओं से जोड़ा जा सके और संग्रहण, समूहन, प्रसंस्करण, विपणन और ब्रांड निर्माण की पहल के लिए इनपुट, बीज, प्रमाणन तथा सुविधाओं के निर्माण तक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के विकास में मदद की जा सके।

3. **इनके अलावा, अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं जो उल्लेख करने योग्य हैं, इस प्रकार हैं :** वर्षा पर आधारित क्षेत्रों का विकास (आरएडी); कृषि वानिकी पर उप मिशन (एसएमएएफ); राष्ट्रीय बांस मिशन (एनबीएम); कृषि विस्तार पर उप मिशन (एसएएमई); बीज एवं रोपण सामग्री पर उप मिशन (एसएमएसपी); कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन (एसएमएएम); राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम); ग्रामीण कृषि मंडियों में ग्रामीण हाट का विकास एवं उन्नयन (जीआरएएम) और एकीकृत कृषि सहकारिता योजना।

अभिसरण : अभिसरण के लिए दोनों मंत्रालय कृषि की गतिविधियों तथा खेती की उपज के विकास के लिए अपने कार्यक्रमों का विस्तार कर रहे हैं। इसके अलावा, विभाग निर्वाचित प्रतिनिधियों की सहायता से ग्राम स्तर पर कल्याण से जुड़ी योजनाओं का ख्याल रख रहा है।

- मिट्टी, पानी, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन का स्थायी प्रबंधन
- बीज, उर्वरक, पादप संरक्षण, फार्म मशीनरी, सिंचाई, क्रेडिट, बीमा, विस्तार जैसे इनपुट की आपूर्ति
- उत्पादन एवं कृषिशास्त्रीय प्रथाओं का संरक्षण जैसे कि मिट्टी की जांच, शून्य जुताई, पानी एवं पोषक तत्वों के प्रयोग में दक्षता; सुखाने, छांटने, वर्गीकरण करने, भंडारण, कोल्ड स्टोरेज में फसलोत्तर गतिविधियां
- विपणन, गांव की मंडिया से संबंधित विपणन, संविदा खेती, सहकारिता, किसान संघ, ई-नाम, निजी बाजार, सुपरमार्केट; पिसाई से संबद्ध कृषि प्रसंस्करण, नाशवान उपज का परिरक्षण, परिवहन, पूर्ति श्रृंखला प्रबंधन
- जैविक उत्पादों की फुटकर बिक्री, ब्रांडिंग, लेबलिंग, प्रमाणन, जैव संपुष्टीकरण; किसानों के कल्याण के लिए सेवाएं जैसे कि बीमा, स्वास्थ्य बीमा, ग्रामीण अवसंरचना और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से भिन्न आय का सृजन।
-

10.7 जल शक्ति मंत्रालय : जल एवं स्वच्छता विभाग

जल एवं स्वच्छता विभाग (डीडब्ल्यूएस) मिशन के ग्रामीण घटक - स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (एसबीएम-जी) का प्रबंधन करता है और यह समग्र एसबीएम के लिए समन्वय विभाग है। आगे चलकर एसबीएम ओडीएफ स्थायित्व तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर फोकस के माध्यम से चार प्रमुख वर्टिकल के तहत ओडीएफ से ओडीएफ प्लस की दिशा में बढ़ने पर बल देगा : धूसर जल प्रबंधन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, सड़नशील ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और मल स्लज प्रबंधन। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ग्रामीण भारत को सुरक्षित एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए राज्यों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) नामक विभाग की केंद्रीय प्रयोजित योजना वर्तमान में भारत की ग्रामीण आबादी को पेयजल प्रदान करने पर बल दे रही है। यह विभाग छोटी, समुदाय द्वारा संचालित योजनाओं, भूजल योजनाओं, जहां संभव है, पर फोकस के साथ 2024 तक

सभी ग्रामीण परिवारों को पारिवारिक पाइप जलापूर्ति प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है जिसमें भूजल के रिचार्ज और अपशिष्ट जल के पुन: प्रयोग के माध्यम से स्रोत के स्थायित्व पर बल दिया जाता है।

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (एसबीएम-जी) : भारत सरकार ग्रामीण भारत के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (एसबीएम-जी) - स्वच्छ भारत अभियान के तहत ग्रामीण स्वच्छता तथा अगले चरण ओडीएफ प्लस में अब तक की उपलब्धियों को बनाए रखने पर प्राथमिकता के साथ ध्यान दे रही है।

एसबीएम-जी के अलावा, जल जीवन मिशन वर्तमान में डीडब्ल्यूएस द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है जिसका उद्देश्य 2024 तक ग्रामीण भारत के सभी परिवारों को व्यक्तिगत पारिवारिक टोंटी कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित एवं पर्याप्त पेयजल प्रदान करना है। यह कार्यक्रम अनिवार्य घटक के रूप में स्थायित्व के उपायों को भी लागू करेगा, जैसे कि धूसर जल प्रबंधन, जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन के माध्यम से रिचार्ज एवं पुन: प्रयोग।

10.8 गृह मंत्रालय : राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए)

राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम उपशमन परियोजना

भारत सरकार ने देश में चक्रवात के जोखिमों को दूर करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम उपशमन परियोजना (एनसीआरएमपी) शुरू की है। इस परियोजना का समग्र उद्देश्य भारत के तटवर्ती राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में चक्रवातों के प्रभाव को कम करने के लिए उपयुक्त संरचनात्मक एवं गैर संरचनात्मक उपायों को लागू करना है। गृह मंत्रालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) प्रतिभागी राज्य सरकारों तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआइडीएम) के समन्वय में परियोजना को लागू करेगा।

इस परियोजना ने सुभेद्यता के अलग-अलग स्तरों के साथ 13 चक्रवातों प्रवण राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की पहचान की है। इन राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को चक्रवात आने की बारंबारता, आबादी के आकार तथा आपदा प्रबंधन के लिए मौजूदा संस्थानिक तंत्र के आधार पर पुन: दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। ये श्रेणियां इस प्रकार हैं :

श्रेणी I : अधिक सुभेद्यता वाले राज्य अर्थात आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल।
श्रेणी II : कम सुभेद्यता वाले राज्य अर्थात महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दमन और दीव, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह।

परियोजना के उद्देश्य

एनसीआरएमपी के परियोजना विकास का उद्देश्य निम्नलिखित के माध्यम से चक्रवात तथा अन्य जल मौसमविज्ञानी जोखिमों के प्रति तटवर्ती समुदायों की सुभेद्यता को कम करना है :

1. शीघ्र चेतावनी प्रसार प्रणालियों में सुधार
2. आपदाओं का सामना करने के लिए स्थानीय समुदायों की क्षमता में वृद्धि
3. तूफान, बाढ़ तथा उतुंग क्षेत्रों में झंझावात के विरूद्ध आपातकालीन आश्रय, निकास और संरक्षण तक अधिक पहुंच

4. केंद्रीय, राज्य तथा स्थानीय स्तरों पर डीआरएम की क्षमता का सुदृढ़ीकरण ताकि जोखिम उपशमन के उपायों को समग्र विकास एजेंडा में शामिल किया जा सके।

एनसीआरएमपी से संबंधित वित्त पोषण एवं परियोजना करार पर 14 जनवरी, 2011 को आर्थिक कार्य विभाग, विश्व बैंक तथा आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा की राज्य सरकारों के बीच हस्ताक्षर किए गए। परियोजना के चरण-I को पूरा करने की तारीख 31 मार्च, 2018 है। आंध्र प्रदेश और ओडिशा की राज्य सरकारों तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) के साथ समन्वय में 2541.60 करोड़ रुपए की लागत से केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में एनडीएमए।

यह परियोजना 1985.68 करोड़ रुपए के अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए) ऋण के साथ अनुकूलनीय कार्यक्रम ऋण (एपीएल) के रूप में विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित की जा रही है। 555.91 करोड़ रुपए की शेष रकम आंध्र प्रदेश तथा ओडिशा की राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जाएगी (केवल घटक बी के तहत)। अन्य घटकों को केंद्र सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्त पोषित किया जाएगा।

अतिरिक्त अवसंरचना का निर्माण करके फाइलिन चक्रवात के दौरान अवसंरचना में पाई गई कमियों को दूर करने के लिए एनसीआरएमपी (अतिरिक्त वित्त पोषण) का निर्माण किया गया है। अतिरिक्त वित्त पोषण के तहत कुल परिव्यय 835 करोड़ रुपए है जिसमें विश्व बैंक से 645.79 करोड़ रुपए का क्रेडिट तथा एनसीआरएमपी चरण-I की तरह घटक बी तहत राज्य सरकारों के 25 प्रतिशत योगदान (कुल 189.21 करोड़ रुपए) शामिल हैं। भारत सरकार ने अक्टूबर, 2017 तक बंदी के साथ आंध्र प्रदेश और ओडिशा के लिए जुलाई, 2015 में अतिरिक्त वित्त पोषण के लिए मंजूरी प्रदान की है।

एनसीआरएमपी चरण-II : भारत सरकार ने मार्च, 2020 तक पांच साल के लिए जुलाई, 2015 में चरण-II को मंजूरी प्रदान की है जिसमें गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, तथा पश्चिम बंगाल शामिल हैं तथा इसका परिव्यय 2361.35 करोड़ रुपए है जिसमें विश्व बैंक से 1881.20 करोड़ रुपए का वित्त पोषण शामिल है। 480.15 करोड़ रुपए की शेष रकम अपने शेयर के रूप में राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जा रही है। एनसीआरएमपी चरण-II के तहत भूमिगत केबल बिछाने के उप घटक को शामिल किया गया है। (घटक-बी के तहत)

ग्राम सभा में आपदा जोखिम कटौती

पीआरआई विशिष्ट जिम्मेदारियों एवं कर्तव्यों के साथ सुपरिभाषित लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से स्थानीय लोगों द्वारा निर्वाचित वैधानिक निकाय है। निर्वाचित सदस्य वार्ड के लोगों, ग्रामीण समुदाय, ब्लाक और जिला के प्रति जवाबदेह हैं। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, पीआरआई जो लोगों का प्रतिनिधिमूलक निकाय है, अपनी नजदीकी, सार्वभौमिक कवरेज तथा संस्थानीकृत आधार पर लोगों की भागीदारी प्राप्त करने की दृष्टि से गांव से लेकर जिला स्तर तक सर्वाधिक उपयुक्त संस्था है।

यह स्वीकार करना आवश्यक है कि जहां भी इसकी जड़ें मजबूत हैं, पीआरआई ने संकट की विभिन्न स्थितियों में लोगों को लामबंद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तथापि, यह सच है कि आपदाओं को रोकना तथा उनकी मात्रा के बारे में भविष्यवाणी करना भी मुश्किल है। परंतु सुभेद्य क्षेत्रों में रहने वाले लोगों पर आपदाओं के प्रभाव तथा उनकी संपत्ति के नुकसान को

बुनियादी स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं द्वारा निभाई गई सक्रिय भूमिका द्वारा कम किया जा सकता है। संगठन के महान कौशलों के अलावा इसे साहस तथा फ्रंट से नेतृत्व करने के लिए बुलाया जा सकता है। पीआरआई सदस्य सभी स्तरों पर आपदा प्रबंधन में नेतृत्व की भूमिका निभा सकते हैं। तैयारी चरण से लेकर जोखिम प्रबंधन के लिए दीर्घ अवधि की विकास गतिविधियों की हैंड होल्डिंग तक, पीआरआई अनेक तरीकों से नेतृत्व कर सकती है।

ग्राम सभा में डीआरआर पर चर्चा को सुगम बनाने के लिए एमडीएमए द्वारा विकसित फार्मेट ने आपदा पूर्व तथा आपदा पश्चात कारकों को समझने के लिए समुचित सूचना के लिए प्रश्नावली के एक सेट का विकास किया है।

- आपदा पश्चात का इतिहास
- गांव में संकट का प्रकार
- गांव में सभेद्यता
- जागरूकता सृजन
- आपदा जोखिम कटौती में व्यक्तियों, समुदाय और पंचायत की भूमिका
- संकटों के उपशमन के लिए समय से तैयारी
- प्रत्युत्तर
- आयोजना

10.9 मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग अनेक योजनाओं / कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहा है जिससे पंचायत स्तर पर उत्पादक सीधे लाभांवित हो रहे हैं। ये योजनाएं इस प्रकार हैं :

1. गोकुल एवं डेयरी विकास

i. **राष्ट्रीय गोकुल मिशन** - यह योजना दूध की बढ़ती मांग को पूरा करने तथा देश के ग्रामीण किसानों के लिए डेयरी को अधिक लाभप्रद बनाने के लिए पशुधन एवं भैंस के दुग्ध उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है।

ii. **राष्ट्रीय डेयरी योजना-II** - इसके तहत देश में डेयरी अवसंरचना के अंतराल को पाट कर डेयरी सहकारिताओं, दुग्ध उत्पादक कंपनियों और निजी डेयरी के लिए विपणन अवसंरचना के लिए दुग्ध प्रापण, प्रसंस्करण एवं सहायता की अवसंरचना को सुदृढ़ करने की परिकल्पना है।

iii. **डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास निधि** - यह प्रसंस्करण एवं प्रशीतन अवसंरचना की स्थापना तथा ग्राम स्तर पर इलेक्ट्रानिक दुग्ध मिलावट जांच उपकरण के संस्थापन द्वारा दक्ष दुग्ध प्रापण प्रणाली के निर्माण पर बल देती है।

iv. **डेयरी सहकारिताओं और किसान उत्पादकों को सहायता प्रदान करना** - इसका उद्देश्य 100 प्रतिशत सहायता के माध्यम से डेयरी सहकारिताओं तथा किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को उदार शर्तों पर कार्यकारी पूंजी ऋण प्रदान करना है। एसडीसीएफपीओ के तहत राज्यों का कोई शेयर नहीं है।

2. राष्ट्रीय पशुधन मिशन - इसे पशुधन क्षेत्र के विकास के लिए तैयार किया गया है जिसका उद्देश्य स्थायी, सुरक्षित और साम्यपूर्ण पशुधन विकास के माध्यम से पशुधन पालकों और किसानों, विशेष रूप से छोटे किसानों के पोषण स्तर और रहन-सहन के स्तर को ऊपर उठाना है। इसमें निम्नलिखित चार उप मिशन हैं :

i. पशुधन विकास,

ii. पूर्वोत्तर क्षेत्र में सुअर विकास,
iii. चारा और आहार विकास,
iv. कौशल विकास, प्रौद्योगिकी अंतरण और विस्तार।

3. खुरपका और मुंहपका बीमारी तथा ब्रुसेलोसिस के नियंत्रण के लिए पशुधन स्वास्थ्य एवं बीमारी नियंत्रण (राष्ट्रीय पशु बीमारी नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी) सहित) - यह केंद्रीय प्रायोजित योजना है जो पशुओं की बीमारियों के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए केंद्रीय शेयर के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करके पशुपालन के विकास में राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को संपूरित करती है। केंद्रीय और राज्य वित्त पोषण के साथ योजना के घटकों का विवरण इस प्रकार है :

i. पशुओं की बीमारियों के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता (एएससीएडी)
ii. खुरपका एवं मुंहपका बीमारी नियंत्रण कार्यक्रम (एफएमडी-सीपी)
iii. पेस्टे डेस पेटिस रूमिनेंट्स नियंत्रण कार्यक्रम (पीपीआर-सीपी)
iv. मौजूदा पशु अस्पतालों एवं औषधालयों का सुदृढ़ीकरण और स्थापना (ईएसवीएचडी)
v. ब्रुसेलोसिस नियंत्रण कार्यक्रम (ब्रुसेलोसिस-सीपी)
vi. क्लासिकल स्वाइन फीवर नियंत्रण कार्यक्रम (सीएसएफ-सीपी)
vii. राष्ट्रीय रिंडरपेस्ट निगरानी एवं सतर्कता परियोजना (एनपीआरएसएम)
viii. राष्ट्रीय पशु रोग रिपोर्टिंग प्रणाली (एनएडीआरएस)
ix. व्यावसायिक दक्षता विकास (पीईडी)

4. पशुधन गणना तथा एकीकृत प्रतिदर्श सर्वेक्षण - विभाग द्वारा दो योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं अर्थात पशुधन गणना तथा एकीकृत प्रतिदर्श सर्वेक्षण। दोनों योजनाएं सतत केंद्रीय क्षेत्र योजनाएं हैं :

i. **पशुधन गणना** : पहली गणना 2019-20 के दौरान संचालित की गई थी और तब से यह भारत में सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से संचालित की जा रही है। यह एकमात्र स्रोत है जो पशुओं एवं पोल्ट्री बर्ड की विभिन्न प्रजातियों पर अलग-अलग सूचना प्रदान करता है।
ii. **एकीकृत प्रतिदर्श सर्वेक्षण** - यह दूध, अंडा, मांस और ऊन जैसे पशुधन उत्पादों का अनुमान लगाने के लिए पूरे देश में संचालित किया जाता है। इस योजना के तहत, वार्षिक आधार पर अनुमान प्रकाशित करने होते हैं जो नीति और योजना बनाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। तीन सीजन अर्थात गरमी, वर्षा और शीत में विभाजित करके सीजन के आधार पर मार्च से फरवरी तक प्रतिदर्श सर्वेक्षण संचालित किया जाता है।

अभिसरण : पशुपालन मंत्रालय ने आय के सृजन में सुधार तथा उपलब्ध संसाधनों के उपयोग को अधिकतम करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय के साथ साझेदारी की है। इसके अलावा, पंचायती राज मंत्रालय के साथ अभिसरण के क्षेत्र निम्नलिखित हैं : (i) डेयरी, बकरी पालन, मुर्गी पालन में पूर्ण क्षमता के उपयोग का सुनिश्चय करना; (ii) मछली पालन की पूर्ण क्षमता के उपयोग का सुनिश्चय करना; (iii) पशु संसाधनों के लिए प्रभावी टीकाकरण सेवाएं तथा वेटेनरी केयर; (iv) नस्ल सुधार; (v) मूल्य श्रृंखला विकास; (vi) चारा विकास के लिए क्षेत्र चिन्हित करना; और (vii) मछली उत्पादन में सहायता प्रदान करना।

10.10 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई)

मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने तथा कृषि उपज के बेहतर उपयोग को ध्यान में रखते हुए खाद्य प्रसंस्करण मूल्य / आपूर्ति श्रृंखला के सभी चरणों पर बर्बादी / नुकसान को न्यूनतम करना जरूरी है। इसके लिए कृषि उपज के भंडारण, परिवहन एवं प्रसंस्करण के लिए अवसंरचना का विकास करने; खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में आधुनिक प्रौद्योगिकियों को शामिल करने; उत्पाद एवं प्रक्रिया विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने; मूल्यवर्धित निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पहल करने तथा सुविधाएं सृजित करने और फार्म से लेकर उपभोक्ता तक अंतरालों को पाटने के लिए अवसंरचना का निर्माण करने; कार्यबल को कौशल प्रदान करने के लिए अवसंरचना का सृजन करने की आवश्यकता है। जिसके लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय विभिन्न योजनाएं चला रहा है।

सरकार की आत्मनिर्भर भारत अभियान (एबीवाई) पहल के तहत एमओएफपीआई ने 2020 से 2025 तक की अवधि में 10000 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से प्रधानमंत्री - सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का परिचय (पीएम - एफएमई) नामक एक नई केंद्रीय प्रायोजित योजना शुरू की है। इन योजनाओं के तहत आधुनिक अवसंरचना परियोजनाओं के निर्माण, खाद्य विनिर्माण यूनिटों, मूल्य श्रृंखला विकास, पश्च्यवर्ती और अग्रवर्ती लिंकेज तथा खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अलावा, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र ने अनुसंधान एवं विकास तथा कौशल विकास अवसंरचना के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

पीएमकेएसवाई योजना के विभिन्न संघटक घटक योजनाओं के तहत एमओएफपीआई खाद्य प्रसंस्करण / परीरक्षण उद्योगों की स्थापना के लिए व्यक्तियों, किसानों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), उद्यमियों, सहकारिताओं, सोसायटी, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), निजी कंपनियों तथा केंद्रीय / राज्य पीएसयू आदि को अधिकांशत: सहायता अनुदान के रूप में क्रेडिट संबद्ध वित्तीय सहायता (पूंजी सब्सिडी) प्रदान करता है। परियोजना के प्रकार तथा उसके लोकेशन के आधार पर 5 करोड़ रुपए से लेकर 50 करोड़ रुपए तक की सीलिंग के अधीन सब्सिडी की दर पात्र परियोजना लागत का 35 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक है। मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी किए गए योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार तथा रूचि की अभिव्यक्ति के विरूद्ध पात्र आवेदक को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

अभिसरण

पीएमकेएसवाई की केंद्रीय क्षेत्र योजना मंत्रालय द्वारा सीधे कार्यान्वित की जा रही है। योजनाएं मांग पर आधारित हैं तथा अधिकांशत: निजी क्षेत्र द्वारा मैचिंग इक्विटी अंशदान और बैंक क्रेडिट के साथ इनका लाभ उठाया जाता है। प्रत्येक परियोजना घटक के तहत निधियों की उपलब्धता तथा परियोजनाओं के रिक्त स्लाट के आधार पर समय समय पर रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं।

वर्तमान में इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में पंचायतों की कोई भूमिका नहीं है। तथापि, जिला और ब्लाक पंचायतें अपने क्षेत्राधिकार में विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण / परिरक्षण परियोजनाएं स्थापित करने के लिए योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार लाभ उठाने के लिए आवेदन कर सकती हैं।

पंचायत स्तर पर अभिसरण का क्षेत्र

संवर्धनात्मक गतिविधियों के तहत, एमओएफपीआई की योजनाओं को लोकप्रिय करने के लिए विभिन्न जागरूकता अभियान आयोजित किए जा सकते हैं, विशेष रूप से पीएम-एफएमई योजना के लिए जो ग्रामीण औद्योगीकरण / उद्यमिता के लिए उपयुक्त है। चूंकि 66 प्रतिशत सूक्ष्म खाद्य उद्यम (एमएफई) ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, इसलिए किसान समूह, स्वयं सहायता समूह और महिला उद्यमी पीएम-एफएमई योजना के तहत वित्तीय सहायता तथा अन्य सहायता प्राप्त करके ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण की गतिविधियों में अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं। पीएमकेएसवाई की कौशल विकास योजना के तहत पंचायतें आवश्यकता के अनुसार जिला या ब्लाक स्तर पर कौशल केंद्र स्थापित कर सकती हैं। इसके लिए बहुत कम निवेश की आवश्यकता होती है क्योंकि योजना के तहत अधिकतम पांच जॉब रोल के लिए 15 लाख रुपए प्रत्येक (75 लाख रुपए) की सहायता प्राप्त की जा सकती है।

पीएम-एफएमई योजना के तहत एससी/एसटी सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों के लिए आनलाइन नि:शुल्क प्रशिक्षण एवं कौशल विकास कार्यक्रम शीघ्र शुरू किए जाएंगे। यह मंत्रालय द्वारा नियंत्रित दो खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थानों अर्थात राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान (एनआईएफटीईएम), कुंडली, हरियाणा और भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएफपीटी), तंजावुर, तमिलनाडु के तत्वावधान में शुरू किया जाएगा। पंचायतें न्यूनतम आईटी अवसंरचना तथा कनेक्टिविटी के साथ सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) या समर्पित कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से कौशल / प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सेवा का लाभ उठा सकती हैं।

पीएम-एफएमई के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए तीन स्तरीय पंचायतों की भागीदारी अपेक्षित है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में संघटक गांवों में उत्पादित सरप्लस, प्रसंस्कृत उत्पाद के स्तर, फार्म गेट अवसंरचना, बर्बादी के स्तर, एसएचजी / सहकारी समितियों / एफपीओ / व्यक्तिगत यूनिटों द्वारा संचालित सूक्ष्म उद्यमों की संख्या, पीएम-एफएमई योजना के तहत कौशल प्रदान करने के लिए निर्धारित आउटरिच के लिए मांग पर डेटाबेस का विकास जिला एवं ब्लाक पंचायत द्वारा किया जा सकता है।

10.11. जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए)

2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल आबादी में अनुसूचित जनजातियों (एसटी) का अनुपात 8.6 प्रतिशत है जिनकी कुल आबादी लगभग 705 समुदायों / समूहों के साथ 10.45 करोड़ है। इसमें से 75 आदिवासी समुदाय / समूह असुरक्षित हैं जिन्हें विशेष रूप से असुरक्षित आदिवासी समूह (पीवीटीजी) कहा जाता है। अनुसूचित जनजातियों की लगभग 75 प्रतिशत आबादी मध्य भारत में निवास करती है। मध्य प्रदेश में एसटी की सबसे अधिक आबादी है जिसके बाद महाराष्ट्र का स्थान है। पूर्वोत्तर राज्यों में अनुसूचित जनजातियों की लगभग 10 प्रतिशत आबादी निवास करती है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए समग्र नीति, नियोजन और कार्यक्रमों के समन्वय के लिए नोडल मंत्रालय है। जनजातीय कार्य मंत्रालय देश में आदिवासियों के समावेशी एवं स्थायी विकास के लिए प्रयासरत है। मंत्रालय के कार्यक्रम और योजनाएं वित्तीय सहायता के माध्यम से अन्य केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों तथा स्वैच्छिक संगठनों के प्रयासों का समर्थन करती हैं और संपूरित करती हैं तथा एसटी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर महत्वपूर्ण अंतरालों को भरती हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा विभिन्न योजनाएं एवं कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं, जैसे कि आदिवासी उप योजना के लिए विशेष केंद्रीय

सहायता (टीएसएस के लिए एससीए); भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 तहत अनुदान;
(1) अनुसूचित जनजाति के छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्ति योजना, राष्ट्रीय फेलोशिप एवं छात्रवृत्ति योजना, एकलव्य आवासीय माडल स्कूल (ईएमआरएस), अनुसूचित जनजाति के छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप एवं छात्रवृत्ति योजना, विदेश में उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति योजना आदि; विशेष रूप से असुरक्षित आदिवासी समूहों के लिए संरक्षण सह-विकास योजना, अधिकार आधारित कानून - वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अलावा अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए आदिवासी अनुसंधान संस्थानों आदि को अनुदान।

पंचायती राज मंत्रालय के साथ अभिसरण के प्रमुख अवसर :

चूंकि आदिवासियों की अधिकांश आबादी आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, जो पंचायती राज संस्थाओं के क्षेत्राधिकार में आते हैं, इसलिए पूरे देश में आदिवासियों के सामाजिक - आर्थिक विकास के लिए सभी तीन स्तरों पर पंचायती राज मंत्रालय के साथ जनजातीय कार्य मंत्रालय की योजनाओं एवं कार्यक्रमों का अभिसरण अपेक्षित है। मंत्रालय के प्रमुख अधिदेश पंचायती राज संस्थाओं तथा जिला नियोजन समितियों के कार्यों से संबंधित हैं।

- जनजातीय कार्य मंत्रालय वन अधिकार अधिनियम, 2006 के माध्यम से वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों, अन्य परंपरागत वनवासियों के अधिकारों को सुनिश्चित करके वनों एवं प्राकृतिक संसाधनों के लोकतांत्रिक अभिशासन पर बल देता है। यह वनों का अभिशासन एवं प्रबंधन करेन के लिए ग्राम सभाओं को भी शक्ति प्रदान करता है। पंचायती राज मंत्रालय का उद्देश्य उनकी क्षमता एवं कारगरता में वृद्धि करके ऐसे महत्वपूर्ण अंतरालों को पाटना है जो पंचायतों की सफलता में बाधक हैं। यह संविधान तथा पीईएसए अधिनियम, 1996 की भावना के अनुसार शक्ति एवं जिम्मेदारियों के अंतरण को बढ़ावा देता है।

- जनजातीय कार्य मंत्रालय ने हाल ही में 23 नई मदों को शामिल किया है तथा कोविड-19 महामारी के दौरान आदिवासियों की सहायता के लिए न्यूनतम वन उपज (एमएफपी) की सूची को संशोधित किया है। इसके अलावा, पंचायती राज मंत्रालय इस योजना से संबंधित अभिसरण के लिए क्षेत्रों की पहचान करने और ग्राम स्तर पर लाभ प्रदान करने का भी प्रयास कर सकता है।

- जनजातीय कार्य मंत्रालय अपनी अनेक शैक्षिक योजनाओं के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के बच्चों को शैक्षिक लाभ प्रदान करता है। पंचायती राज मंत्रालय के साथ अभिसरण से उपर्युक्त शैक्षिक योजनाओं के बारे में सूचना का प्रसार करने में मदद मिलेगी जिससे आदिवासी युवा अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और अपने करियर की संभावनाओं में सुधार कर सकते हैं।

- 1126 वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके) के लक्ष्य के साथ वन धन योजना के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को सुदृढ़ करने, वन धन आदिवासी स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 500 नए वीडीवीके की स्थापना की है। पंचायती राज मंत्रालय के साथ अभिसरण ग्राम पंचायत / ग्राम सभा स्तर को लाभ प्रदान करेगा।

- विशेष रूप से जिला और ब्लाक स्तर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और पंचायती राज

मंत्रालय के बीच अभिसरण से क्षमता निर्माण की गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता, उपर्युक्त योजना के तहत मौद्रिक सहायता तथा तकनीकी सहायता का सुनिश्चय होगा।

- जीपी स्तर पर ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) की तरह, अन्य दो स्तरों पर अभिसरण से आदिवासियों के अधिकारों और हकदारियों पर निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण का सुनिश्चय होगा। इससे समावेशी, व्यापक एवं स्थाई जिला एवं ब्लाक पंचायत नियोजन एवं बजट तैयार करने में मदद मिलेगी।

- पीआरआई के पदाधिकारी जिला और ब्लाक स्तर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा विकसित प्रवासी आदिवासी सहायता पोर्टल के लिए अपेक्षित डेटा प्राप्त करने तथा उसे नियमित रूप से अपग्रेड करने में मदद कर सकते हैं।

- विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों की योजनाओं के तहत आदिवासी कल्याण एवं विकास के लिए हर साल काफी धन आवंटित किया जाता है। एसटी तथा एसटी की बहुलता वाले क्षेत्रों को लाभ पहुंचाते हुए उन निधियों का इष्टतम उपयोग महत्वपूर्ण है जहां पंचायती राज मंत्रालय बड़ी प्रेरक भूमिका निभा सकता है।

केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से सहायता लेकर व्यापक जिला एवं ब्लाक पंचायत नियोजन में पेयजल, स्वच्छता, विद्युतीकरण, इंटरनेट कनेक्टिविटी आदि के क्षेत्रों में अंतरालों को दूर किया जाना है।

10.12 आयुष मंत्रालय - राष्ट्रीय आयुष मिशन

राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना आयुष मंत्रालय की महत्वपूर्ण योजना है जो 29 सितंबर, 2014 को अनुमोदित एवं अधिसूचित की गई है। राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वयन के लिए 12वीं योजना के दौरान राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) शुरू किया गया था। एनएएम का बुनियादी उद्देश्य आयुष की लागत प्रभावी सेवाओं के माध्यम से आयुष की चिकित्सा प्रणालियों को बढ़ावा देना, शैक्षिक प्रणालियों को सुदृढ़ करना, आयुर्वेद, सिद्धा और यूनानी एवं होम्योपैथी (एएसयूएंडएच) की दवाओं के गुणवत्ता नियंत्रण के प्रवर्तन तथा एएसयूएंडएच के कच्चे माल की स्थायी उपलब्धता को सुगम बनाना है। इसमें कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में लोच की परिकल्पना की गई है जिससे राज्य सरकारों / संघ क्षेत्र प्रशासनों की स्थायी भागीदारी प्राप्त होगी।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (एनएचपी) 2017 में समावेशी स्वास्थ्य देखरेख की बहुलवादी प्रणाली के अंदर आयुष प्रणालियों की क्षमता को शामिल करने का समर्थन किया है। फोकस समग्र आरोग्यता पर है जिसका उद्देश्य बीमारियों की रोकथाम करना और स्वास्थ्य एवं कल्याण को बढ़ावा देना है। 2020 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत के तहत 2019-20 से 2023-24 तक चरणबद्ध ढंग से 12,500 स्वास्थ्य एवं आरोग्यता केंद्रों (एचडब्ल्यूसी) को कार्यशील करने के लिए मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। मौजूदा आयुष औषधालयों और उप स्वास्थ्य केंद्रों को आयुष स्वास्थ्य एवं आरोग्यता केंद्र (आयुष एचडब्ल्यूसी) के रूप में स्तरोन्नत किया जाएगा।

अन्य बातों के अलावा, योजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं :

- बीमारियों का बोझ कम करने, अपनी जेब से खर्च को कम करने तथा जरूरतमंद लोगों को सूचित विकल्प प्रदान करने के लिए स्वयं देखरेख के लिए आम जनता को सशक्त बनाने के लिए आयुष के सिद्धांतों एवं प्रथाओं के आधार पर समग्र आरोग्यता माडल स्थापित करना।
- आयुष अस्पतालों एवं औषधालयों के उन्नयन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) के साथ आयुष की सुविधाओं की स्थापना के माध्यम से सार्वभौमिक पहुंच के साथ लागत प्रभावी आयुष सेवाएं प्रदान करना।
- कृषि की अच्छी प्रथाओं को अपनाकर औषधीय पौधों की खेती के लिए सहायता प्रदान करना ताकि गुणवत्ता मानक, अच्छी कृषि / संग्रहण / भंडारण प्रथाओं के लिए सहायक प्रमाणन तंत्र तथा गुणवत्तापूर्ण कच्चे माल की स्थाई आपूर्ति की जा सके।
- उद्यमियों के लिए खेती, भंडारण, मूल्यवर्धन एवं वितरण तथा अवसंरचना विकास के अभिसरण के माध्यम से क्लस्टरों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करना।

पंचायती राज मंत्रालय के साथ अभिसरण के क्षेत्र

स्वास्थ्य के अनेक निर्धारक हैं तथा इसलिए मुद्दे के सफल निराकरण के लिए बहुक्षेत्रक समन्वय आवश्यक है और इसलिए सार्वजनिक स्वास्थ्य की गतिविधियों की सफलतापूर्वक योजना बनाने और संचालित करने के लिए योजना के दिशानिर्देशों में संबद्ध मंत्रालयों एवं विभागों के साथ लिंकेज की परिकल्पना की गई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग, आयुष के स्टैंडअलोन अस्पतालों, विन्यस्त सुविधाओं, शैक्षिक संस्थाओं, राष्ट्रीय स्तर के संगठनों, स्कूलों, सामाजिक समूहों, निजी संस्थाओं, सामुदायिक समूहों, स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं, अंतर-क्षेत्रक अभिसरण के साथ लिंकेज को शामिल किया गया है। ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति (वीएचएसएनसी), महिला आरोग्य समिति (एमएएस), स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) जैसे सामुदायिक स्तर के समूहों की भागीदारी आयुष एचडब्ल्यूसी के तहत गतिविधियों का पहले से ही अंग है। स्वास्थ्य के प्रभावी कारकों पर ध्यान देने के लिए अंतर-क्षेत्रक अभिसरण पर ध्यान दिया गया है।

आंगनवाड़ी केंद्रों पर अभिसरण के लिए प्रस्तावित गतिविधियां

पंचायती राज संस्थाएं अपनी तीन स्तरीय प्रणाली के साथ स्थानीय प्रशासन एवं शासन की यूनिट के रूप में काम करती हैं। कार्यक्रमों की आयोजना एवं कार्यान्वयन के लिए जिला स्तरीय समितियों में जिला परिषद और ग्राम पंचायत के प्रतिनिधित्व की परिकल्पना की गई है। ग्राम पंचायत के परामर्श से पंचायत परिसर में योग के सत्रों का आयोजन किया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रचालन के लिए अनुमोदित दिशानिर्देशों में ऐसी गतिविधियां जो पंचायतों के साथ अभिसरण के माध्यम से मंत्रालय द्वारा शुरू की जानी हैं। आम जनता में समुचित रूप से प्रचार करने के बाद पंचायत भवन में और आसपास आम सभा के दौरान ऐसी गतिविधियां आयोजित की जा सकती हैं।

नैदानिक सेवाएं : ग्राम पंचायत भवन में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) द्वारा माह में कम से कम एक आउटरिच नैदानिक शिविर का आयोजन किया जा सकता है ताकि बुनियादी जांच (जैसे कि हिमोग्लोबिन तथा ब्लड ग्लूकोज) सहित नैदानिक सेवाएं प्रदान की सकें और आवश्यक दवाओं का वितरण किया जा सके।

पंचायत भवन परिसर में निरूपक औषधीय पादप उद्यान का विकास करना : सामान्यतया प्रयोग में लाए जाने वाले औषधीय पादपों की खेती तथा बीमारियों की रोकथाम एवं प्रबंधन में उनका प्रयोग आयुष एचडब्ल्यूसी के तहत एक महत्वपूर्ण गतिविधि है।

स्थान की उपलब्धता तथा भौगोलिक लोकेशन के आधार पर पंचायत भवन परिसर में उस क्षेत्र के कुछ लोकप्रिय औषधीय पौधे लगाए जा सकते हैं। राज्य औषधीय पादप बोर्ड तथा बागवानी विभाग की सहायता से राज्य आयुष विभाग रोपण की सामग्री प्रदान करेगा तथा हर्बल उद्यान के विकास में तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। चुनिंदा औषधीय पादपों पर एक ब्रोशर तैयार किया गया है।

पंचायत भवन / परिसर में योग शिविर : पड़ोस के आयुष एचडब्ल्यूसी में तैनात योग अनुदेशक के माध्यम से संभाविता के आधार पर सप्ताह में एक या अधिक बार सत्र आयोजित किए जा सकते हैं जिसके बारे में आयुष एचडब्ल्यूसी तथा पंचायती राज टीम द्वारा परस्पर निर्णय लिया जा सकता है।

आईईसी की गतिविधियां : आयुष एचडब्ल्यूसी टीम द्वारा सीजनल प्रैक्टिस, मनोवैज्ञानिक एवं व्यवहार संहिता जैसी स्वस्थ जीवनशैली पर पंचायत भवन / परिसर में आईईसी सामग्री एवं आईईसी की गतिविधियों का प्रदर्शन। स्थानीय संसाधनों के आधार पर आयुष आधारित पोषक खाद्य व्यंजन को लोकप्रिय बनाना।

ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण : ग्राम पंचायत के पास उपलब्ध किसी फील्ड स्तरीय कार्यकर्ता को सीएचओ द्वारा आयुष के निवारक हस्तक्षेपों में प्रशिक्षित किया जा सकता है।

उपर्युक्त सभी गतिविधियों के लिए योजना में वित्त पोषण उपलब्ध है। संबंधित राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के पंचायती राज विभाग तथा आयुष विभाग से संयुक्त परामर्श तथा विशिष्ट कार्य योजना तैयार करने का अनुरोध किया जाएगा।

10.13 वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय

10.13.1 *अटल पेंशन योजना*

विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में समाज के गरीब एवं वंचित वर्गों को लक्षित करते हुए भारत के 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग नागरिकों के लिए मई, 2015 में भारत सरकार द्वारा अटल पेंशन योजना (एपीवाई) शुरू की गई, जिनका देश के कुल कार्यबल में अनुपात लगभग 88 प्रतिशत है। अब तक देश में एपीवाई के तहत लगभग 3.34 करोड़ सब्सक्राइबर नामांकित किए गए हैं।

यह योजना जो पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम (पीएफआरडीए) द्वारा संचालित की जा रही है, 60 साल की आयु प्राप्त करने के बाद 1000 से 5000 रुपए की प्रत्याभूत न्यूनतम मासिक पेंशन प्रदान करती है। सब्सक्राइबर ऐसी किसी बैंक शाखा या डाकघर के माध्यम से इस योजना से जुड़ सकते हैं जो कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) प्लेटफार्म पर है और जिसमें सब्सक्राइबर का बचत बैंक खाता है। सब्सक्राइबर की आयु 60 साल हो जाने पर इस योजना के तीन बड़े लाभ हैं

- सब्सक्राइबर की लाइफ के लिए प्रत्याभूत न्यूनतम पेंशन, सब्सक्राइबर की मृत्यु के मामले में दंपत्ति को वही पेंशन, और सब्सक्राइबर एवं दंपत्ति दोनों की मृत्यु के बाद सब्सक्राइबर के नामिति को कार्पस की वापसी।

ग्राम पंचायतों के साथ अभिसरण

पंचायतों को उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अटल पेंशन योजना के तहत पूर्ण कवरेज को वित्त मंत्रालय से संबंधित ग्राम पंचायत विकास योजना के तहत एक प्रमुख प्रदेयता के रूप में हाइलाइट किया गया। यह एपीवाई का लाभ लेने में असंगठित क्षेत्र के तहत गरीब एवं वंचित लोगों की मदद करेगा, जो वर्तमान में कोविड-19 जैसी महामारी के प्रसार के कारण सबसे अधिक प्रभावित हैं।

अनुलग्नक

अनुलग्नक 1क : ग्राम सभा आयोजना के कैलेण्डर का सांचा

ग्राम सभा आयोजना के कैलेण्डर का सांचा														
राज्य :														
जिला :														
ब्लॉक :														
ग्राम पंचायत :														
ग्राम सभा :														
		अक्टूबर					नवंबर				दिसंबर			
क्र. सं.	विवरण	सप्ताह 1	सप्ताह 2	सप्ताह 3	सप्ताह 4	सप्ताह 5	सप्ताह 6	सप्ताह 7	सप्ताह 8	सप्ताह 9	सप्ताह 10	सप्ताह 11	सप्ताह 12	सप्ताह 13
1	संचालित किए गए कार्यक्रम													
2	XIवीं अनुसूची के अनुसार शामिल किए गए विषय													
3	संबद्ध विभाग													
4	कुल सदस्य													
5	पोर्टल पर अपडेट करने के लिए तैयार													

अनुलग्नक 1ख : सुगमता प्रदाता रिपोर्ट का सांचा

क्र. सं.	फील्ड	विवरण	अभ्युक्ति, यदि कोई हो
1.	ग्राम सभा उपस्थित लोगों की संख्या		
2.	ग्राम सभा में उपस्थित अनुसूचित जातियों की संख्या		
3.	ग्राम सभा में उपस्थित अनुसूचित जनजातियों की संख्या		
4.	ग्राम सभा उपस्थित एसएचजी के सदस्यों की संख्या		
5.	ग्राम सभा उपस्थित महिलाओं की संख्या		
6.	ग्राम पंचायत का संकल्प		
6.1	फोकस क्षेत्रों के अनुसार संकल्प की मैपिंग		
7.	उपस्थित फ्रंटलाइन वर्कर तथा दी गई प्रस्तुति		
7.1	पंचायती राज विभाग		
7.2	ग्रामीण विकास विभाग		
7.3	कृषि विभाग		
7.4	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग		
7.5	महिला एवं बाल विकास विभाग		

7.6 विद्युत विभाग

7.7 रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग

7.8 पशुपालन एवं डेयरी विभाग

7.9 राजस्व विभाग

7.10 पेयजल विभाग

7.11 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग

7.12 शिक्षा विभाग

7.13 कौशल विकास विभाग

7.14 सामाजिक न्याय विभाग

7.15 खाद्य एवं वितरण विभाग

7.16 स्वास्थ्य विभाग

7.17 वित्त विभाग

7.18 कृषि विभाग

7.19 मछली पालन विभाग

7.20 वन विभाग

7.21 लघु उद्योग विभाग

7.22 खादी / ग्रामोद्योग विभाग

7.23 <राज्य> विद्युत बोर्ड

7.24 ग्रामीण सड़क विकास निगम

7.25 <राज्य> पीडब्ल्यूडी

8. मिशन अंत्योदय के डेटा की प्रस्तुति एवं सत्यापन

9. गरीबी से संबंधित मुद्दों तथा गरीबी कटौती योजनाओं के संबंध में एसएचजी द्वारा प्रस्तुति

10. जीपीडीपी पर चर्चा

10.1 वर्तमान वर्ष गतिविधियों तथा प्रयुक्त की गई निधि की समीक्षा

10.2 2021-22 के दौरान ग्राम पंचायत को संभावित रूप से उपलब्ध होने वाले संसाधनों पर चर्चा

10.3 मिशन अंत्योदय के सर्वेक्षण से उत्पन्न अंतरालों तथा प्रस्तावित उपायों पर चर्चा

10.4 जीपीडीपी पर ग्राम सभा द्वारा पारित एवं दर्ज किया गया संकल्प

11. चल रही ग्राम सभा का जियोटैग किया गया फोटोग्राफ

12. सार्वजनिक सूचना बोर्ड का जियोटैग किया गया फोटोग्राफ

13. चल रही ग्राम सभा का वीडियो (ऐच्छिक)

सुगमता प्रदाता की रिपोर्ट - जिला / ब्लाक पंचायत

क्र. सं.	फील्ड	विवरण	अभ्युक्ति (यदि कोई हो)
1.	जिला / ब्लाक पंचायत की बैठक में उपस्थित लोगों की संख्या		
2.	उपस्थित फ्रंटलाइन वर्कर तथा दी गई प्रस्तुति		
2.1	पंचायती राज विभाग		
2.2	ग्रामीण विकास विभाग		
2.3	कृषि विभाग		
2.4	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग		
2.5	महिला एवं बाल विकास विभाग		
2.6	विद्युत विभाग		
2.7	रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग		
2.8	पशुपालन एवं डेयरी विभाग		

2.9 राजस्व विभाग

2.10 पेयजल विभाग

2.11 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग

2.12 शिक्षा विभाग

2.13 कौशल विकास विभाग

2.14 सामाजिक न्याय विभाग

2.15 खाद्य एवं वितरण विभाग

2.16 स्वास्थ्य विभाग

2.17 वित्त विभाग

2.18 कृषि विभाग

2.19 मछली पालन विभाग

2.20 वन विभाग

2.21 लघु उद्योग विभाग

2.22 खादी विभाग

2.23 <राज्य> विद्युत बोर्ड

2.24 ग्रामीण सड़क विकास निगम / पीडब्ल्यूडी

2.25 <राज्य> पीडब्ल्यूडी

3. जिला / ब्लाक पंचायत विकास योजना पर चर्चा

3.1 वर्तमान वर्ष गतिविधियों तथा प्रयुक्त की गई निधि की समीक्षा

3.2 2021-22 के दौरान जिला / ब्लाक पंचायतों को संभावित रूप से उपलब्ध होने वाले संसाधनों पर चर्चा

3.3 मिशन अंत्योदय के सर्वेक्षण से उत्पन्न अंतरालों तथा प्रस्तावित उपायों पर चर्चा

3.4 जिला / ब्लाक सभा की बैठक में पारित तथा दर्ज किया गया संकल्प

4. चल रही जिला / ब्लाक सभा का जियोटैग किया गया फोटोग्राफ

अनुलग्नक 1ग: पीपीसी 2020 के लिए गतिविधियों की समय सीमा: 02 अक्टूबर, 2021 से 31 जनवरी, 2022

क्र. सं.	गतिविधियां	समय सीमा
केंद्रीय स्तर पर		
1.	पीपीसी 2021 की प्रक्रिया शुरू करने पर सभी राज्यो / संघ राज्य क्षेत्रों को मंत्रालय की ओर से पत्र	25 जुलाई, 2021
2.	प्रक्रिया के दौरान प्रभावी भागीदारी को सुगम बनाने के लिए राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के अपने समकक्षों को आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए केंद्र सरकार के संबद्ध मंत्रालयों के साथ पत्राचार	30 जुलाई, 2021
3.	सभी निगरानी प्लेटफार्मों जैसे कि जीपीडीपी पोर्टल आदि को सक्रिय करना	5 अगस्त, 2021
4.	नोडल अधिकारियों (राज्य, जिला एवं ब्लाक स्तर) की नियुक्ति	31 अगस्त, 2021
5.	प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए सुगमता प्रदाताओं की नियुक्ति	5 सितंबर, 2021
6.	सुगमता प्रदाताओं एवं हितधारकों के लिए प्रशिक्षण माड्यूल तैयार करना	31 अगस्त, 2021
7.	सुगमता प्रदाताओं तथा सभी हितधारकों के लिए प्रशिक्षण माड्यूल शुरू करना	5 सितंबर, 2021
8.	पीपीसी 2021 पर संबंधित हितधारकों एवं एसएनओ की परिचयात्मक कार्यशाला	10 सितंबर, 2021
9.	ग्राम सभा की बैठकों की अनुसची को अंतिम रूप देना	15 सितंबर, 2021
10.	एनआईआरडीपीआर द्वारा बेहतर अभिसरित एवं व्यापक जीपीडीपी तैयार करने के लिए एमए डेटा के आधार पर सेक्टरवार डेटा विश्लेषण पर कार्यशाला	15 सितंबर, 2021
11.	ग्राम सभा वार कैलेण्डर को अपलोड करना	20 सितंबर, 2021
12.	प्रत्येक ग्राम पंचायत में सार्वजनिक सूचना बोर्ड का प्रदर्शन	30 अक्टूबर, 2021
13.	सामाजिक बदलाव और आर्थिक विकास के लिए जीपीडीपी तैयार करने पर 5 क्षेत्रीय कार्यशालाएं	15 सितंबर से 30 अक्टूबर के दौरान
14.	ई-ग्राम स्वराज एप्लीकेशन पर अनुमोदित जियोटैग जीपीडीपी को अपलोड करना	31 जनवरी, 2022

अनुलग्नक 2 : जीपीडीपी के लिए विशेष ग्राम सभा के संचालन के लिए मॉडल अनुसूची

Model Schedule for Conduct of Special Gram Sabha for GPDP

Sabki Yojana Sabka Vikas

Meeting Date:

Meeting Place:

Gram Panchayat: ..... **LGD Code: .....**

Block/Taluka: ..... **District: .....** **State: .....**

- **Agenda of the meeting:** People's Plan Campaign (GPDP)
- **Attendance of the members, Elected Representatives and officials for the meeting**
- **Format for conduct of Gram Sabha**

i. Sarpanch/ Pradhan of the Gram Panchayat will brief regarding the purpose of the meeting to the Gram Sabha.

ii. Gram Panchayat Secretary will discuss about the vision of GPDP.

iii. Presentation and validation of ranking parameters and data collected under Mission Antyodaya by facilitators (if not already validated in earlier Gram Sabha).

iv. Village Organisations (VO)/ Self Help Groups to make a presentation regarding poverty related issues and poverty reduction plans before Gram Sabha.

v. Gram Sabha to discuss gaps as emerging from Mission Antyodaya survey and categorise the priorities in to three classes i.e. **Critically Important**, **High Priority** and **Desirable**

(By Panchayat Secretary)

vi. Presentation by Frontline Workers from line departments relating to 29 subjects listed in schedule XI to be devolved to Panchayats as per the Article 243G of the Constitution.

List of 29 Subjects as per Article 243G of the Constitution

1.Agriculture	11.Drinking Water	21. Cultural Activities
2.Land Improvement	12. Fuel and fodder	22. Markets and Fairs
3.Minor Irrigation	13. Roads	23. Health and Sanitation
4.Animal Husbandry	14. Rural Electrification	24. Family Welfare
5.Fisheries	15. Non-Conventional Energy	25. Women and Child Development
6.Social Forestry	16. Poverty Alleviation Programme.	26. Social Welfare
7.Minor Forest Produce	17. Education	27. Welfare of the Weaker Sections
8.Small Scale Industries	18. Vocational Education	28. Public Distribution System
9.Khadi, village and cottage industries	19. Adult and Non-Formal Education	29. Maintenance of Community Assets
10.Rural Housing	20. Libraries	

vii. Review of current year activities and fund utilization.

viii. Discussion on resources likely to be available to the Gram Panchayat during the FY 2019-2020, viz. FFC/ SFC/ Own Source of Revenue/ MGNREGA/ Other Centre & State schemes.

ix. Gram Sabha may discuss the reasons for the Gaps and propose interventions

x. Based on identified gaps, Gram Sabha to identify & prioritize the activities to be included in GPDP such as asset creation, asset maintenance, low cost/no cost (e.g. community mobilization for 100% immunization, no school dropout, ODF/ODF plus, social harmony, awareness on social issues etc).

xi. Gram Panchayat to finalize activities to be taken up under GPDP

xii. Only activities related to delivery of basic civic services such as water supply, sanitation including septic management, sewage and solid waste management, storm water drainage, maintenance of community assets, maintenance of roads, footpaths, street-lighting, burial and cremation ground etc. to be planned from FFC allocation. Other approved activities in relation to various sectors related to 29 subjects listed in the XI schedule are also to be included in GPDP.

xiii. Gram Sabha shall pass a resolution on the prioritized list of development activities. The resolution must be read out before the Gram Sabha and should be recorded accordingly.

xiv. Geo-tagged Photographs of Gram Sabha to be uploaded on People's Plan Campaign Portal.

xv. Geo-tagged Photographs of Public Information Board to be uploaded on People's Plan Campaign Portal.

अनुलग्नक 3 : फ्रंटलाइन वर्कर / संबद्ध विभागों द्वारा मॉडल प्रस्तुति

Model Structure of presentation by frontline workers/ Line departments during Gram Sabha

Indicative discussion points for presentation by a frontline worker of department:

1. Frontline workers of respective departments will present brief overview of schemes related to that department including eligibility criteria, entitlements and benefits accruing/ to be accrued under scheme; indicating role of Gram Panchayat and incorporation in GPDP.

Sl. No.	Name of the Scheme	Activities permissible under Scheme	Eligibility criteria for beneficiary selection	Benefits/Entitlements under the scheme

2. Activities taken in current FY 2019-2020 and progress made so far along with time lines.

Sl. No.	Name of Activity	List of Beneficiaries	Activity Wise Status Report						
			Progress Status			Timelines		Funds utilization Status	
			Activity completed	In-Progress	Not started	Planned Timelines	Actual Time Line	Funds Allocated	Funds Utilized

3. Activities proposed to be taken in next FY 2020-2021

Sl. No.	Continuation of ongoing activities	New activities to be taken up	Proposed Plan of Action

4. Copy of this information is to be handed over to the Panchayat Secretary by the frontline workers of line departments during the Gram Sabha.

अनुलग्नक 4 : सार्वजनिक सूचना बोर्ड की निदर्शनात्मक डिजाइन

पंचायती राज मंत्रालय

भारत सरकार